षोडश माला, खंड 5, अंक 9

गुरुवार, 4 दिसंबर, 2014

13 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2014/1936 (शक)

अंक 9, गुरुवार, 4 दिसंबर, 2014/13 अग्रहायण, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
निधन संबंधी उल्लेख	11
मंत्री द्वारा वक्तव्य	12-14
पूर्वोत्तर रेलवे में बिना चौकीदार वाले लेवल क्रॉसिंग पर रेल दुर्घटना	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 165 तक	15-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	40
तारांकित प्रश्न संख्या 166 से 180	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070	

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 41-53

राज्य सभा से संदेश 54-55

नियम 377 के अधीन मामले 102-120

(एक) राजस्थान में पत्थर उत्खनन में कार्यरत मजदूरों में सिलिकोसिस तथा तपेदिक के प्रकोप की रोकथाम करने तथा प्रभावित व्यक्तियों के इलाज के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश मीना 102-103

(दो) असम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों के गबन के लिए जिम्मेदारी तय किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन गोहेन 104

(तीन) जोधपुर - दिल्ली एक्सप्रेस (रेलगाड़ी संख्या 22481) को प्रतिदिन चलाए जाने तथा इसे उत्तराखंड में हरिद्वार तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री सी.आर. चौधरी 105

(चार) देश में रबड़ के आयात को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

कुमारी शोभा कारान्दलाजे 106

(पांच) मुम्बई, महाराष्ट्र में मीठी नदी के जीर्णोद्धार हेतु समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पूनम महाजन 107

(छह) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उदुप्पी जिलों में एंडोसल्फान से पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री नलीन कुमार कटील 108

(सात) उत्तर प्रदेश में इन्दारा से दोहरीघाट तक की रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री हरि नारायण राजभर 109

(आठ) 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा के लिए राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान के हिस्से को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट पी. सोलंकी 110

(नौ) राजस्थान के जालौर संसदीय क्षेत्र स्थित सांचौर में कच्चे तेल की पाइपलाइनें बिछाने हेतु उपयोग में लायी जाने वाली कृषि भूमि के लिए किराए की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 111

(दस) सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 112

(ग्यारह) तमिलनाडु में कुड्डालोर तथा सलेम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 532 की मरम्मत किए जाने तथा उसको चार लेन वाले मार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. अरूणमणिदेवन 113

(बारह) ओडिशा के बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 114

(तेरह) आंध्र प्रदेश के लिए नए उच्च न्यायालय का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार 115

(चौदह) उत्तर प्रदेश में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नील गायों (वनरोज) के आंतक को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अनुप्रिया पटेल 116

(पंद्रह) असम में बाढ़ के कारण हुई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने तथा राज्य में बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता

श्री बदरुद्दीन अजमल 117-118

(सोहल) पार-ताप्ती-नर्मदा, दमनगंगा, पिंजार तथा नार-पार-गिरना नदियों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री ए. टी. नाना पाटिल 119-120

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति 121

पहला प्रतिवेदन

निरसन और संशोधन (द्वितीय) विधेयक, 2014 122-161

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव 122

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 122-124

श्री बी. सेनगुट्टुवन 121-126

श्रीमती मीनाक्षी लेखी 128-129

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 130-131

श्री बी. विनोद कुमार 132-133

डॉ. वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली	133-135
श्री पी.पी. चौधरी	136-138
डॉ. रविन्द्र बाबू	139-140
डॉ. किरिट पी. सोलंकी	142-145
श्री शेर सिंह गुबाया	146-147
श्री रतन लाल कटारिया	147-150
श्री अजय मिश्रा टेनी	150-154
श्री गोपाल शेट्टी	154-156
श्री राजकुमार सैनी	156-158
श्रीमती अनुप्रिया पटेल	158-159
श्री रमेश चन्द्र कौशिक	159-161
नियम 193 के अधीन चर्चा	162-198
देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाएँ	
श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी	162-164
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	165-166
श्री शेर सिंह गुबाया	169-171
श्री सी.आर. चौधरी	171-173
श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	173-176
श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव	177-180
श्री राधा मोहन सिंह	100-184

श्री गजानन कीर्तिकर	185-186
श्री बदरुद्दीन अजमल	186-188
श्रीमती अनुप्रिया पटेल	189-191
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	192-194
श्री दुष्यंत चौटाला	194-197
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	197-198

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थॉमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 4 दिसंबर, 2014 / 13 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुई*]

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष:माननीय सदस्यगण, मुझे महाराष्ट्र के कोल्हापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं से ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे, श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। योग्यसंसदविद् श्री गायकवाड़ याचिका समिति के सदस्य थे। इससे पहले श्री गायकवाड़ 1962 से 1967 तक और 1972 से 1980 तक महाराष्ट्र विधान सभा के भी सदस्य रहे थे। श्री गायकवाड़ एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने ट्रॉफिज तथा मेमॉयर्स इन लेजिसलेचर नाम से पुस्तकें भी लिखी थीं।

उन्होंने व्यापक यात्राएं की थीं। वह क्यूबा, दुबई, मिस्र, कुवैत, निकारागुआ, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जाने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य भी थे। श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ का निधन 84 वर्ष की आयु में 2 दिसम्बर, 2014 को कोल्हापुर में हुआ।

हम श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करतेहैं और शोक संतप्त परिवार को अपनी सांत्वना देते हैं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कृपया थोड़ी देर खड़ी हो।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सुरेश प्रभु जी सदन को कुछ सूचना देंगे। आज एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, वह आज वहां जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि वह पहले हाउस को सूचना देंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पूर्वोत्तर रेलवे में बिना चौकीदार वाले लेवल क्रॉसिंग पर रेल दुर्घटना*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): महोदया, मैं बहुत दु:ख के साथ सभा को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सूचित करना चाहता हूं जो आज बिना चौकीदार वाले एक लेवल क्रॉसिंग पर घटी है, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस मंडल के मऊ-शाहगंज खंड पर खुराहाट और मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशनों के बीच किलोमीटर संख्या 10/5-6 पर बिना चौकीदार वाले लेवल क्रॉसिंग सं. 6 सी पर आज 08.15 बजे गाड़ी सं. 55135 (आजमगढ़ से वाराणसी सिटी जाने वाली) से एक सड़क वाहन टकराया, जिसमें स्कूल के 22 बच्चे सवार थे। सड़क वाहन के 17 यात्रियों को मऊ में दो स्थानीय अस्पतालों (13 को मऊ के स्थानीय जिला अस्पताल तथा 4 को स्थानीय प्राइवेट नर्सिंग होम) में भर्ती कराया गया है जबकि 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई है।

पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ रेल अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना होने का निर्देश दिया गया है और वे बचाव एवं राहत कार्य की देखरेख कर रहे हैं।

प्रारंभिक सूचना के अनुसार, यह घटना सड़क वाहन के चालक की लापरवाही के कारण घटी। ड्राइवर ने लेवल क्रॉसिंग से पहले स्टॉप बोर्ड पर वाहन रोक कर आने वाली गाड़ी की जांच नहीं की, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 131 में निर्धारित किया गया है। घटनास्थल से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोहरे के कारण दृश्यता कम थी।

---

* ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 943क/16/14.

मानवीय आधार पर मृतक के निकट संबंधी को 2 लाख रूपए, गंभीर रूप से घायल को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल व्यक्तियों को 20,000 रूपए की *अनुग्रह* राशि देने की घोषणा की गई है।

मैं रेलवे तथा अपनी ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और घायलों के प्रति भी गहरी सहानुभूति प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने में यह सभा मेरे साथ होगा।

महोदया, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 01.04.2014 तक, भारत में 11,563 मानवरहित क्रॉसिंग हैं। यह बड़े दु:ख की बात है कि इस तरह से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी क्रॉसिंग मानवयुक्त हों अथवा ऐसे हों जहां इस तरह की घटनाएं न हों; ऐसा करने के साथ-साथ हम इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के तरीके भी तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वास्तव में इस दिशा में प्रयासरत हूं। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है महोदया।

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): मैं माननीय रेल मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संबंध में, कम-से-कम, आप अंडरपास का प्रावधान कर सकते हैं।यदि आप मानवयुक्त सड़क बनाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी प्रकार का अंडरपास या सबवे बना सकते हैं। यह बेहतर है।अन्यथा, ऐसी दुर्घटनाओं का कोई अंत नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :मैडम, कल हमने सदन में यह बात उठाई थी कि माननीय प्राइम-मिनिस्टर साहब आये हैं, और मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया था और अपॉलॉजी उन्होंने मांगी थी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :खड़गे जी, रोज-रोज वही बातें आप उठाते हैं...(व्यवधान) स्टेटमेंट हमेशा विदेश मंत्री ही देते हैं, ऐसा ही होता आया है। [अनुवाद] आप इसे मुझसे बेहतर जानते हैं।[हिन्दी] सौगतराय जी, आपने नोटिस दिया हुआ है, वह मेरे कंसीडिरेशन में है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: विशेषाधिकार प्रस्ताव मेरे पास है। यह मेरे विचाराधीन है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 161, श्री दुष्यन्त सिंह।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कार्यवाही-वृत्तान्त में अब कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान) …**

पूर्वाह्न11.07 बजे

इस समय, श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री गौरव गोगोई, डॉ. ए. संपत और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

<u>पूर्वाह्न11.08 बजे</u>

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 161, श्री दुष्यन्त सिंह।

(प्रश्न संख्या 161)

श्री दुष्यंत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।पिछले दो वित्त वर्षों में, 27,000 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 20 सड़क परियोजनाओं के लिए बोलियां नहीं लगाई गई । इस वर्ष और पिछले वर्ष जितनी सड़कें बनाई गईं, वे अपने लक्ष्य से बहुत कम रह गई हैं। इस वर्ष जून तक, 60,000 करोड़ रुपए की 260 परियोजनाएं थीं जिन्हें पी.पी.पी. मॉडल के तहत शुरू किया जाना था; वे ठप्प हो गईं। बैंकों की उच्च ब्याज दरों के कारण निजी कंपनियां पी.पी.पी. से दूर हो रही हैं और तथ्य यह है कि परियोजनाएं बंद हो रही हैं।साथ ही, मंत्रालय 2016 तक प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़कें बनाने की बात कर रहा है, जो एक दिन में 3 किलोमीटर प्रतिदिन की वर्तमान गति में एक बड़ा सुधार है। मंत्री जी ने कहा है कि उनका इरादा इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ई.पी.सी.) के एक मॉडल को आगे बढ़ाने और निर्माण की लागत का भुगतान करने के लिए भविष्य के टोल राजस्व को सुरक्षित करने का है। महोदया, आंकड़े जो दिखा रहे हैं और मंत्री जी ने जो कहा है, उसमें विरोधाभास है।उनके मंत्रालय के लोगों ने उल्लेख किया है कि वे वित्तीय बाधाओं को देखते हुए परियोजनाओं को ई.पी.सी. के अन्तर्गत नहीं रख सकते हैं। कल की सूची में

***प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

उन्होंने उल्लेख किया है कि परियोजनाओं का पुनर्निर्माण केंद्रीय बजट से अतिरिक्त आवश्यकताओं के माध्यम से किया जाएगा। जब मंत्रालय के पास 8500 सड़कें बनाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, जिसका लक्ष्य मार्च अंत तक है, तो वे सड़कें कैसे बनाएँगे ?वे इस सच्चाई को नहीं बता रहे हैं, जो स्पष्ट है। आप हमें बताएं कि आप ई.पी.सी. मॉडल के जरिए सड़कों का निर्माण कैसे करेंगे। … (*व्यवधान*)

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, जब हम परियोजना को पी.पी.पी. से ई.पी.सी. में स्थानांतरित करते हैं, तो केंद्र सरकार से एक बड़ी राशि की आवश्यकता है।पहले किसी परियोजना को पी.पी.पी. से ई.पी.सी. में स्थानांतरित करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएँ थीं।… (*व्यवधान*) इसके बाद हमने इसे आसान बना दिया। यह सच है कि कई पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए बोलियां नहीं लगाई गई ।हालाँकि, ई.पी.सी. मॉडल के तहत बढ़ती संख्या में परियोजनाएँ प्रदान की जा रही हैं।… (*व्यवधान*) एन.एच.ए.आई. के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं।वे अगले दो वर्षों में ई.पी.सी. मॉडल के तहत 30,500 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना बना रहे हैं। … (*व्यवधान*)

श्री दुष्यंत सिंह : महोदया, मुझे इस बात का दुःख है कि माननीय मंत्री जी को अपने विषय की जानकारी नहीं है। उनके नौकरशाहों ने उन्हें उस पर कागजात दिए हैं।... (*व्यवधान*)

मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रेस में दिया गया बयान 30 किलोमीटर सड़कें बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।यदि वे इन सड़कों को बना रहे हैं तो सरकार के प्रमुख नीतिगत बदलाव क्या हैं?... (*व्यवधान*) मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे भविष्य में लोगों को पी.पी.पी. मॉडल के तहत इस सड़क निर्माण का हिस्सा बनने और भविष्य में प्रति दिन 30 किलोमीटर सड़क बनाने के वादे को पूरा करने में सहायता करेंगे।… (*व्यवधान*)

श्री पोन राधाकृष्णन: हमने कई सुधारात्मक उपाय किए हैं।परियोजनाओं को गति देने के लिए कार्रवाई की गई है। एन.एच.ए.आई. द्वारा की गई पहल के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों को राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में ऋण पर विचार करने का निर्देश दिया है।…

(*व्यवधान*) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ऋण को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुरक्षित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि वित्तीय समस्या के कारण परियोजना में देरी हो रही है, तो प्रीमियम का पुनर्निर्धारण भी उपलब्ध है। … (*व्यवधान*) इसलिए, सड़क परियोजनाओं के निवेश के लिए उनके कुल संग्रह के 30 प्रतिशत की जांच की जा सकती है। इस तरह, हमने कई सुधारात्मक उपायों पर विचार किया है और प्रति दिन 30 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना बनाई है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री ए. अनवर राजा – उपस्थित नहीं।

श्री सुरेश सी. अंगड़ी।

…(*व्यवधान*)

श्री सुरेश सी. अंगड़ी: धन्यवाद महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए। बेलगाम, बागलकोट और रायचूर से आंध्र प्रदेश की सीमा महबूबनगर तक 336 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है।यह फाइल 2009 से केंद्र सरकार के पास लंबित है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बेलगाम से महबूबनगर तक सड़क के इस उन्नयन का कार्य करने जा रहा है और यह भी कि इसे कब पूरा किया जाएगा।

श्री पोन राधाकृष्णन: हम सीमा सड़क परियोजनाओं को अधिक महत्व दे रहे हैं।हम इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से हमारे माननीय सदस्य के अनुरोध पर विचार करूंगा और उन्हें तत्संबंधी ब्यौरा बताऊंगा।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. ए. संपत।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यदि आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं और सभा के बीचों बीच आने का फैसला किया है, तो आप प्रश्न पूछने के लिए अपना नाम क्यों दे रहे हैं? यह उचित नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री तथागत सत्पथी बोलेंगे।

…(*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी : महोदया, हम माननीय मंत्री जी के उत्तर सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी बहुत स्पष्ट नहीं है। मैं एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

महोदया, आपको याद होगा, 15वीं लोक सभा के दौरान, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के माध्यम से छोटे और मध्यम पत्तनों के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी के विकास के लिए एक योजना शुरू की थी। भारत सरकार ने अब तक योजना के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर कोई जानकारी नहीं दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ओडिशा राज्य में गैर प्रमुख पत्तनों के लिए सड़क कनेक्टिविटी योजना की क्या स्थिति है। … (*व्यवधान*) सरकार द्वारा 2 नवंबर, 2010 को ओडिशा सरकार को दिए गए नोट के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्य में गैर प्रमुख पत्तनों की लागत का 50 प्रतिशत वहन करता है। हम कब इन निधियों को ओडिसा सरकार को जारी किए जाने की उम्मीद कर सकते हैं? … (*व्यवधान*) महोदय, आपने कहा था कि 50 प्रतिशत आप वहन करेंगे। महोदय,क्या आप, वह 50 प्रतिशत देने जा रहे हैं?आप इसे कब देंगे?

श्री पोन राधाकृष्णन: पत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने संबंधी योजना तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाया गया था। … (*व्यवधान*) प्रमुख पत्तनों की कनेक्टिविटी का अध्ययन किया जा रहा है। … (*व्यवधान*) व्यवहार्यता के आधार पर, यह प्रदान किया जाएगा। … (*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी : सरकार ने कहा था कि गैर प्रमुख पत्तनों से कनेक्टिविटी होगी। इसकी घोषणा सरकार द्वारा 2 नवम्बर, 2010 को की गई थी। … (*व्यवधान*) यह परियोजना पिछली राजग सरकार द्वारा शुरू की गई थी ... (*व्यवधान*) आपकी सरकार द्वारा नहीं और यह मूल राजग सरकार थी … (*व्यवधान*)

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदय, व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर गैर प्रमुख पत्तनों पर भी विचार किया जाता है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. रत्ना डे।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं, तो मैं भविष्य में आपको अवसर नहीं दूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री गजानन कीर्तिकर बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री गजानन कीर्तिकर : माननीय अध्यक्ष जी, दो वर्ष पूर्व ठाणे-नाशिक नेशनल हाइवे नम्बर 3 का सरकार और निजी भागीदारी के द्वारा विस्तारीकरण और चौड़ा करने का कार्य किया गया था। इसी कांट्रैक्ट में पडघा नाका, टिटवाला नाका और वसीद नाकों पर वाहनों तथा पैदल यात्रियों के लिए सब वे तथा बसों और ट्रकों के स्टापेज बनाने के कार्य भी सम्मिलित थे। परन्तु अभी तक इस तरह का कोई भी कार्य वहां पर नहीं किया गया, जिसके कारण वहां पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्राधिकरण के दोषी आधिकारियों और निजी कांट्रैक्टर के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई? उपरोक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

श्री पोन राधाकृष्णन: महोदया, मंत्रालय ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर सी.यू.पी. और पी.यू.पी. लगाने का निर्णय लिया है। … (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 162)

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत :अध्यक्ष महोदया, भारत को आजादी मिलने के बाद लोकतंत्र प्रणाली को स्वीकार किया गया और इस लोकतंत्र प्रणाली में परम पूज्य बाबासाहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में संविधान समिति का निर्माण हुआ, उस संविधान समिति के माध्यम से भारतीय जनता को मतदान का एक सामान्य आधिकार प्राप्त हुआ, जो एक विशेषाधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से यह मतदान प्रक्रिया आज पूरी तरह से सुधर नहीं रही है, इसे दोषरहित करने की जरूरत है।

मेरा प्रश्न यह है कि जैसे केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में बहुत बड़ी रिपोर्ट पेश की है। उससे साफ है कि केंद्र सरकार भी इसमें सुधार लाना चाहती है। लेकिन आज की चुनाव प्रणाली में सामाजिक कार्य के बजाय, अच्छे कामों के बजाए धन शक्ति के एक प्रभाव का निर्माण हुआ है। क्या केंद्र शासन, चुनाव आयोग ने इसके नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं? उन सुझावों को अमल में लाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदया, 'चुनावी सुधार' उन प्रमुख मुद्दों में से एक है जिस पर आजकल पूरे देश में बहस चल रही है। बेशक, पहले भी कई कदम उठाए गए थे। कई समितियों और आयोगों ने कुछ सुझाव दिए थे।जनवरी, 2013 में जो भी सुझाव दिये गये थे, उन पर विस्तृत प्रतिवेदन देने के लिये विधि आयोग को निर्दिष्ट किया गया है।विधि आयोग का प्रतिवेदन मिलने के बाद हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

लेकिन एक बात तो तय है कि आज देशभर की जनता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव देखना चाहती है। इस देश की जनता की यह मंशा है कि चुनावों में धन और बाहुबल का प्रयोग कम होना चाहिए।

ऐसे कई मुद्दे हैं, जो सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं।लेकिन जैसे ही हमें विधि आयोग से प्रतिवेदन मिलेगा, हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे।हम देश भर के सभी हितधारकों, राजनीतिक दलों और अन्य लोगों के साथ चर्चा करेंगे; और आगे बढ़ेंगे।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, हिंदुस्तान में कई स्तर के चुनाव होते हैं, जैसे जिला परिषद है, विधान सभा, लोक सभा, नगरपरिषद् या नगरपालिका। हरेक चुनाव में अलग-अलग चुनाव सूची तैयार की जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में सारे लोकतांत्रिक चुनावों में एक ही मतदाता सूची को अमल में लाया जाएगा या नहीं?

दूसरा, अभी सारे चुनाव ईवीएम के माध्यम से होते हैं। उसके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ईवीएम का जो सत्यापन है, उसके लिए एक विश्वसनीयता निर्माण होने के लिए, ईवीएम का जो बटन दबाते हैं, उसके साथ-साथ जानकारी के लिए जो पर्ची आनी चाहिए, क्या उसका भी प्रावधान केंद्र सरकार विधि आयोग के माध्यम से करने वाली है?

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां तक स्थानीय निकाय चुनावों का प्रश्न है, वे राज्य चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

भारत का निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव कराएगा। सरकार का विचार है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए चुनाव एक साथ होने चाहिए। यह सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।लेकिन विधि आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद ही इसे लोगों में बताया जाएगा; और फिर हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे।

जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का संबंध है, हम इस पर काम कर रहे हैं; और हम यह देखना चाहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें।

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया। निर्वाचन आयोग ने सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित समितियों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनावों में परिवर्तन के लिए कई प्रशंसनीय चुनाव सुधार किए हैं:-

1. तारकुंडे समिति, 1975
2. गोस्वामी समिति, 1990
3. इंद्रजीत गुप्ता समिति,1998
4. निर्वाचन आयोग की सिफारिशें, 1998

लेकिन चुनावी प्रक्रिया को शुद्ध करने और चुनावों में कदाचार रोकने के लिए बहुत सी सिफारिशें अभी भी लागू की जानी बाकी हैं।

महोदया, कई पार्टियाँ चुनाव के समय अपने घोषणापत्रों में बड़े-बड़े वादे करती हैं। लेकिन निर्वाचित होने के बाद वे उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि वह यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सत्ता में आने पर विभिन्न दलों द्वारा किए गए चुनावी वादे, जब वे सत्ता में आते हैं, तो उनका पालन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, क्या चुनावों में काले धन की उत्पत्ति और उसके प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से चुनावों में राज्य वित्तपोषण पर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

... (*व्यवधान*)

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदया, चुनावी सुधार संबंधी विज़न विवरण पहले ही तैयार किया जा चुका है।... (*व्यवधान*) इस मामले की जांच के लिए इसे विधि आयोग को भेजा गया था। उन्होंने जो कहा और राज्य के वित्त पोषण के मुद्दे सहित विभिन्न मुद्दों पर भी विचार किया

जाना चाहिए। विधि आयोग के प्रतिवेदन के बाद ही हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। … (*व्यवधान*)

लगभग 17 मुद्दों को चुनाव सुधार आयोग को निर्दिष्ट किया गया है। मैं उन्हें सदन के समक्ष रख सकता हूं। … (*व्यवधान*) उम्मीदवारों की योग्यता, जहां तक उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का सवाल है, उसमें क्या किया जाना चाहिए, आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा, नकारात्मक मतदान, अभियान व्यय पर आधिकारिक सीमा बढ़ाना, संपत्ति और देनदारियों का खुलासा, चुनाव खर्च की लागत पर अंकुश लगाना, चुनावों का राज्य द्वारा वित्त पोषण, मतदाता सूची की तैयारी में बदलाव, … (*व्यवधान*) सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापन पर अंकुश, जनमत सर्वेक्षणों पर प्रतिबंध, चुनाव से पहले 48 घंटे के दौरान प्रचार की रोकथाम, चुनाव संबंधी ड्यूटी हेतु तैनात अधिकारियों को उत्पीडन से बचाना, चुनावी अपराधों के लिए सजा और चुनाव विवादों के न्यायनिर्णयन, राजनीति का साम्प्रदायीकरण - इन सभी मुद्दों को विधि आयोग के पास भेजा गया है।

निश्चित रूप से, सरकार यह देखने के लिए बहुत उत्सुक है कि कतिपय सुधार लाए जाएं। इसके साथ ही हम एन.आर.आई. को मतदान का अधिकार देने और अनिवार्य मतदान के बारे में भी विचार कर रहे हैं। … (*व्यवधान*) ये सभी मुद्दे हमारे सामने हैं। निश्चित रूप से, चुनाव प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और यह सरकार ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है।… (*व्यवधान*) विधि आयोग से प्रतिवेदन मिलने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री प्रहलाद जोशी: महोदया, मुझे अनुपूरक प्रश्न उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

इतनी सारी समितियाँ गठित की गई हैं और समय-समय पर चुनाव सुधार भी किए गए हैं।… (*व्यवधान*) जम्मू और कश्मीर में हाल के चुनावों में केंद्र सरकार की सर्वोत्तम व्यवस्था के कारण 71 प्रतिशत मतदान हुआ। मैं इसके लिए सरकार और चुनाव आयोग को बधाई देता हूं। … (*व्यवधान*)

लेकिन हाल ही में जो हो रहा है वह यह है कि कई चुनावों में लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र तो होंगे लेकिन उनके नाम गायब होंगे। मतदाता सूची का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है।

... (*व्यवधान*) उदाहरण के लिए, फरवरी, 2013 में स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था। जिन लोगों ने फरवरी, 2013 में उस स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान किया था, वे अप्रैल, 2013 में हुए चुनावों में मतदान नहीं कर सके क्योंकि उनके नाम हटा दिए गए थे। जहां तक चुनावी सूची का प्रश्न है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं।... (*व्यवधान*) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहेगी कि किसी को नाम निरस्त करने या जोड़ने के लिए परेशान किए बिना मतदाता सूची का उचित रखरखाव किया जा सके? … (*व्यवधान*)

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां तक इस मामले का प्रश्न है, कई शिकायतें आई हैं। हमें देशभर से कई शिकायतें मिली हैं। … (*व्यवधान*) इन सभी मामलों को चुनाव आयोग के पास भेज दिया गया है और हम यह देखना चाहते हैं कि किसी भी मतदाता को मतदान करने से रोका न जाए। अतः सरकार की यही मंशा है। हम उस पर कार्य कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। … (*व्यवधान*) हम इस मामले में एक कदम आगे बढ़कर काम करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री करुणाकरण बोलेंगे।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या हुआ?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर, प्रश्न संख्या.163 — उपस्थित नहीं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रंजीत रंजन। वह अपना प्रश्न नहीं पूछ रही है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह उचित नहीं है।[हिन्दी] माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं और इस प्रकार से हल्ला होता है तो यह अच्छी बात नहीं है।[अनुवाद] मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या163

(प्रश्न संख्या163)

[हिन्दी]

कर्नल सोनाराम चौधरी :अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं कि पीएमजीएसवाई के तहत रोड्स का बहुत काम हुआ है।...(व्यवधान) उसके जो मापदंड हैं, उनके तहत पहले वहां काम होता है जहां एक हजार लोगों की आबादी है, पांच सौ की आबादी है या ढाई सौ लोगों की आबादी है।...(व्यवधान) परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेगिस्तान के अंदर मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसेलमेर के अंदर ढाणियां हैं।...(व्यवधान) उनकी आबादी बहुत कम है।...(व्यवधान) कहीं 25 लोगों की आबादी है, कहीं 50 लोगों की आबादी है या कहीं 100 लोगों की आबादी है। वहां करीब 90 परसेंट ग्रामीण एरिया में लोग रहते हैं। वहां करीब 50 ऐसी जगह हैं, जहां 15-20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है।...(व्यवधान) एक प्रस्ताव आया था, जिसके तहत ढाणिया को क्लब किया जाना था। ...(व्यवधान) 25, 50 वी आबादी की जो ढाणियां हैं, उनका कलस्टर बनाया जाए, ताकि आबादी वाला जो मापदंड है, वह पूरा हो सके।

मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या वे राजस्थान सरकार को बताएंगे और वहां सर्वे कराकर इसकातरह की जो ढाणियां हैं, उन्हें कलस्टर बनाया जाए ताकि उनकी आबादी ढाई सौ-तीन सौ से ऊपर हो जाए। मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या वहां सड़कों का काम कराने के लिए यहां से फंड्सका एलाटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: अध्यक्ष जी, हमने जो नीति निधाररित की है, उसमें जो मैदानी इलाके हैं उनमें पांच सौ या पांच सौ से ज्यादा की आबादी होगी, वहां हम यहसुविधा दे सकेंगे।...(व्यवधान) इसके साथ-साथ जो स्पेशल कैटीगिरी की स्टेट्स हैं, जिसमें नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स जैसे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड हैं, जो ऐसे इलाके हैं, जहां हमने500 के नियम को 250 किया है,...(व्यवधान) इसी प्रकार से लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिज्म इलाके हैं, उनमें सौ से कम

आबादी के इलाकों को भी कवर करने का निश्चय किया है। जहां तक ढाणियों का संबंध है, अगर कहीं पांच या सात मकान हैं और आबादी उतनी नहीं है, तो हम वहां इस स्थिति को नहीं ले कर जा सकते हैं।...(व्यवधान) लेकिन जैसे माननीय सदस्य ने ढाणियों का कलस्टर कहा है, अगर वे मिलकर पांच सौ की आबादी बनती है, तो वहां हम जरूर सड़क पहुंचा सकते हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. आर सेनथिलनाथन: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया। पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का चयन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। चूंकि 2011 की जनगणना पूरी हो चुकी है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास अधिक गांवों को कवर करने के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण सड़कों के चयन के लिए दिशानिर्देशों को बदलने का कोई प्रस्ताव है। … (*व्यवधान*)

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: किसी विशेष गांव को चुनने का मानदंड एक ही है और वह 2001 की जनगणना पर आधारित है। यह योजना 2000-2001 में शुरू की गई थी और यह 2003-04 के बाद प्रभावी हो गई। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री एम. के. राघवन – उपस्थित नहीं।

श्रीमती हेमामालिनी।

… (*व्यवधान*)

श्रीमती हेमामालिनी : धन्यवाद, महोदया। मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति जानना चाहती हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों की दयनीय स्थिति से बहुत दुखी हूं। दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु वहां आते हैं। वे नंगे पैर ही *ब्रज परिक्रमा* करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण भी इन सड़कों की दयनीय स्थिति के कारण पीड़ित हैं। ... (*व्यवधान*)

मथुरा सबसे धार्मिक स्थलों में से एक होने के नाते, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे इस मुद्दे पर शीघ्र विचार करे। ... (*व्यवधान*)

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: महोदया, यह प्रश्न ग्रामीण सड़कों से संबंधित है, और इसका मथुरा से कोई संबंध नहीं है। … (*व्यवधान*) मथुरा शहर होने के कारण यह राज्य सरकार का क्षेत्र है और राज्य सरकार इस संबंध में कार्रवाई कर सकती है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विपणन जैसी सुविधाएं उपलबध कराती है।...(व्यवधान) इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनाशुरू की गयी थी।...(व्यवधान) तब से अब तक इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है, लेकिन पिछले दस वर्षों में इसमें जितनी गतिशीलता से काम होना चाहिए था, उसमें अवरोध आया है।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के शत प्रतिशत गांवों को इस प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनाके माध्यम से कब तक जोड़ लिया जाएगा?...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह:आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा को देने के लिए जब यह कार्य योजना शुरू की तो शुरू में वर्ष 2012 में जो हमने फंड्स प्रोवाइड किए थे, जो अंशदान दिया था, उसमें से राज्य सरकारों ने 8,885 करोड़ रुपये का उपयोग ही नहीं किया।...(व्यवधान) उसके बाद हमने राज्य सरकारों से निरंतर सम्पर्क बनाकर वर्ष 2013 में यह जो सरप्लस पैसा था, इसे कम कर 4,000 करोड़ रुपये तक लेकर आए।...(व्यवधान) वर्ष 2014 में इसके काम ने गति पकड़ी है।...(व्यवधान) उसके हिसाब से अब सिर्फ 804 करोड़ रुपये विभिन्न सरकारों के पास बचा हुआ है।...(व्यवधान) जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात

की गयी है तो उसमें यह नियम है कि किसी भी गांव की आबादी अगर 500 से ज्यादा की है और वह गांव अगर पहाड़ पर स्थित नहीं है तो हमने वहां सड़क बनाने का फंड दिया है।...(व्यवधान) हमने 84% गांवों को सड़कों से जोड़ा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री मोहम्मद सलीम, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या नहीं?

… (*व्यवधान*)

श्री मोहम्मद सलीम : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन सभा का क्या विचार है? … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप चाहें तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री मोहम्मद सलीम : महोदया, यदि आप 'भाग (ख)' देखें, तो इसका उत्तर कहां है? … (*व्यवधान*) प्रश्न पूछा गया कि [हिन्दी] आपने क्या-क्या प्रस्ताव रिसीव किया है?...(व्यवधान) सरकार कहती है कि वह सदन के पटल पर है, लेकिन जो प्रस्ताव उन्होंने क्लियर किया है, उसमें सिर्फ वही दिया हुआ है।...(व्यवधान) बाकी जो प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं, उसका कोई ब्यौरा नहीं है।...(व्यवधान) वह हमें मालूम होना चाहिए।...(व्यवधान) सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? पार्ट-बी सम्पूर्ण नहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आपके पास इसका ब्यौरा है?

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: मैडम स्पीकर, हमने वर्ष 2014-2015 में 22,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।...(व्यवधान) जैसा मैंने कहा कि अभी तक वर्ष 2014-2015 में हमें 14,391 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और ज्यों-ज्यों राज्य सरकारों से हमारे पास यह आता है, उसी अनुसार हम पैसे रिलीज करते हैं।...(व्यवधान) इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है।...(व्यवधान) अभी भी 800 करोड़ रुपया विभिन्न राज्य सरकारों के पास पड़ा है, जो उन्होंने खर्च नहीं किया।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यदि विस्तृत प्रतिवेदन है, तो आप सदस्य को दे सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपके पास किस-किस स्टेट से क्या रिपोर्ट आयी है, क्या डिमांड आई है, अगर सूचना हो, तो आप माननीय सदस्य को दे सकते हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: जी, महोदया। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) :अध्यक्ष महोदया, यह कहा गया कि आप पहले ही प्रश्नके उत्तर में देखें कि इसमें क्या-क्या पर्याप्त प्रगति हुई है।...(व्यवधान) मैंने पंद्रहवीं लोक सभा में अपने दरभंगा संसदीय क्षेत्र में और जिले में, जिसमें आंशिक रूप से मधुबनी और समस्तीपुर लगते हैं, 442 सड़कों का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 142 सड़क आईं।...(व्यवधान) वर्ष 2012 में राज्य सरकार द्वारा 207 सड़कों की निविदाएं की गयी थीं।...(व्यवधान) जब हमने उस पर आपत्ति की तो उसे कैन्सल किया

गया, क्योंकि वह गड़बड़ था।...(व्यवधान) जब दूसरी बार पुनः वे टेंडर किए गए, तब हूबहू वैसी आपत्तियां आयीं। ...(व्यवधान) यहाँ लोगों के हित में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ने की योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बनायी गयी थी। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वे 207 योजनाएं, जो वर्ष 2012 में तैयार होकर वर्ष 2013 तक बन जानी चाहिए थीं, वे अभी तक अधर में क्यों पड़ी हुई हैं?...(व्यवधान) जिस कम्पनी ने गड़बड़ी की थी, क्या वह ब्लैक लिस्ट हुई, क्या उसके ऊपर एफ.आई.आर. ई और क्या उसकी बैंक गारन्टीज को सीज किया गया है? ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार इसके ऊपर मुझे जवाब दे, क्योंकि, वहाँ के 45 लाख आम लोग इस कारण से सफर कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: महोदया, बिहार के अन्दर 51 प्रतिशत सड़कों पर काम हुआ है और मैं यह मानता हूँ कि बिहार में जिस रफ्तार से प्रगति होनी चाहिए थी, उस रफ्तार से नहीं हुई है। ...(व्यवधान) जहाँ तक ब्लैक लिस्ट करने की बात है, काम का आबंटन करने की बात है, यह प्रान्तीय सरकार का काम है। ...(व्यवधान) हम उनको बुलाकर जो निधाररित मापदंड हैं, उसके अनुसार उनको देते हैं। ...(व्यवधान) जो इररेगुलर टेन्डर्स हुए हैं, उनको कैन्सिल भी किया गया है। ...(व्यवधान) स्टेट को ही उन पर वानूनी एक्शन लेना है और स्टेट को एक्शन लेने के लिए हमने कहा भी है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, यदि आप इस विषय पर और अधिक चर्चा चाहते हैं, तो आप आधे घंटे की चर्चा या ऐसा कुछ करने के लिए नोटिस दे सकते हैं और मैं इसकी अनुमति दूंगी [हिन्दी]क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रश्न पूछना है।

... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 164)

[अनुवाद]

श्री आनन्दराव अडसुल: हमारे विद्युत मंत्री एक बहुत ही ऊर्जावान मंत्री हैं। वे विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं।

वर्ष 2013 में भारत विद्युत उत्पादन में 4.8 प्रतिशत वैश्विक भागीदारी के साथ जापान और रूस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक बन गया है। हालाँकि, यह अपनी स्थापित क्षमता की सीमा तक विद्युत का उत्पादन नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में बिजली की भारी कमी हो गई। कई अन्य देशों की तुलना में *प्रति व्यक्ति* बिजली की खपत भी कम है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूर्ण स्थापित क्षमता का उपयोग करने और अधिक क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री पीयूष गोयल : महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ...(व्यवधान) वास्तव में आज देश की विडम्बना है कि एक तरफ लाखों करोड़ रूपये लगाकर इंस्टाल की हुई कैपेसिटी फ्यूल के लिए तरस रही है। ...(व्यवधान) न गैस है, न कोयला है और जिस प्रकार की नीतियाँ कई वर्षों से चल रही हैं, उसमें गैस के प्लांट तो लगे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में गैस का उत्पादन नहीं हुआ। ...(व्यवधान) बिजली के प्लांट तो लगे, लेकिन कोयले का निर्माण नहीं हुआ। ...(व्यवधान) इस विडम्बना को सॉल्व करने के लिए इस सरकार ने कई कदम उठाये हैं। ...(व्यवधान) एक तरफ गैस की प्राइस जो कई महीने से पूर्व सरकार तय नहीं कर पायी थी, उसे इस सरकार ने तय किया है। ...(व्यवधान) इससे गैस का उत्पादन बढ़ेगा। ...(व्यवधान) विदेश से भी गैस लाकर, गैस के प्लांट ज्यादा से ज्यादा चलें, यह हमारा प्रयत्न है। ...(व्यवधान)

दूसरी तरफ कोयले के आबंटन में हुयी गड़बड़ियों के कारण कई वर्षों तक जो कोयले की खानें बन्द थीं और कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। ...(व्यवधान) उसके बाद हम उसे एक ट्रांसपेरेंट, बहुत ईमानदार तरीके से ई-ऑक्शन द्वारा ऑक्शन करके काम में लायेंगे। ...(व्यवधान) इन कोयले की खदानों से ज्यादा से ज्यादा कोयला उत्पादन हो, इसके लिए कोल इंडिया के प्रोडक्शन को भी हम डबल कर रहे हैं। ...(व्यवधान) एनटीपीसी जैसे जो बाकी उपक्रम हैं, ये भी कोयला उत्पादन करके देश में कोयले केभण्डार को बाहर निकालें, इन प्लांट्स को कोयला मिले और बिजली का उत्पादन बढ़े। ...(व्यवधान) जनता कई वर्षों से त्रस्त है, इंडिपेंडेंस के 67 ईयर्स बाद भी जनता त्रस्त है। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश, झारखंड बिहार में बहुत ही कम बिजली मिलती है। ...(व्यवधान) इन सभी इलाकों में बिजली 24 घंटे 7 दिन मिले, की योजना लेकर हम जनता की सेवा में हाजिर हुए हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आनन्दराव अडसुल : माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र सहित कई राज्य प्रशुल्क विवादों के कारण बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं।... (*व्यवधान*) निजी कंपनियों से बिजली खरीदने के लिए प्रशुल्क तय करने के लिए एक समान नीति होनी चाहिए जो सभी को स्वीकार्य हो।... (*व्यवधान*) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री पीयूष गोयल : सम्मानीय सदस्य प्रश्न उठाना चाहते हैं कि जो पुराने प्लांट्स लगे हुए हैं, वे फिक्स टैरीफ पर कई राज्यों को बिजली देते हैं। विदेशी कोयले की कीमत बढ़ने और भारतीय रुपए की कीमत घटने से, उनमें कठिनाइयां चल रही हैं। ...(व्यवधान) यह विवाद कई महीनों से चल रहा है। ...(व्यवधान) यह विवाद सुप्रीम कोर्ट और ऐपटेल में सबजूडिस है। ...(व्यवधान) पिछले ऑर्डर में ऐपटेल ने यह कहा है कि जो 5 राज्य इससे प्रभावित हैं और जो दो कंपनियां ऐपटेल में गई हैं, वे

मिल-जुल कर लचीले तरीके से कुछ न कुछ एग्रीमेंट के साथ ऐपटेल में पेश हों, तभी इन प्लांटों के लिए सलूशन निकल सकता है। ...(व्यवधान)

जहां तक फ्यूचर की बात है, हम समझते हैं कि जो पुरानी गाइडलाइन्स हैं उनको रीलूक करने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) इनमें कुछ फ्लॉस हैं, कुछ इम्प्रैक्टिकलिटिज हैं, इसलिए स्पेशल कमेटी बैठाने के लिए तय किया गया है, जो इस पूरे बीडिंग डॉक्यूमेंटसऔर बीडिंग के तरीके को नए परिप्रेक्ष्य में देख कर, एक ऐसी परियोजना बनाये जो आगे कभी कठिनाई न दे। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव: विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश और विद्युत क्षेत्र में बी.ओ.टी. और डी.बी.एफ.ओ.टी. मार्ग के तहत निजी कंपनियों की भागीदारी निश्चित रूप से देश की विद्युत आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।मुझे लगता है कि इसका कारण प्रतिकूल बोली प्रक्रिया और तत्संबंधी औपचारिकताएं हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विद्युत उत्पादक संघ के किसी प्रतिनिधिमंडल ने बोली प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए सरकार से संपर्क किया है।उनके प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी?

[हिन्दी]

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया जी, माननीय सदस्य ने यू.एम.पी. पी. के संदर्भ में विषय उठाये हैं, वर्ष 2013-2014 में कुछ बीडिंग गाइडलाइन्स चेंज किये गये थे। पहले जो बीडिंग गाइडलाइन्स थे, जिनमें 4 यू.एम.पी.पीज. एलॉट किए गए, उन गाइडलाइन्स के हिसाब से6 टैरीफ रहते थे जिसमें अगर फ्यूल का कॉस्ट बढ़े तो लोगों को कठिनाई आये। ...(व्यवधान) वर्ष 2013-14 में नई गाइडलान्स बनी, उनमें फ्यूल को अलाउ किया गया लेकिन साथ ही साथ 3 कंडीशंस रखी गईं।...(व्यवधान)

1. प्लांट 30 वर्षों के बाद सरकार को वापस ट्रांसफर होंगे। हो सकता है कि दोनों पार्टिज में से कोई एक चाहे तो 15 वर्ष के लिए एक्सटैंशन मिल सकता है लेकिन यह गैरन्टी नहीं है। ...(व्यवधान)

2. साथ ही साथ एक इंडीपेन्डेन्ट इंजीनियर की कल्पना की गई जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स् को बड़ा इंक्लूसिव लगा और उसके पावर्स बहुत ज्यादा लगे। ...(व्यवधान)

3. तीसरा जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, वे प्राइवेट प्रोड्या्ूसर्स को सूटेबल नहीं लगे...(व्यवधान)

एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स और अन्य कम्पनियों ने सरकार के पास यह दरख्वास्त की है कि इसको रीलूक किया जाए।...(व्यवधान) साथ ही साथ कई कम्पनियां जो यू.एम.पी. पी. के लिए आर.एफ.पी. कर चुकी थी उन्होंने अपने बीड को विथड्रा किया है। ...(व्यवधान) इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए, एक एक्सपर्ट ग्रुप बैठा कर, इसके द्वारा पूरी गाइडलाइन्स, डी.बी.एफ.ओ.टी. जो नई गाइडलाइन्स हैं जिन पर यू.एम.पी.पी. बीडिंग हो रही थी, पूरे को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है।...(व्यवधान) उस कमेटी के रीकमेंडेशंस के बाद इस पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। ...(व्यवधान

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो चीजों का जिक्र किया है --

[अनुवाद] निर्धारित और ईंधन शुल्क में वृद्धि को पूर्व-निर्धारित मापदंडों से जोड़ा गया है और ईंधन लागत को पास-थ्रू विषय के रूप में अनुमति दी गई है। [हिन्दी] दूसरा जिक्र किया है कि एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोडूसर्स की बॉडी ने डीबीएफओटी के ऊपर दो ऑब्जैक्शन डाले हैं।...(व्यवधान) मेरा सवाल मंत्री जी से यह है कि जैसे अभी पैट्रोल और डीजल के प्राइस प्रत्येक 15 दिन में रिवाइज़ हो रहे हैं, उसी तरह गैस के प्राइस देश, दुनिया में हमेशा रिवाइज़ होते हैं। ...(व्यवधान) उन्होंने फिक्स कर दिया है कि छ: महीने में उसे रिवाइज़ करेंगे। लेकिन गैस के प्राइस हमेशा डाउन हो रहे हैं या ऊपर हो रहे हैं। उसी तरह अब इंडियन कोल के मुकाबले इम्पोर्टेड कोल ज्यादा सस्ता नज़रआ रहा है।...(व्यवधान) इसे वे कन्ज्यूमर के ऊपर कैसे पास आन करेंगे या इनका बिडिंग डॉक्यूमैंट किस तरह की क्लैरिटी है, मंत्री जी इसे एक्सप्लेन करें?

श्री पीयूष गोयल :अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, पहली बात गैस के दाम भारत में नियोजित किए जाते हैं, 5.61 डालर का रेट तय किया गया है। ...(व्यवधान) अंतर्राष्ट्रीय गैस की कीमतें जरूर जुलाई से कम हुई हैं, लेकिनवह डायनामिक प्रोसैस है, गैस कम होगी, ज्यादा होगी। ...(व्यवधान) वैसे ही इम्पोर्टेड कोल सस्ता जरूर हुआ है लेकिन भारतीय कोल इंडिया लिमिटेड के दामों से अभी भी महंगा है। जो नए डॉक्यूमैंट डीबीएफओटी में बनाए गए हैं, उसमें जब दाम बढ़ेंगे और जब घटेंगे, दोनों तरफ के फ्यूल एडजस्टमैंट का प्रोविजन है। ...(व्यवधान) जब भी दाम घटेंगे, उसका बैनीफिट कन्ज्यूमर को पास थ्रू होगा, यह प्रोविजनइस डॉक्यूमैंट में है। इन्होंने जो आपत्ति उठाई है, वह इस प्रोविजन में नहीं है।...(व्यवधान) एपीपी ने आपत्ति उठाई है या प्राइवेट प्लेयर्स ने जो आपत्ति उठाई है, जमीन और ट्रांसफर ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर तीस वर्ष की बात है, उसके ऊपर है, टैक्नीकल स्टैन्डर्ड पर है और इंडीपैंडैंट इंजीनियर पर है। जहां तक कन्ज्यूमर बैनीफिट की बात है, वह पॉज़िटिवली पास आन होगा।

(प्रश्न संख्या 165)

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना : यदि हम यूनियन बजट 2014-15 को देखें, तो वस्त्र उद्योग को जो भी चाहिए था, लगभग सब कुछ मिल गया, साथ ही 425 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन भी मिला, तो बजट 2013-14 के संशोधित आवंटन में क्या प्रस्ताव किया गया था। … (*व्यवधान*) यदि मैं ओडिशा की बात करूं, तो ओडिशा के 30 जिलों में से 24 जिले वस्त्र और कपास उत्पादन से जुड़े हुए हैं। … (*व्यवधान*) कपास के उत्पादन में लगभग 1,03,000 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। ओडिशा में हर वर्ष 3 लाख से अधिक गांठों का उत्पादन किया जाता है।1970 और 1980 के दशक में, भारत की तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने न केवल ओडिशा के कपास की सराहना की, बल्कि स्वयं भी वहां की साड़ियाँ उपयोग करती थी ।… (*व्यवधान*) वर्ष 2014 में हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए, वस्त्र उद्योग में दिए गए महत्व पूर्ण योगदान और विशेषज्ञता के लिए ओडिशा के कार्यबल की बहुत सराहना की। … (*व्यवधान*) उपरोक्त के आलोक में, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह पिछले केंद्रीय बजट में घोषित 6 क्लस्टरों की तर्ज पर ओडिशा राज्य में वस्त्र टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापित करेंगे।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार :अध्यक्ष महोदया, यह सवाल टैक्नीकल टैक्सटाइल से संबंधित है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है, हम उनकी भावना को समझते हैं। हमारी नजर में ओड़िशा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ओड़िशा में टैक्सटाइल क्लस्टर बने, यह हमारी रूचि भी है और हम इससे आगे बढ़कर चाहते हैं कि वहां टैक्सटाइल पार्क की स्थापना भी करें। हम माननीय सदस्य से कहना चाहेंगे कि वे उद्यमियों को तलाश करें। अभी हमने विज्ञापन निकाला है। [अनुवाद] टैक्सटाइल पार्क और टैक्सटाइल क्लस्टर दोनों के संबंध में वे जो सहयोग चाहते हैं, उन्हें देने का प्रयास करेंगे।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना : महोदया, हमारे क्षेत्र से जितनी भी जमीन चाहिए, हम स्टेट गवर्नमेंट से मांग कर दे देंगे। [अनुवाद] मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि, विजन 2014-15 के लिए विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में, 2024-25 तक 300 बिलियन निर्यात का लक्ष्य हासिल करने और इसमें लगभग 35 मिलियन लोगों को रोजगार देने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इससे यह सबसे अधिक रोज़गार देने वाला क्षेत्र बनने जा रहा है। उस विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में विशेषज्ञ समिति द्वारा दस सूत्रीय एजेंडा निर्दिष्ट किया गया है। बिंदु सं. 9 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार को इस उद्योग को बढ़ावा देने और विकास के लिए राज्य सरकार के साथ भागीदारी करने की आवश्यकता है। इसलिए, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या ओडिशा सहित विभिन्न राज्य सरकारों के साथ भागीदारी के लिए कोई प्रयास किया गया है? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो भागीदारी कब होगी और इसकी समय-सीमा क्या है?

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार :हम माननीय सदस्य की भावना से सहमत हैं और हम इस बात को जानते हैं कि कृषि के बाद टेक्सटाइल क्षेत्र में संभावनाएं सबसे आधिक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की रुचि इस क्षेत्र में है। वे टेक्सटाइल क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। ...(व्यवधान) इसका बहुत अधिक स्कोप है। उड़ीसा के संदर्भ में निश्चितरूप से जो भी अधिकतम प्रयास होगा, हम इस ओर ध्यान देंगे और इस कामको करेंगे। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य से बातकरके इस संदर्भ में जो भी उनका सुझाव है, उसको हम प्राप्त करके क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री बदरुद्दीन अजमल :महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि असम में जूट की बहुत एवेलिविलिटी है, इसकी जबर्दस्त खेती होती है। मेरे क्षेत्र मनकचर और धुबड़ी में इन सब जगहों पर जूट का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, लेकिन पहले इंडस्ट्रीज थी। (व्यवधान) अब किसानों ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उनको वह रेट नहीं मिलताहै। क्या गर्वनमेंट ऑफ इंडिया इस मामले पर ध्यान देगी? मैं मंत्री से पूछाना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा इंडस्ट्री वहां कायम करेगी जिससे इसकी खेती का उत्पादन हो और इन किसानों को इसका लाभ मिले।

श्री संतोष कुमार गंगवार :महोदया, हमारी रुचिनार्थ-ईस्ट के लिएबहुत है। हम इसके लिएअलग से दिनांक 20 को असम जा रहे हैं। जिस विषय का सवाल आज यहां पर माननीय सदस्य ने उठाया था, टेक्निकल टेक्सटाइल का, एक बड़ा काम है जिसमें करीब 425 करोड़ रुपये हम लोग खर्च कर रहे हैं।यह आने वाले समय में हमने नार्थ-ईस्ट के लिएतय किया है। उसके तहत इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करेंगे और इस दिशा में हमने बहुत जल्द ही फैसला लिया है।

[अनुवाद]

डॉ. प्रभास कुमार सिंह : महोदया, यह ओडिशा के वस्त्र उद्योग के संबंध में है। पिछली बैठक के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने सम्बलपुर में एक बैठक को संबोधित करते हुए, सम्बलपुर टाई एंड डाई की बहुत प्रशंसा की। अब असली बुनकर, जो अपनी इस विरासत को आगे ले जा रहे हैं, वह सम्बलपुर के वस्त्र उद्योग और हथकरघों में विद्युत करघों के आने से बर्बादी के कगार पर है। उन्होंने बाज़ार का अतिक्रमण कर लिया है और अब बुनकर मजदूरी के लिए विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं। उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं केंद्र सरकार से इस मामले पर विचार करने का आग्रह करता हूं ताकि विद्युत करघा क्षेत्र हथकरघा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। इस संबंध में सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार :महोदया, जो वे कह रहे हैं उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, यह बात सही है कि विवर्स को उतना मानदेय नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए। हम लोग मिलकर उसकी चिंता कर रहे हैं कि विवर्स की संख्या कम न हो, बल्कि और बढ़े। यह हमारी रुचि का विषय है। ...(व्यवधान) इस संबंध में हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि जो भी इस संबंध में उनके सुझाव हों, हमको देने का कष्ट करें।

---

†प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 166 से 180

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070)

† प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष:अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 944/16/14)

(2) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेटएक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 945/16/14)

(3) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीव्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 946/16/14)

(4) (एक) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 947/16/14)

(5) (एक) बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे *

(दो) बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)*

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 948/16/14)

(6) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 949/16/14)

(7) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 950/16/14)

(8) (एक) वुलइंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 951/16/14)

(9) (एक) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एकप्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 952/16/14)

(10) (एक) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 953/16/14)

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल):

मैं निम्नलिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

. (दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन परनियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

. [ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 954/16/14)

(ख) (एक) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

. (दो) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

. [ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 955/16/14)

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.. 2770(अ) जो 28 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.. 2155(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 956/16/14)

(3) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

. (एक) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र (दिल्ली को छोड़कर) के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहु-वर्ष संवितरण प्रशुल्क) विनियम, 2014 जो11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जे.ई.आर.सी.-18/2014 में प्रकाशित हुए थे।

. (दो) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा का प्रापण) पहला संशोधन विनियम, 2014 जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जे.ई.आर.सी.-14/2010 में प्रकाशित हुए थे।

. (तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 जो 12 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/144/2013/सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

. (चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत तंत्र विकास निधि) विनियम,2014 जो 10 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/148/2014/सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपरोक्त उल्लिखित प्रपत्र (3) को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 957/16/14)

(5) (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 958/16/14)

(6) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 959/16/14)

(7) (एक) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 960/16/14)

(8) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्युवेबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्युवेबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 961/16/14)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 962/16/14)

(2) (एक) मुंबई पोर्ट न्यास, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुंबई पोर्ट न्यास, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मुंबई पोर्ट न्यास, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) मुंबई पोर्ट न्यास, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 963/16/14)

(3) (एक) कोचिन पोर्ट न्यास, कोचिन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पोर्ट न्यास, कोचीन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कोचीन पोर्ट न्यास, कोचीन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कोचिन पोर्ट न्यास, कोचिन के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 964/16/14)

(4) (एक) चेन्नई पोर्ट न्यास, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पोर्ट न्यास, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 965/16/14)

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रति:-

(एक) का.आ. 1545(अ) से का.आ. 1548(अ) जो 17 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 467(अ) जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (डिब्रूगढ़ बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 487(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 और 52 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अतिरिक्त उप-आयुक्त (भूमि अर्जन), जिला सोनितपुर, असम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 488(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 और 52 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अतिरिक्त उप-

आयुक्त (राजस्व), गोलाघाट, असम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1147(अ) जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (अगरतला-सबरूम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 2371(अ) जो 16 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (डिमोब सेडिब्रूगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमिके अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 2372(अ) जो 16 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 और 52 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अतिरिक्त उप-आयुक्त (राजस्व), गोलाघाट, असम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2373(अ) जो 16 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (नुमालीगढ़ से दा-धारा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 489(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण,अनुरक्षण,

प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किएजाने के बारे में है।

(दस) का.आ. 1530(अ) जो 16 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ..1147(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ. 668(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37क (कलियाभोमोरा ब्रिज-डोलाबारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 669(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37क (कलियाबोर तिनियाली-कलियाभोमोरा ब्रिज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 803(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुंभकोणम-तंजाबुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 860(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 और 4 कोजोड़ने वाली

चेन्नई बाईपास (फेज-I) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन औरप्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1065(अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजाबुर-मनमदुराई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालनके लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1070(अ) जो 11 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर-मनमदुराई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालनके लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 966/16/14)

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

(अनुवाद)

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश के बारे में सूचना देनी है:-

'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 14 अगस्त, 2014 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है: -

> "कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा द्वारा 1 अगस्त, 2014 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किए गए प्रस्ताव में निर्धारित उद्देश्यों के लिए लाभ के पदों संबंधी एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए और इस सभा को सूचित किया जाए और यह संकल्प लिया जाए कि यह सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से पांच सदस्य निर्वाचित करें।"

2. मुझे लोक सभा को यह सूचना भी देनी है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार शुरू की गई चुनाव प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, राज्य सभा के निम्नलिखित चार सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:-

(एक) श्री दिलीपभाई पंड्या

(दो) श्री सुखेन्दु शेखर राय

(तीन) श्री के.सी. त्यागी

(चार) श्री सी. पी. नारायणन

3. मुझे यह भी सूचित करना है कि समिति में शेष एक रिक्ति को भरने के लिए, राज्य सभा के वर्तमान सत्र के दौरान ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा रही है।'

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री पी. करुणाकरन सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. (श्रीमती) रत्ना डे प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री खड़गे बोलेंगे।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, हम हमारी ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप एक मिनट रुकिये।

बात यह है कि आपने जो स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, वह [अनुवाद] भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क लागू किए जाने पर है। [हिन्दी] ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सम्माननीय सदस्य हैं। आप सबसे बड़े आपोजिशन दल के नेता भी हैं। आपने जो स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था और प्रश्न काल के सस्पेंशन का जो नोटिस मेरे पास आया है, उसका विषय बिल्कुल अलग है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :कृपया आप मेरी बात भी समझिये। 400 सदस्य कुछ चाहते हैं और आपका एक ग्रुप कुछ अलग चाहता है। आपने जो नोटिस दिया उस पर आप बोलते कि हमें इस विषय पर कुछ बोलना है, तो बात ठीक बनती है, मगर ऐसा नहीं है। कल जो विषय हो चुका है, माफी मांगी जा चुकी है, सब कुछ कल होने के बाद ...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :मैं आपको नहीं बोल रही हूं और न ही आपका नोटिस है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। मैं श्री खड़गे से पूछ रही हूं।[हिन्दी]आपने जो नोटिस दिया है, उस विषय पर आपको कुछ कहना है, तो मैं आपको बोलने की अनुमति देती हूं।

जब आप सब अपनी-अपनी जगह पर जायेंगे तभी आपके नेता बोल पायेंगे। मैं हर एक को बोलने नहीं दे सकती । यहां खड़े रहकर बात नहीं हो सकती।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया आप अपने-अपने स्थान पर जाइए। फिर मैं श्री खड़गे जी से कुछ पूछूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: उन सभी ने नोटिस दिया है। [हिन्दी] श्री गौरव गोगोई ने चर्च के बारे में नोटिस दिया है। कल इस पर पूरी चर्चा हुई है और गृह मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया था। मैंने उस विषय को यहां उठाने दिया था। सॉरी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :पहले आप सब अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। यह पद्धति नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :हमने प्राइम मिनिस्टर से क्लेरीफिकेशन पूछा था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आपने जो नोटिस दिया है, उसकी बात न करके आप जो चाहे, उसे उठायेंगे तो ऐसा नहीं होता है। आप भी एक जिम्मेदार सदस्य हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आप सब पहले अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आप सब पहले अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप सभी लोग कृपया अपनी सीटों पर जाइए।

…(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष :अगर आप वैल में बोलेंगे तो मैं कैसे सुनूंगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर जाइए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष :सबसे पहले आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आपके सदस्य सिर्फ, आपके सदस्य है, मैंने ऐसा बोला।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी सीट पर जाइए।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाएंगे तो उनको बोलने का मौका मिलेगा। ऐसे नहीं होता है।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष :आप सीट पर जाएंगे तो खड़गे जी बोलेंगे।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सबसे पहले, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाइए। मुझे खेद है।

…(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। सबसे पहले, आपको अपनी सीटों पर वापस जाना होगा। आप सभी को अपनी सीटों पर वापस जाना होगा। कृपया वापस जाएं।

…(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष :आप सब लोग अपनी सीट पर जाइए। मैं खड़गे जी की बात समझ लूंगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : पहले सब लोग सीट पर जाइए तो मैं खड़गे जी की बात समझूंगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : पहले सब लोग अपनी सीट पर जाइए, खड़गे जी क्या कह रहे हैं, मैं समझ लूंगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सबसे पहले, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाइए। मुझे खेद है।

…(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हाउस ऑर्डर में नहीं था। आपने क्वैश्चन ऑवर में मौका नहीं दिया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई नोटिस नहीं था।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हाउस ऑर्डर में नहीं था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी अपने आर्डर से नहीं बोल रहे थे। आपने जो नोटिस दिया, उस पर नहीं बोल रहे थे।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपका माइक भी ऑन नहीं है। [अनुवाद] कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

…(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष :खड़गे जी, आपके लोग आपको बोलने नहीं देना चाहते हैं। मैं क्या करूं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके अपने लोग आपको बोलने नहीं देना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, उनको बोलिए कि आपकी मदद करें। सब अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको अलाऊ कर रही हूं। आप अपनी सीट पर चले जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, मुझे मालूम है कि आपकी सीट कहां है। यह नेता जी की सीट है। आप अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप खड़गे जी की मदद कीजिए। अपने नेता की मदद कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :बाद में जो भी हो। पहले अपने नेता का सम्मान कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

इस समय, कुमारी सुष्मिता देव, श्री पी. करुणाकरण और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप सब शांत बैठ जाएं।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : यहां से आवाज़ नहीं आएगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ?

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बोलिए। कोई आवाज़ नहीं करेगा। सब चुप बैठेंगे।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, क्या आप बोलना चाहेंगे?

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी को बोलने दीजिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : आप भी तो कल से एक महिला के पीछे पड़े हैं इसलिए महिलाएं नाराज़ हो रही हैं। प्लीज़ जाइए

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिए। क्या हो रहा है? आप क्यों नहीं जाते हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 12.08 बजे

इस समय, कुमारी सुष्मिता देव, श्री पी. करुणाकरण और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, आप भी दुखी हैं और हम भी दुखी हैं। ...(व्यवधान) ऐसे करके ठीक नहीं कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया चुप हो जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यहां से आवाज आ रही है। यह अच्छी बात नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ये अपनी प्रूव्ड मेजोरिटी से हमें दबाना चाहते हैं।... [अनुवाद] वे हमें उकसा रहे हैं। चूँकि आपके पास बहुमत है तो आप हमें दबाना चाहते हैं? हमने ऐसे कई दिन देखे हैं। ...(*व्यवधान*) [हिन्दी] इसलिए हमें दुख होता है कि एन्टायर ओपोजिशन आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्रधानमंत्री से एक स्टेटमेंट दिलाइए, क्योंकि उनके एक मंत्री महोदय ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज उनको बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैंने उन्हें अनुमति दी है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसका मतलब है कि कोई भी बात न करना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :अध्यक्ष महोदया, हम सिर्फ यही चाहते थे कि केवल इस सदन के नेता और नेता सबके हैं जब सदन में रहते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं और सभी के प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को कंट्रोल करने के लिए या उनको हिदायत देने के लिए उन्हीं का आख्तियार होता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए सारा सदन यह चाहता था कि ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे अपोजीशन की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सारा देश यह चाहता है ...(व्यवधान) कि ऐसे वक्तव्य को कंडेम करने के लिए सारा देश अपेक्षा करता है। ...(व्यवधान) इसीलिए प्रधानमंत्री जी से हम चाहते थे। ...(व्यवधान) लेकिन इंटायर अपोजीशन आपसे रिक्वेस्ट करकेउनके स्टेटमेंट के लिए प्रतीक्षा कर रहा था।...(व्यवधान) हम यह चाहते थे कि कम से कम आप हमारे रक्षण के लिए आएंगी। ...(व्यवधान) ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। ...(व्यवधान) यदि सदन में 10 लोग आए तो हाऊस एडजर्न हुआ, ...(व्यवधान) 20 लोग थे तो भी एडजर्न हुआ ...(व्यवधान) और आप भी उस सबकी आई-विटनेस

थीं और हैं। ...(व्यवधान) इसके बावजूद, आज 80-90 लोग ठहरकर, सभी पार्टियों के लोग आपसे भी विनती कर रहे थे, ...(व्यवधान) लेकिन मुझे यह लगा कि आज आपने भी मुझे परमिशन नहीं दिया। ...(व्यवधान) शायद, मैं यह तो नहीं कह सकता ...(व्यवधान) कि उनके दबाव में आकर आपने दिया होगा...(व्यवधान) मैं यह तो नहीं कह सकता कि आप उनके दबाव में आकर दिये हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप भी थोड़ा शॉर्ट में अपनी कहिए, किसी को उत्तेजित न करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं तो कोई भी रिकार्ड नहीं होगी।

... (व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष : यदि कोई गलत बात होगी, तो मैं देख लूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर को बोलते ही क्यों हैं? चेयर ने आपको कुछ नहीं बोला, चेयर को कोई नहीं बोलता।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :मैंने यह बोला कि आपने दबाव में आकर ऐसा किया, ...(व्यवधान) ऐसा मैंने नहीं बोला। ...(व्यवधान) मैं तो यह स्पष्ट बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान) लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वातावरण सृजित हुआ, ...(व्यवधान) हमें क्या महसूस हो रहा है, हमारी इतनी कोशिश करने के बाद भी एक घंटे तक यह चला रहा है, ...(व्यवधान) लेकिन आपने मुझे आशीर्वाद नहीं किया। ...(व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने के लिए नहीं कहा। ...(व्यवधान) इससे मुझे बड़ा दु:ख हुआ। ...(व्यवधान) यह

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ठीक नहीं है, यदि ऐसा हुआ तो किस ढंग से डेमोक्रेसी चलना चाहिए। ...(व्यवधान) आप तो जानते हैं, आप से पहले भी इस सदन में पेपरवेट्स फेंके जाते थे, पेपर फाड़ा जाता था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह चर्चा नहीं करनी है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :हमने शांतिपूर्ण ढंग से आपके सामने आए, अपने सभी विचार रखे।...(व्यवधान) लेकिन इतने शांतिपूर्ण ढंग से विचार रखने के बावजूद भी हमको मौका नहीं मिला । प्रधानमंत्री जी यहां आकर स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है? इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस ढंग से अगर सदन को चलाना चाहते हैं कि आपकी मेजॉरिटी है, कुछ भी कर सकते हैं, अगर उनके ऐसे विचार हैं तो यह डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है।...(व्यवधान) मैडम, आपको इसे कंट्रोल करना चाहिए।...(व्यवधान) आप कस्टोडियन हैं, हरेक सदस्य की बात को उतनी ही सपोर्ट देनी चाहिए, जितनी उनकी बात को देती हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, अब बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसलिए सरकार के ऐसे एटीट्यूड और बिहेवियर को हम कंडेम करते हैं।...(व्यवधान) उनकी यह आदत ठीक नहीं है।...(व्यवधान) इस सदन में हमेशा प्रधान मंत्री आकर ऐसे स्टेटमेंट देते रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं यही बोलना चाहता हूं। इसीलिए मैं रिप्लाई चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैडम, मैं कुछ कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप जी, आपका कोई नोटिस नहीं है। मैं इसे एलाऊ नहीं करूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैं सभी को एलाऊ नहीं करूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी ने चेयर के लिए कुछ कहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आपका कोई नोटिस नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनिए। [अनुवाद] अब मैं कुछ कहना चाहती हूं।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान) ...**

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : किसी की कोई नोटिस नहीं है, इसलिए आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए। पहले मेरी बात सुनिए। चेयर के बारे में कुछ कहा गया है। [अनुवाद] आपको बैठ कर मेरी बात सुननी होगी।

… (*व्यवधान*)

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप शांति से बैठिए। प्लीज बैठ जाइए।

करूणाकरण जी, आप बैठ जाइए। जब प्रश्न पूछने के लिए आपका नाम लिया, तब आप नहीं बोले। अब आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय खड़गे जी ने सदन में कुछ बात उठाई। पहली बात यह है कि सदन के कुछ नियम हैं, मुझे उनके अनुसार चलना है। माननीय खड़गे जी, आपने जब भी किसी संदर्भ में नोटिस दी, मैंने उसे एलाऊ किया है। आपने जब माफी की बात कही थी, यहां माफी मांगी गयी है। हमारे मंत्री जी ने बोला। जिन्होंने कहा था, उन्होंने माफी मांगी थी। उसके बाद हमने सदन की कार्यवाही चलाई। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। यह बात हो गयी थी। आज आपकी नोटिस केवल और केवल सेंट्रल एक्साइज के बारे में है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरी बात सुनिए।

कल भी यहां हर चीज पर हमने स्टेटमेंट दिलाए हैं। आपने छत्तीसगढ़ की बात कही, मंत्री जी ने जवाब दिया। चर्चा का मामला आप लोगों की तरफ से उठाया गया, सही बात है, मंत्री जी की ओर से जवाब भी आया। आपकी, अब आप अपने आपको सभी विपक्ष की ओर से बोल रहे हैं, तो सभी किसी भी बात को यहां से अन-नोटिस्ड नहीं जाने दिया गया। आपने जिस प्रकार से कहा, चेयर पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। यह आपने अनुभव किया होगा कि हर उस बात का जवाब मंत्रिमंडल की तरफ से दिया गया।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट मेरी बात सुनिए।

विदेश से आने के बाद आज तक की यह परिपाटी है, मैं भी सदन में देखती आई हूं कि विदेश मंत्री उस पूरी बात का ब्यौरा देता है, स्टेटमेंट यहां रखता है। आप जो बोल रहे हैं प्रधान मंत्री जी इसके बारे में बोलें, जब एक बार मंत्री ने बोलदिया, स्वयं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने एक प्रकार से कहा कि यह बात उचित नहीं, तो स्वयं मंत्री द्वारा माफी मांगने के बाद मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : आप तो बोलो ही मत, नहीं तो मुझे वही बात दोहरानी पड़ेगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : इसलिए बिना नोटिस दिए आप अगर कुछ बोलना चाहें तो मैं क्वेश्चन ऑवर में परमीशन नहीं दे सकती, इसलिए अभी आपको बोलने का मौका दिया था। क्वेश्चन ऑवर में आपके एडजर्नमेंट की जो नोटिस थी, अगर आप उसे उठाते तो एकाध मिनट मैं सुन भी लेती, लेकिन मैंने आपका एडजर्नमेंट नोटिस एलाऊ नहीं किया था।

खड़गे जी, आप भी जानते हैं। यह कोई अर्जेंट बात नहीं थी। जब अर्जेंट थी, मैंने तुरंत उसकी नोटिस लेकर मंत्री जी से माफी मांगने के लिए कहा। इसलिए इस प्रकार से कमेंट नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : वेल में आने के बाद मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होती। जब 400 सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं, मैं उनकी अवहेलना भी नहीं वर सकती। मुझे इनको भी संभालना है, मुझे आपको भी तवज्जो देनी है। मैं अपनी तरफ से इसके लिए कोशिश कर रही हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि अब इस तरह की बातें नहीं हों तो अच्छा है। अब मैं जीरो ऑवर प्रारंभ कर रही हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या बोलना चाहते हैं, विषय लिखकर दो, तब तक जिन्होंने लिखकर दिया है, कानूनन जिनका आधिकार बनता है वहींसे शरुआत करती हूं। आपको क्या बोलना है, आप लिखकर दे दो।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : महोदया, कल यह मुद्दा उठाया गया था। माननीय मंत्री श्री वैंकैय्या नायडू जी ने एक वक्तव्य दिया।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप किसी विषय को उठाना चाहते हो। बोलिये।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : उन्होंने इस विषय पर स्पष्ट रूप से मेरी पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस और श्री तापस पॉल का भी उल्लेख किया। मुझे यह बोलने और स्पष्ट करने के लिए अनुमति प्राप्त करने का विशेषाधिकार है कि माननीय मंत्री ने क्या कहा और हमारा दृष्टिकोण क्या है.. (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय हो गया। आप इसे दुबारा न उठाएं। उस पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : यदि आप मुझे समय नहीं देंगे तो मुझे एक शब्द में बताना होगा कि श्री खड़गे जी ने क्या कहा है। हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं और उनका समर्थन करते हैं। हम श्री खड़गे जी द्वारा दिए गए वक्तव्य का समर्थन करते हैं और हम सभा-भवन से बाहर जा रहे हैं... (*व्यवधान*) आप हमें बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं... (*व्यवधान*) यह उचित नहीं है… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं अलाऊ कर रही हूं। [अनुवाद] मैं आपको इजाजत दे रही हूं।

श्रीमती रत्ना डे

श्री जितेन्द्र चौधरी -- उपस्थित नहीं

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : पहले नम्बर पर रत्ना डे का नाम है, मैं उन्हें पूछ रही हूं, वे अपना प्रश्न उठाना चाहती हैं क्या? [अनुवाद] श्रीमती रत्ना डे, क्या आप अपने विषय - केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर बोलना चाहेंगी?

डॉ. रत्ना दे (नाग) (हुगली): अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुगली... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.22 बजे</u>

इस समय पर, श्री सुदीप बंदोपाध्याय और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैय्या नायडू): अध्यक्ष महोदया, मैं दूसरे सदन में था, सभा की कार्यवाही हो या नहीं हो रही हो, मुझे वहां रहना था, इसीलिए मैं वहां गया। मुझे बताया गया है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरा नाम किसी संदर्भ में लिया गया है। मैंने ममता जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है।

माननीय अध्यक्ष: आपने कल जो कहा, उसके बारे में वह कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते थे। यह ठीक है।

श्री एम. वेंकैय्या नायडू: मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं। मैं ममता जी का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने जो कहा वह यह था कि उनकी निंदा करने की आदत थी। लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा जी ने माफी नहीं मांगी। इसी मामले में मैंने इनका उल्लेख किया था। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। वे प्रतिदिन कुछ न कुछ कहना चाहते हैं और सरकार को दोष देते हैं। केवल सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। उन्हें यह समझना चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री छोटे लाल जी।

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : आपने मुझे आति महत्वपूर्ण विषय को शून्य काल में बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में ग्राम खैराही, बराईदार, डडिहरा ब्लॉक मैअरकुल, रेनूकोट, जिला सोनभद्र इत्यादि गांवों में पीने का पानी दूषित हो गया है, उसमें फ्लोराइड है। वहां पर बड़े-बड़े डैम तथा कई बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जिनका गंदा पानी डैम में गिरता है, जिसकी वजह से वहां का पानी जहरीला हो गया है। जिले के आधिकारी और राज्य सरकार भी इस बात से अच्छी तरह से अवगत है, लेकिन कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहां के लोग दूषित पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियों, जैसे विकलांगता, फ्लेरिया आदि रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। यह ख़बर इंडिया न्यूज़ तथा दैनिक समाचारों के माध्यम से भी प्रकाशित की जा चुकी है। मैं स्वयं उस गांव का दौरा कर चुका हूं सभी आधिकारियों को अवगत करा चुका हूं। मैं सदन के

माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज-सोनभद्र के सभी हेण्डपाइप की जांच करा कर लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए उचित व्यवस्था की जाए, आपकी आति कृपा होगी।

[अनुवाद]

***श्री पी. आर. सुंदरम (नामाक्कल):** धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया। माननीय *पुराचिथलाइवी* अम्मा के दक्ष मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में बर्ड फ्लू को नियंत्रित करने और रोकने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। नामाक्कल में अंडों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नामाक्कल में प्रति दिन 3 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है। उसमें से 1 करोड़ अंडे देश के विभिन्न राज्यों में भेजे जाते हैं और विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। माननीय *पुराचिथलाइवी* अम्मा के दक्ष मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार ने पिछले सप्ताह माननीय मंत्री की अध्यक्षता में और जिला कलेक्टर की उपस्थिति में मुर्गी पालकों को बर्ड फ्लू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी देने के लिए एक बैठक की। मैं भी उस बैठक में शामिल हुआ था। माननीय *पुराचिथलाइवी* अम्मा के मार्गदर्शन में काम कर रही तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि तमिलनाडु राज्य में बर्ड फ्लू बीमारी व्याप्त नहीं है। तमिलनाडु पोल्ट्री किसान संघ के बयान के मुताबिक, अंडों की कीमतें कम नहीं हुई हैं और अंडे विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि, जैसा कि मैंने इस सम्मानित सदन में उल्लेख किया है, सभी राज्यों को अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित करने की पोल्ट्री किसानों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया जाए और तमिलनाडु को एक पृथक क्षेत्र घोषित किया जाए, जिसका मुख्यालय नामाक्कल हो। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह नामाक्कल जिले को अंडा निर्यात क्षेत्र घोषित करे।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस अवसर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र श्रीकाकुलम से संबंधित एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

संथाबोम्माली मंडल में एक विशाल दलदली क्षेत्र है। हर वर्ष बारिश के कारण वहाँ बहुत पानी जमा हो जाता है। यहां जल का प्राकृतिक प्रवाह है और यह सारा पानी समुद्र में चला जाता है। लेकिन एक नहर है जिसे गैरीबुला नहर कहा जाता है।नहर पर एक पुल है जो पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करता है।ऐसे में भारी बारिश होने पर पुल डूब जाता है और एक महीने तक सैकड़ों गांवों से संपर्क टूट जाता है।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर विचार करे और अत्यधिक ऊंचाई का एक ऊंचा पुल बनाए ताकि दलदली क्षेत्र से समुद्र में पानी का प्राकृतिक प्रवाह जारी रहे और कोई भी गांव इस क्षेत्र में डूब न पाए।

मेरा प्रस्ताव है कि मोल्लापेटा और पलावानीपेटा गांवों के बीच गैरीबुला नहर पर अधिक ऊंचाई का एक पुल बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम बिहार में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का विस्तारित केन्द्र स्थापित करना अति आवश्यक है।

महोदया, सासाराम में विस्तारित केन्द्र स्थापित करने से बिहार राज्य के रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया तथा बिहारराज्य सहित झारखण्ड प्रदेश के आति पिछड़े जिले पालामू, चतरा आदि एवं अन्य सीमावर्ती राज्य भी शैक्षणिक रूप से लाभान्वित होंगे।

अध्यक्ष महोदया, उल्लेखनीय है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विस्तारित केन्द्र बिहार प्रान्त के किशनगंज में खुल गया है। अतः मेरा विशेष आग्रह है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी का विस्तारित केन्द्र सासाराम बिहार में स्थापित करने हेतु इस सदन के माध्यम से संबंधित

मंत्रालय को निदेरशित करने की कृपा की जाए, जिससे बिहार प्रान्त के शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े जिलों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

***श्री आर. के. भारती मोहन (मइलादुथुरई):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। 1926 से 1991 तक मइलादुथुरई और थारंगमबाड़ी के बीच 30 कि.मी. की दूरी तक रेल मार्ग लाभ के साथ कार्य करता रहा। उस अवधि के दौरान चूंकि सड़क सुविधाओं का उन्नयन नहीं किया गया था, इसलिए रेल कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों की जीवन रेखा बनी रही। 1991 में मीटर गेज परिचालन बंद कर दिया गया था और आज तक ऐसा ही है। मइलादुथुरई और थारंगमबाड़ी के बीच इस रेल मार्ग में निम्नलिखित स्थानों पर रेलवे स्टेशन थे: (1) मइलादुथुरई शहर (3.82 कि.मी.); (2) मन्नमपंथल (8.35 किलोमीटर); (3) सेम्बानारकोविल (12.35 कि.मी.); (4) आकूर (18 कि.मी.); (5) तिरुक्कदैयुर (21.89 कि.मी.); थिलैयाडी (25.33 कि.मी.); पोरैयार (28.13 कि.मी.); और थारंगमबाड़ी (29.35 कि.मी.)। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्कूल, ए.वी.सी.सी. और टी.बी.एम.एल. जैसे कला महाविद्यालय, ए.वी.सी.सी. इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और अन्य व्यावसायिक संस्थान कार्य कर रहे हैं। गरीब लोगों और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों, छात्रों को इस क्षेत्र में कोई परिवहन सुविधा नहीं मिलती है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। थरंगमबाड़ी में मछुआरे रहते हैं और यहाँ मछली पकड़ने का कार्य होता है । मछुआरों के पास दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए उचित परिवहन सुविधा नहीं है। इसके अलावा, उनके पास पर्याप्त भंडारण सुविधाएं भी नहीं हैं। मछुआरों की आजीविका प्रभावित होती है। थिरुक्कदैयुर (धरुमापुरम एथेनम), थिरुनल्लारु (सैटर्न) और नागूर मस्जिद, वेलानकन्नी मंदिर, थारंगमबाड़ी होली चर्च, डेनिश किला जैसे हिंदू तीर्थ स्थल पर्यटकों के लिए कुछ आकर्षण के केन्द्र हैं। यदि इस मार्ग को 9 कि.मी. तक

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

बढ़ाया जाए और कराईकल से जोड़ा जाए, तो दक्षिणी तमिलनाडु में एक बड़ा रेल नेटवर्क बन सकता है। मइलादुथरई और थारंगमबाड़ी के बीच लगभग 30 कि.मी. में जमीन पहले से ही रेलवे विभाग के पास है। थारंगमबाड़ी और कराईक्कल के बीच केवल 9 किलो मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इस परियोजना को 100 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा सकता है। जब केवल इस रेल मार्ग को बढ़ाया और जोड़ा जाएगा, तो थारंगमबाड़ी के लोगों को चिकित्सा उपचार और तकनीकी लाभ के लिए चेन्नई जाने के लिए रेल कनेक्टिविटी मिल सकती है। धन्यवाद। *पुराचिथलाइवी* के कुशल मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार ने थारंगमबाड़ी को छोटे पत्तनों की सूची में शामिल किया है और विकास कार्य प्रारम्भ किए जा रहे हैं। इसलिए, मेरा आग्रह है कि पहले से मौजूद मीटर-गेज रेलवे लाइन को ब्रॉड-गेज में परिवर्तित किया जाए और मइलादुथरई और थारंगमबाड़ी के बीच रेल सेवाओं को जल्द ही चालू किया जाए ।धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: आपने गेज परिवर्तन के बारे में अपनी बात कही है। यह कार्यवाही-वृत्तांत में आ गया है।

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। कुछ कोक-बोरोक भाषी समुदाय हैं जो त्रिपुरा, मिजोरम, असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कुछ अन्य राज्यों में बसे हुए हैं।

ये कोक-बोरोक भाषी लोग त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजाति की स्थिति का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मिजोरम और असम में, जहां ये समुदाय कुछ जिलों में रह रहे हैं, इन समुदायों के केवल एक वर्ग को ही अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और बाकी लोगों को विस्तृत जानकारी के अभाव में अनुसूचित जनजातियों का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्हें अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।

इसलिए, भारत सरकार का संबंधित मंत्रालय पहल करे और असम व मिजोरम में अनुसूचित जनजाति की सूची में सुधार करे ताकि यह आबादी भी, जो कुल मिलाकर लगभग 20,000 है, अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभप्राप्त कर सके। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस देश की कैश क्राप गन्ना है। देश का 80 प्रतिशत किसान गांवों में रहता है, चाहे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार हो या अन्य कोई राज्य हो, देश के किसी भी राज्य में कैश क्राप, नगदी फसल यदि कोई है तो वह गन्ना है। 2013-2014 के पिछले पेराई सत्र का गन्ने का जो भुगतान बना था, उसमें 8500 करोड़ रुपये आज भी बाकी है। जिसमें केवल उत्तर प्रदेश का जो गन्ना मूल्य है, उसमें 5304 करोड़ रुपये बाकी है। पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री, आदरणीय पासवान जी ने एक बैठक राज्य सरकारों और उद्योग जगत के साथ की। उन्होंने 15 दिन के अंदर गन्ना मूल्य के भुगतान के निर्देश दिये। यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी गन्ना मूल्य के लिए कहा है कि किसान अपना गन्ना उधार देता, है, इसलिए सरकार का और चीनी मिलों का दायित्व है कि उनके गन्ना मूल्य का भुगतान हो। चूंकि किसान के पास कोई नगदी फसल नहीं है, किसान की बेटी का विवाह गन्ने की पर्चियों के भुगतान के बाद होता है। अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए किसान अगर मैडिकल कालेज जाता है तो वह उन पर्चियों को गिरवी रखकर या उस पैसे के भुगतान के बाद जाता है, अपने बेटे की फीस या तालीम के लिए भी अगर पैसा भरता है तोकिसान के पास केवल गन्ने की आमदनी है। लेकिन आज मुझे यह कहना पड़ रहा है कि देश में किसान की स्थिति इसलिए सबसे ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि उनका पिछले पेराई सत्र का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। इस बार पेराई सत्र में जो चीनी मिलें हैं, वे मिलें चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 133 चीनी मिलें हैं, 15 अक्टूबर से पेराई सत्र शुरू हो जाता था, आज केवल 80 चीनी मिलें चलरही हैं। अब या तो किसानों को गन्ना खेतों में जलाना पड़ेगा या फिर मजबूरन किसान का खेत खाली नहीं होगा। यह एक विषम परिस्थिति है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर रिस्पांड करे,

जबकि 280 रुपये प्रति क्विंटल पिछली बार गन्ने का मूल्य था, इस बार उत्तर प्रदेश में उसे घटाकर 260 प्रति क्विंटल कर दिया गया। इसके बावजूद भी किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि दस परसैन्ट ब्याज दिया जायेगा, अगर 15 दिन के बाद चीनी मिलें नहीं चलेंगी। 1668 करोड़ रुपये उन्हें नगदी ऋण गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए मिला। वह पैसा किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए मिला, लेकिन उन्होंने खर्च दूसरे मदों में कर दिया और इस पर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उन चीनी मिलों के खिलाफ नहीं हुई। पहले आर.सी. जारी होती थी, अगर किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं होता था तो यह दायित्व होता था कि उन मिल मालिकों के खिलाफ आर.सी. जारी करके उसके स्टाक की चीनी जब्त की जाती थी। उसको बेच कर पैसा दिया जाता था। अगर चीनी मिल मालिकों की नीयत नहीं होती थी तो उन्हें जेल भेजने तक की कार्रवाई होती थी। आज केंद्र सरकार ने 4400 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त कर्ज दिया है। 40 फीसदी उनका आयात बढ़ाने के लिए दिया है। पैट्रोल में एथनॉल बनाने की भी इजाजत दे दी। केंद्र सरकार ने सहूलियत भी दी है कि राज्य की जो चीनी मिलें हैं, वे गन्ना किसानों का भुगतान कर सकें। यह विषय कोई राजनीति का नहीं है। यह पूरे देश के किसानों का है। सभी राज्यों का है और हम किसानों के बीच से चुन कर आते हैं। अध्यक्ष महोदया, आप भी एक माँ के समान हैं। उन बच्चों से पूछिए, जिनकी फीस नहीं भरी जा रही है। इस गन्ने का भुगतान हो, आप इसका निर्देश करें। हमारे केंद्रीय मंत्री कुछ कहें कि उन्होंने दो बैठकें ली हैं, इसके बावजूद भी राज्य पेमेंट नहीं कर रहा है और मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ सरकारी मिलों के भुगतान हो गए हैं। निजी क्षेत्रों के भुगतान नहीं हुए हैं। इनका एसोसिएशन है, इंडियन शुगरमिल एसोसिएशन। उसने चेतावनी दे दी है कि हम मिलों को नहीं चलाएंगे। किसान एक तो अपना गन्ना उधार देता है, हम बाजार में जाएं तो बिना नकद पैसा दिए बाजार से कोई चीज मिलती नहीं है। इनका भुगतान जल्द से जल्द होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा, श्रीमती रमा देवी, श्री शिवकुमार उदासि, श्री प्रहलाद जोशी, श्री पी.पी. चौधरी, श्री देवजीएम. पटेल,

श्री नाना पटोले, श्री शरद त्रिपाठी, श्री केशव प्रसाद मौर्य स्वयं को श्री जगदम्बिका पाल के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

श्री बिष्णुपद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदया, नॉर्थ अंडमान में निश्चिंतपुर-कालीघाट का ब्रिज टूटा हुआ है और बहुत दिनों से मैं मांग कर रहा हूँ, लेकिन ब्रिज नहीं बना। स्टूडेंट्स डूंगी में आते-जाते हैं। आज सुबह-सुबह साढ़े आठ बजे डूंगी पल्टी हो गया। समुद्र में मगर भरा पड़ा है। ब्रिज को तुरंत बनाया जाए। अण्डमान निकोबार द्विप समूह की यह हालत है।

असेंबली हमारा नहीं है। केंद्र में हमारी सरकार है। जिस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए खड़ा हूँ, पोटर् ब्लेयर में एक ही म्यूनिसिपल काउंसिल है। उसमें 1361 डीआरएम मज़दूर काम करते हैं, 8 साल से 17 साल तक। उनको सीएल, बोनस, ग्रैचुटी आदि-आदि नहीं मिलती है। ये काम करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर शहर साफ़ -सुथरा रहता है। उन मज़दूरों को परमानेंट करने की मांग मैंने 15वीं लोक सभा में उठायी थी, वह कामयाब नहीं हुई। मैं फिर इस संसद में मांग कर रहा हूँ, खास तौर से इन मज़दूरों को परमानेंट करने के लिए मैंने पत्र भी लिखे हैं। दो-दो बार स्ट्राइक हो चुका है। 20 फरवरी 17 नवंबर सन् 2014 को स्ट्राइक हो चुका है। इसके बीच में प्रशासन के मुख्य सचिव ने 17 अप्रैल को मीटिंग बुलाई थी और आश्वासन दिया था कि इन मजदूरों को परमानेंट करेंगे और 25 पर्सेंट सैलरी बढ़ा कर देंगे। आठ महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। म्यूनिसिपल काउंसिल ने इनको परमानेंट करने के लिए 17 सितंबर को रैज्युलेशन पास किया था। प्रशासन को केवल तीस करोड़ रूपये देना है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा कि म्यूनिसिपल कर्मचारियों को परमानेंट करें, जैसा अंडमान प्रशासन ने किया है। 325 लोगों को होमगार्ड में रैग्युलराइज़ किया है। 495 लोगों को बिजली विभाग में, सप्लाई में, पार्ट टाइम चौधरी, एजीबीएस, शिक्षा विभाग आदि में डीआरएम कर्मचारियों को सुपरएन्युमरी पोस्ट क्रिएट कर के रैग्युलराइज़ किया गया है। मैं मांग करूंगा कि प्रशासन को आदेश दिया जाए कि जो 1361 म्यूनिसिपल काउंसिल डीआरएम मज़दूरों को सुपरएन्युमरी पोस्ट क्रिएट कर के परमानेंट किया जाए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है। मैं मिड-डे मील में भोजन तैयार करने के विषय पर बोलना चाहता हूँ। यह स्कीम भारत सरकार की है और उनका इंप्लिमेंटेशन राज्य सरकार करती है। स्कूलों में जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, वह लकड़ियां जला कर बनाया जाता है। उसकी वजह से पॉल्युशन होता है और पेड़ों को काटने का काम होता है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार को सुझाव है कि एलपीजी सिलेंडर मिड-डे मील के लिए देना चाहिए। चूल्हे और सिलेंडर की जो डिपॉजिट है, वह सब भारत सरकार को देना चाहिए और भारत सरकार को ऑयल कंपनियों को निदेरशित करना चाहिए कि उसमें से उसको एग्जंप्शन दिया जाए। सभी जगह स्कूलों में भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए निःशुल्क सिलेंडर दिये जाने चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री देवजी एम. पटेल और श्री नाना पटोले अपने आपको डॉ. किरिट पी. सोलंकी जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : महोदया, बिहार के मोतिहारी और गया जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय सरकार द्वारा खोलने की स्वीकृति दी गयी है, जो स्वागतयोग्य है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में कोई केन्द्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान नहीं है। यह इलाका शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है।सीमांचल क्षेत्र में दो प्रमण्डल तथा कई जिले आते हैं। इसके मध्य में पूर्णिया प्रमण्डल पड़ता है। यह क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के गरीब परिवार के मेधावी छात्र-छात्रायें बदहाली के कारण बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि इस बात को सरकार अपने संज्ञान में लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की कृपा करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी, आपका स्टेट से सम्बन्धित मैटर है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदया, यह स्टेट में हो रहा है, लेकिन स्टेट का मैटर नहीं है। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आपने और सदन ने कमेलों के बारे में सुना होगा, जिसमें पशु कटते हैं। यह मेरठ की बदकिस्मती है कि वहाँ एक स्थान ऐसा है जहाँ अन्य प्रदेशों से चोरी किए गए वाहन काटे जाते हैं और वाहनों के कमेले के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है। राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से वहाँ चोरी के वाहन आते हैं और काट दिए जाते हैं। इन चोरी किए गए वाहनों के द्वारा अपराध होता है। अपराध करने के पश्चात् उनको काट दिया जाता है और इस तरह से प्रमाण भी समाप्त हो जाते हैं। स्थिति यह है कि यह संगठित अपराध के रूप में विकसित होता जा रहा है। पूरा शहर जानता है, आसपास के लोग जानते हैं कि कहाँ पर इस प्रकार कटे हुए वाहनों के पार्ट्स मिल सकते हैं। चोर बाजार नाम से वहाँ पर मार्केट लगती है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ लेकर उन चीजों को देखने से मना कर देते हैं। यह कारोबार इसी ढंग से चल रहा है। स्थिति यह है कि यदि कोई चोरी की रिपोर्ट करता है तो उसको बाकायदा इतना समय दे दिया जाता है कि वाहन इस कमेले में पहुँच जाए और काट दिया जाए।

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इसमें सरकार हस्तक्षेप करे, अन्यथा संगठित अपराध के रूप में विकसित होकर यह बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। इसके ऊपर नियंत्रण किया जाना बहुत आवश्यक है। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) :महोदया, मैं मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में, जहाँ इस वर्ष किसानों ने धान का बहुत अच्छा उत्पादन किया है, उसके मूल्य के ऊपर मैं अपनी चिन्ता सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ।

महोदया, किसानों ने दिन-रात मेहनत करके इस वर्ष धान की अच्छी फसल का उत्पादन किया है। दुर्भाग्य से पिछली सरकार की आयात-निर्यात नीति में विसंगति के चलते इस वर्ष धान उत्पादक किसानों को धान का जो मूल्य मिलना चाहिए था, वह उन्हें नहीं मिल रहा है। 1200 से 1400-1500 रूपये प्रति क्विंटल का मूल्य किसानों का मिल रहा है, जो उनकी लागत के हिसाब से

बहुत ही कम है। किसान को खाद, दवा, पानी, मजदूरी, डीजल, बिजली आदि चीजों परपैसा खर्च करना पड़ता है और प्रति एकड़ कम से कम 3,000 रूपये प्रति क्विंटल की लागत किसान की आती है। अब अगर 1200 या 1400 रूपये में किसान अपना उत्पाद बेचेगा तो उसकी लागत भी नहीं निवलेगी और किसान घाटे में चला जाएगा।

मेरा आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में दोबारा से इस पर पुनर्विचार करे। मेरे होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ मध्य प्रदेश के अनेक हिस्से, हमारा छत्तीसगढ है, जिसे धान का कटोरा माना जाता है। धान उत्पादक किसान पूरी तरह से धान पर निर्भर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि धान का समर्थन मूल्य कम से कम 3800 से 4000 रूपए प्रति क्विंटल निधाररित होना चाहिए। जिससे किसान की जो 20-22 क्विंटल एकड़ पर उसकी धान निकलती है, उसे अपने उत्पाद का समुचित मूल्य मिल सके।

मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि जोसमर्थन मूल्य अनाज उत्पाद का इस देश में लागू होता है, स्थानीय मंडियों में उस मूल्य के ऊपर माल बेचा जाए, इसकी बाध्यता व्यापारी और प्रशासन पर होनी चाहिए। चूँकि अगर समर्थन मूल्य तीन हजार रूपए है तो माल दो हजार रूपए में बिकता है। यह उचित नहीं है। किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि समर्थन मूल्य का पालन हो और हमारे धान के किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गणेश सिंह (सतना) :महोदया, मैं इनके साथ असोसिएट करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : जी, आप नाम लिखकर भिजवा दीजिए तो हो जायेगा।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री लखन लाल साहू और श्री सुशील कुमार सिंह अपने आपको श्री उदय प्रताप सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष जी, मुम्बई और कांडला से राजस्थान-गुजरात को दिल्ली से जोड़ने का एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 है। दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है, इस

कारण मुझे सीकर से वाया रोड दिल्ली आना पड़ता है। ढाई सौ किलोमीटर का सफर है और कोटपुतली से दिल्ली मात्र 130 किलोमीटर है। मुझे दिल्ली आने के लिए छह घंटे का समय लगता है। इस बार मेरे पीछे एक एम्बुलेंस चल रही थी। कोटपुतली से दिल्ली पहुंचने में उस एम्बुलेंस को सात घंटे लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि उस एम्बुलेंस में जो मरीज था, उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी सर्विस रोड हैं या जहां पुलिया बन रहेंरहीं हैं, उनके लिए राजस्थान से पत्थर लेकर ट्रक दिल्ली और हरियाणा में आते हैं। हर रोज कोई न कोई ट्रक पलट जाता है और रास्ता जाम हो जाता है। मैं पहले भी इस विषय को उठा चुका हूं तथा अन्य लोगों ने भी इस विषय को उठाया है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय सड़क मंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को तुरंत ठीक कराया जाए, क्योंकि, जयपुर, मुम्बई और कांडला से दिल्ली आने का केवल एव ही रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की तुरंत मरम्मत कराई जाए और पुलियों का शीघ्र निर्माण कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती संतोष अहलावत, श्री सी. आर. चौधरी और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): महोदया, यह आंध्र प्रदेश की नई राजधानी गुंटूर और नई दिल्ली के बीच सीधी ट्रेन शुरू करने का अनुरोध है।गुंटूर आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यदि मैं कहूँ कि इस क्षेत्र को विशाखापट्टनम तक के कॉरिडोर सहित भारत में एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। इसे आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी स्थापित करने के लिए चिह्नित किया गया है।

अमरावती, मंगलगिरि, व्यकुंतपुरम और पोन्नूर जैसे प्राचीन मंदिरों के रूप में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लेकर कोटप्पा कोंडा, अमरावती संग्रहालय, नागार्जुन सागर, वुंडावल्ली गुफाएं, कोंडावीडु किला, सूर्यलंका समुद्र तट जैसे पर्यटन स्थलों, भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक - आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय तक गुंटूर ने आंध्र प्रदेश राज्य में अपनी जगह बनाई है।

धान, कपास और मिर्च के प्रमुख उत्पादकों में से एक होने के नाते, गुंटूर व्यापार और वाणिज्य, कृषि और उद्योग का केंद्र है। यह शहर लाल मिर्च के सबसे बड़े एशियाई बाजारों में से एक है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय भी गुंटूर में है।

इतने सारे सकारात्मक पहलू और फायदे होने के बावजूद, दुर्भाग्य से, गुंटूर के लिए देश की राजधानी से सीधी रेलगाड़ी नहीं है।राज्य की राजधानी और देश की राजधानी के बीच एक सीधी सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की रेलवे की नीति है। गुंटूर और नई दिल्ली के बीच सीधी ट्रेन के लिए लोग और जन प्रतिनिधि कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह रेलवे के सभी वाणिज्यिक मापदंडों को पूरा करेगा क्योंकि गुंटूर में पर्यटक, यात्री और वाणिज्यिक संभावनाएं बहुत अधिक है; वास्तव में, यह तीव्र गति से उन मापदंडों को पूरा कर रहा है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे गुंटूर और नई दिल्ली के बीच एक विशेष सुपरफास्ट ट्रेन के लिए अनुकूल विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री संतोख सिंह चौधरी – उपस्थित नहीं।

श्री आनन्दराव अडसुल (अमरावती): महोदया, मैं माननीय रक्षा मंत्री का ध्यान मुंबई के कांदिवली और मलाड के निवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त क्षेत्र में पूर्ववर्ती रक्षा डिपो के पीछे एक आवासीय क्षेत्र है।आजकल उक्त डिपो उपयोग में नहीं है। हालाँकि, वहाँ रक्षा कर्मियों के आवासीय मकान हैं।रक्षा अधिकारी ऊंची इमारतें न बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय से

स्थगन आदेश ले आए हैं।लेकिन पहले से ही 20 से 28 मंजिला कुछ ऊंची इमारतें अस्तित्व में हैं और मुंबई नगर निगम ने उसके लिए एन.ओ.सी. दे दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत सारी पुरानी बहुमंजिला इमारतें भी हैं जो लगभग 30-35 वर्ष पुरानी हैं और जिनके पुनर्विकास की आवश्यकता है।लेकिन उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है।

कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट सकती है। कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटे, उससे पहले सरकार को कदम उठाने चाहिए।

ध्यानाकर्षण के तहत इस मुद्दे पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान दें, जो कांदिवली और मलाड के निवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : महोदया, आपसे, आपके आसन से सार्वभौम सदन प्रतिपादित होता है। जिन सवालों को आप ने उठाने की इज़ाजत दी है, वह सार्वभौम सदन की आवाज़ होती है। मैं पिछले कई वर्षों से आसन के आदेश से उस सवालको उठाते आ रहा हूं जिसे कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बिहार केसरी ने बरौनी रिफाइनरी की स्थापना करके किया था। यह परंपरा है और यह होनी भी चाहिए।

महोदया, जब रिफाइनरी का जन्म होता है तो उसके गर्भ से पेट्रो केमिकल कारखाने का भी जन्म होता है। पचास वर्षों में बरौनी रिफाइनरी अब अपना स्वर्णिम काल मना रहा है, लेकिन इसके गर्भ से एक अंकुर भी प्रतिपादित नहीं हुआ और न ही पौधे निकले। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक विडम्बनाओं ने बिहार के साथ, बरौनी के साथ जो खेल खेला है, उसके कारण बिहार पिछड़ेपन का शिकार हुआ है और बरौनी की जनता ठगा-सा महसूस करती है।

महोदया, वहां फर्टिलाइजर प्लांट का भी जन्म हुआ और वह बंद हुआ। पर, वह प्लांट पुनः चालू हो, उस दिशा की ओर आज तक कहीं कोई संकेत नहीं है। पिछले दिनों इसी लोक सभा के सार्वभौम सदन में तत्कालीन मंत्री ने और वर्तमान सरकार के मंत्री जी ने भी सकारात्मक घोषणा की थी। पर, उनकी घोषणा के बाद भी कोई अंकुर, कोई पौधा दिखाई नहीं पड़ता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वर्ष 1984-85 में तत्कालीन सरकार ने बरौनी रिफाइनरी के पेट्रो केमिकल कारखाने की मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया के माध्यम से इसकी जांच करायी थी कि बरौनी तेलशोधक कारखाने से पेट्रो केमिकल कारखाने की कितनी यूनिट लग सकतीं हैं। मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया ने जांच करके बताया कि उसमें से आठ ऐरोमैटिक कारखाने खुल सकते हैं। पर, वहां किसान आज भी ऊहापोह की स्थिति में हैं। खाद महंगा है।

माननीय अध्यक्ष : आपने अपने विषय को रख दिया है। अब अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. भोला सिंह : महोदया, हम आपके सार्वभौम सदन के माध्यम से वर्तमान सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो वहां ऊहापोह की स्थिति है, जो हमारे साथ विडम्बना का व्यवहार हुआ है, उसे दूर कर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, बरौनी रिपाइनरी की पेट्रो केमिकल कारखाने को जन्म देने के लिए और उसे लागू करने के लिए कठोरतम कार्रवाई करें। इस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय से श्री एस.एस.अहलुवालिया, श्रीमती रमा देवी और श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

***श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक बहुत ही चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना घटी।

महोदया, कृपया थोड़ी देर सोचें कि हमारे देश में महिलाओं के जीवन और कल्याण का हमारे लिए क्या मूल्य है।

एक निजी चिकित्सालय में 82 महिलाओं की नसबंदी की गई, जिनमें से अधिकांश की उम्र 32 वर्ष से कम थी। यह ऑपरेशन 5 घंटे के अंदर किया गया।

15 महिलाओं की मृत्यु हो गई और बाकी महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। क्या हमारे देश में नसबंदी एक व्यवसाय बन गयी है?

वास्तव में, जब सरकार इस तरह का कैंप लगा रही है, तो महिलाओं को सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल में क्यों ले जाया गया? कृपया सोचें कि क्या यह पूरी कवायद किसी निहित आर्थिक स्वार्थ के तहत की गई थी।

यह उचित होगा, यदि यह पता लगाने के लिए जांच की जाए कि क्या निजी अस्पताल उस प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा लेना चाहते थे, जो नसबंदी कराने वाली महिलाओं को मिलने वाली थी।

माननीय अध्यक्ष : न्यायिक जांच चल रही है।

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर: मैं वास्तविक मुद्दे प्रस्तुत कर रही हूँ। पूरे भारत में केवल महिलाओं की ही नसबंदी कराने की प्रथा है। छत्तीसगढ़ इसका केवल एक उदाहरण है। यह हर जगह, पूरे भारत

---

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

में होता है। इसलिए, कार्रवाई केवल निलंबन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ऐसी लापरवाही आपराधिक है और दंडनीय है। महिलाओं की मृत्यु नहीं हुई, यह एक हत्या थी।

माननीय अध्यक्ष : इसके बारे में पूछताछ चल रही है।आप अपने विषय पर आइये।

*__श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर :__ मैं उस मुद्दे पर आ रही हूं। महोदया, कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए। हमारे राज्य केरल सहित विभिन्न राज्यों में भी महिलाओं की नसबंदी की जाती है।

पहले के समय में, पुरुष भी नसबंदी कराते थे।अब, मानसिकता बदल गई है। इसलिए बेचारी महिलाओं को बलि का बकरा बनाया जाता है।

इसलिए, महिलाओं के संबंध में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नसबंदी उनके स्वास्थ्य को नुकसान या प्रभावित किए बिना, स्वस्थ वातावरण में की जाए।

इन्हें सुनिश्चित किये बिना, कोई भी नसबंदी शिविर न लगाया जाये। स्वास्थ्य मंत्री को निर्णय लेना चाहिए कि नसबंदी केवल सरकारी अस्पताल में ही करायी जाये, जहां गरीब महिलाओं को यह सुविधा मिल सके।

महोदया, क्या हम पर्याप्त कदम उठा सकते हैं? ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं न घटें। महोदया, यही प्रश्न मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री एम. बी. राजेश, श्री पी. के. बीजू और एडवोकेट जॉइस जॉर्ज को श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): माननीय अध्यक्ष महोदया, जिस मुद्दे पर मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह भी स्वास्थ्य से संबंधित है। मैं प्रतीक्षा में था। मैं पूर्व में केरल राज्य में स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी श्रीमती श्रीमथि टीचर के बाद बोलने वाला वक्ता हूँ।

---

* मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

इस देश में अब हम जो अनुभव कर रहे हैं, वह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक प्रकार की कट्टरता है। मुझे ऐसे शब्द का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आजकल हम एंटी-रेबीज सीरम की बहुत भारी कमी का सामना कर रहे हैं। यदि कुत्ते का काटा केवल त्वचा तक गहरा हो, तो रेबीज- रोधी टीका लगाया जा सकता है। लेकिन अगर काटने की प्रकृति बहुत गंभीर है, तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर को जल्द से जल्द एंटी-रेबीज सीरम देना चाहिए। यदि सिर पर या गर्दन पर या पेट पर काटा है, तो स्वाभाविक रूप से, लोग किसी भी कीमत पर एंटी-रेबीज सीरम लेंगे। केरल सहित कई राज्यों में हमारे पास एंटी-रेबीज सीरम की कमी है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, वैसे भी मुझे पूरा विश्वास है--और आप भी इस मामले में मुझसे सहमत होंगे--कि हमारा देश ऐसा देश है, जहां सबसे ज्यादा लोग कुत्ते के काटने से मर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं, जो सड़क के कुत्तों की जान बचाते हैं, लेकिन गरीब लोगों की जान बचाने के लिए कोई नहीं हैं। एंटी-रेबीज सीरम बहुत महंगा है। इसलिए, मैं अध्यक्ष और भारत सरकार का ध्यान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति द्वारा अगस्त, 2013 में प्रस्तुत एक प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

यह बहुत ही गंभीर रिपोर्ट है। यदि आपकी अनुमति हो, तो इस सभा में इस पर बाद में चर्चा होनी चाहिए। यह प्रतिवेदन 'भारत में ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एच.पी.वी.) वैक्सीन के उपयोग वाले अध्ययन के संचालन में कथित अनियमितताएं' विषय पर है। कुछ एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, 2005 से लेकर 2012 तक मनुष्यों पर किए गए प्रयोगों में 2,644 लोगों की मृत्यु हुई है और उनमें से अधिकांश महिलाएं और लड़कियाँ थीं। ये प्रयोग महिलाओं और लड़कियों पर किए जाते हैं। उन्हें गिनी पिग की तरह काटा जाता है।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपना विषय उठायें।

…(*व्यवधान*)

डॉ. ए. संपत : यह गंभीर मामला है। इसमें कोई राजनीतिक रंग या कोई सांप्रदायिक रंग नहीं है। यह हमारे अपने लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया मुद्दे पर आएं। 'शून्यकाल' में प्रत्येक सदस्य के लिए केवल एक या दो मिनट ही उपलब्ध होते हैं।आप जो कह रहे हैं, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है।

डॉ. ए. संपत : महोदया, बस एक मिनट का समय दीजिए। आज इस सभा में मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं थोड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे इस स्लॉट के लिए भी चुना गया।

मेरा अनुरोध है कि एक तरफ लोगों पर किए जा रहे प्रयोगों की गहनता से जांच होनी चाहिए। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संपूर्ण जांच के बाद ही ऐसा होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ, पूरे देश में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से एंटी-रेबीज सीरम जैसी जीवन रक्षक दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए। धन्यवाद, महोदया।

माननीय अध्यक्ष: श्री एम. बी. राजेश, पी. के. बीजू और एडवोकेट जॉइस जॉर्ज को डॉ. ए. संपत द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : अध्यक्ष महोदया, मेरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली-सहारनपुर राज्य मार्ग देश की राजधानी को जोड़ता है। उसकी हालत अत्यन्त खराब है। ए.सी.डब्ल्यू. नामक कम्पनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उस कम्पनी के कॉन्ट्रैक्ट का समय भी खत्म हो गया है, लेकिन आज तक न तो उसने उस रोड को रिपेयर किया है और न ही उस पर कोई काम किया है। हमारे माननीय मंत्री जी बहुत ही इनोवेटिव तरीके से रोड्स के लिए काम कर रहे हैं। वे हजारों करोड़ रुपए बचा चुके हैं।

आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि उनका जो पी.पी.पी. मॉडल है, उस प्रोजैक्ट को खत्म कर, इसको राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किया जाए। जब एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय भी मंत्रालय में एक नोट तैयार हुआ था, वह अप्रूव हुआ था लेकिन उसका काम नहीं हुआ। धन्यवाद।

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मैं सदन में एक राष्ट्रीय महत्व का विषय उठाना चाहता हूं। आज से करीब 10 साल पहले पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान रीजन का एक एग्रीमेन्ट चाइना के साथ किया था। उस वक्त यह विषय उठा था कि यह पाकिस्तान की भूमि है तो भारत ने उसका प्रतिवाद किया और अंततः चाइना ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टैरिटोरियल डिसप्यूट है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे, किन्तु दुर्भागय की बात है कि कल चाइना की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने पाकिस्तान आक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान के रूप में दिखाया है। उसने सिर्फ यही नहीं दिखाया है बल्कि खुंजराब पास चीन की तरफ से पाकिस्तान सीमा तक जिसे हम अपने मैप में पाक अक्यूपाइड कश्मीर के एरिया को लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाते हैं, वहां पर वे पाक आक्यूपाइड कश्मीर के उस एरिया को लाइन ऑफ कंट्रोल के बदले इंटरनेशनल

बॉर्डर के रूप में दिखा रहे हैं। न केवल यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, बल्कि हमारी आस्मिता, आस्तित्व और हमारे देश की जो मांग है, उस पर यह बहुत बड़ा धक्का है।

आपके माध्यम से मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार को तुरंत इसका नोटिस लेना चाहिए और चाइना के एम्बैसडर को बुला कर बताना चाहिए कि जो मैप कल उन्होंने रिलीज़ किया है उसे वे विथड्रा करें। उसे विदड्रा करके लाइन ऑफ कंट्रोल का जो ओरिजनल मैप है, वर्ल्डवाइड रिकगनाइज़्ड है, युनाइटेड नेशंस द्वारा रिकगनाइज़्ड है, उसे रिलीज़ करे और आगे से ऐसी कोई भी धृष्टता न करें जिससे हमारी आस्मिता और राष्ट्रीयता पर आक्षेप हो

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्रीमती मीनाक्षी लेखी और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री एस.एस.अहलुवालिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (धेन्कानल): महोदया, चीनी राष्ट्रपति गुजरात गए थे।[हिन्दी] वहां उन्होंने ढोकला खाया होगा।...(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह चन्दू माजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं। आनंदपुर साहिब से अमृतसर के लिए नई रेलगाड़ी चलाने की मांग है। चंडीगढ़ से लुधियाना के लिए वाया न्यू मरिंडा रेल लाइन बनी है। आनंदपुर साहिब की रेल लाइनन्यू मरिंडा से जुड़ जाती है। आप जानती हैं कि आनंदपुर साहिब की 350वीं सालगिरह मनाई जा रही है और देश- दुनिया भर के लोग, संत महापुरुष हजारों की संख्या में वहां आते हैं। आपके क्षेत्र के लोग भी वहां जाते हैं। रास्ते में सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहां के लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। आप इस देश में आनंदपुर साहिब का महत्व जानती हैं। आज देश एक, संस्कृति एक, देश एक, बसावट एक, देश एक धर्म अनेक, यह जो बन सका है, यह गुरु तेगबहादुर

साहब के बलिदान के कारण है। मैंने आपसे मिलकर भी कहा था कि गुरु तेगबहादुर साहब का बलिदान दिवस देश में फ्रीडम ऑफ वरशिप के नाम पर मनाया जाए। इस दिन सारे देश में छुट्टी हो, समागम हो। यहां कोई स्मारक बनना चाहिए जिससे आने वाली जनरेशंस गुरु तेगबहादुर साहब के संदेश - भाई काहूं को देत नहन, नहन भाई मानत आन।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आप दोनों बातें एकत्रित मत कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह चन्दू माजरा : गुरु तेगबहादुर साहब को इस बात का गौरव है कि इस देश में अगर धर्म बचा है, धर्म की पूजा बची है तो उनके बलिदान के कारण बची है।...(व्यवधान) उन्होंने कहा है - तिलक जंजु राखा प्रभ ताका।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :आपकी बात हो गई है। प्लीज़, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

.... (व्यवधान)*

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : माननीय अध्यक्षा जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में धान के क्रय केन्द्रों पर खरीद नहीं हो रही है। राइस मिल मालिकों व आढ़तियों द्वारा इन क्रय केन्द्रों से मिलकर धान की खरीद-फरोख्त में बड़ी कीमत पर हेराफेरी की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को अपने धान का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों द्वारा लाए गए धान के क्रय केन्द्रों पर आढ़तियों द्वारा खराब व गीला बताकर वापिस किया जा रहा है जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान का

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सामना करना पड़ रहा है। राइस मिलों व आढ़तियों द्वारा कुछ धान क्रय केन्द्रों पर आपसी सहमति द्वारा अलग-अलग लोगों के नाम से चैक द्वारा पेमेंट कर दी जाती है।

अत: मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि किसानों की आर्थिक रूप से दयनीय अवस्था को देखते हुए भुगतान किए गए चैकों के धारक एवं क्रय केन्द्रों की जांच करवाने की कृपा करें।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पैंशनधारियों में बीपीएल की आनिवार्यता समाप्त करने तथा पैंशन राशि बढ़ाए जाने का मामला सदन के सामने रखने की अनुमति चाहता हूं।

भारत सरकार राज्य सरकारों की सहायता से वृद्धा सामाजिक सुरक्षा पैंशन, निशक्त जनों, विकलांगों और विधवा पैंशन की योजना चलाई जा रही है जिसमें हितग्राहियों में बीपीएल में नाम होने की आनिवार्यता इसमें तय कर दी गई है। मैं समझता हूं कि इससे पूरे देश भर में बहुत बड़ी संख्या में पैंशनधारी वंचित हो रहे हैं। इसलिए बीपीएल की आनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए।

दूसरे, आज महंगाई के युग में पैंशनधारियों को जो पैंशन राशि दी जा रही है, वह बहुत कम है। उस राशि को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। तीसरे, इसमें पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से पैंशन राशि का जो वितरण हो रहा है, पोस्ट ऑफिसों में इतनी मैन पावर नहीं है, इतनी तकनीकी सुविधा भी नहीं है। इस कारण तीन-तीन, चार-चार महीने तक पैंशनधारियों को पैंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस पर भी कोई कारगर कार्यवाही करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि पैंशनधारियों की राशि बढ़ाई जाए और बीपीएल की आनिवार्यता को भी समाप्त किया जाए।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा) : अध्यक्ष महोदया, मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मेरा विषय गोकुल बैराज के बारे में है। यह ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के साथ हमेशा से अत्याचार होता आ रहा है। उनकी बहुत सी समस्याओं के साथ एक और समस्या मथुरा के गोकुल बैराज सी है। 16 साल पहले सरकार ने किसानों से जमीन ली थी और कहा

था कि उन्हें कम्पैंसेशन मिलेगा। लेकिन 16 साल में पर्याप्त मुआवजा न मिलने के कारण किसान लोग बहुत परेशान हैं और वे लोग पिछले एक महीने से मथुरा में आंदोलन कर रहे हैं, मैं भी आंदोलन में गई थी, वे बहुत ही परेशान हैं। मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से प्रार्थना करती हूं कि उनके ऊपर कृपा की दृष्टि दें और उन्हें जो मुआवजा मिलनी चाहिए, वह उनको मिले।

श्री प्रकाश ब. हुक्केरी (चिक्कोडी) : महोदया, कर्नाटक के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट से एक टाइगर भागकर एक महिला और तीन प्राणियों को खा गया। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर और वहां के ग्रामवासी टाइगर को पकड़ कर फॉरेस्ट ऑफिसर के हवाले कर दिया। बाद में, फॉरेस्ट ऑफिसर उस टाइगर को बेलगाम डिस्ट्रीक्ट के खानापुर के फॉरेस्ट में छोड़ दिया। यह बड़ी अजीब बात है। भीमगढ़ फॉरेस्ट के खानापुर ताल्लुका में 10-12 विलेज आता है, तलवाड़े, गवली, देवगांव, पाली, ऐसे बहुत सारे विलेज आते हैं। वहां के लोग इतने घबराए हुए हैं कि वे बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। वे घर में बैठे हैं, कब टाइगर बाहर आ जाए।हमने एम.एल.ए. के साथ मिलकर मिनिस्टर को जाकर रिक्वेस्ट किया है मगर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उस टाइगर को वहां से हटाया जाए, वह बड़ा फॉरेस्ट नहीं है, बल्कि छोटा फॉरेस्ट है। आप कर्नाटक और महाराष्ट्र का सब एरिया जानते हैं इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि उस टाइगर को इम्मीडिएटली हटाकर बड़े जंगल में छोड़ना चाहिए। मैं कर्नाटक असेंबली से छह बार चुना गया हूं। उधर अगर जीरो ऑवर में कोई मुद्दा उठाते हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाते हैं तो मिनिस्टर उसका जवाब देते हैं, इधर क्यों नहीं देते हैं? इधर लेड हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष :377 में जवाब मिलता है।

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) :मैं सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1931 की जनगणना में अछूत और डिफरेंट जातियों की गणना गई थी, उस सूची में सूचीबद्ध क्रमांक 7 में अंकित जाति, सन 1936 में जारी अनुसूचित जाति की पहली सूची से बाहर कर दिया गया, जबकि उस सूची में स्थित अछूत जातियां क्रमांक एक पर अहेरिया, दो पर बदक,

तीन पर बहेरिया, पांच पर बनवार, छह पर बेड़िया और सात पर भरथी है। मान्यवर, उनको क्यों हटा दिया गया, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) :महोदया, आपने मुझे अपने क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया है।मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा लोक सभा क्षेत्र बुलंदशहर दिल्ली से मात्र 75 किलोमीटर दूर स्थित है और दिल्ली एन.सी.आर का हिस्सा भी है, लेकिन जितना नजदीक बुलंदशहर दिल्ली से है, उतना ही बुलंदशहर शिक्षा और विकास में पिछड़ा हुआ है। बुलंदशहर में हजारों छात्र आज भी अच्छे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एडमीशन पाने से वंचित रह जाते हैं। उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, वे आशिक्षित रह जाते हैं।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा जो विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, उसमें बुलंदशहर के लिए भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की अनुमति दें, इससे आसपास के लगे हुए जिलों को भी लाभ मिलेगा। इससे दिल्ली और एन.सी.आर में जो विश्वविद्यालय हैं, मेरठमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, उस पर लोड भी कम होगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, जैसे पल्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पल्स हरियाणा, जिया न्यूज, 4 रियल न्यूज, आजाद न्यूज, जी. एन.एन आदि को बंद कर दिया गया है। जब चैनल खुलता है तो उसमें 3 करोड़ रुपये की राशि मिलती है, लेकिन जिन चैनल्स का मैंने नाम लिया है, उन्हें बंद करने से पहले किसी को नहीं बताया गया। अभी तीन चैनल्स ऐसे हैं, जैसे श्री न्यूज में सौ लोगों की छंटनी हो गयी, भास्कर न्यूज में तीन महीने से सैलरी नहीं मिली और सहारा चैनल की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है *

मैं समझता हूं कि लगभग 4 हजार ऐसे श्रमिक, जिन्हें मैं बौद्धिक श्रमिक मानता हू, उनमें कोई पत्रकार के रूप में जिले में रिपोर्टिंग कर रहा है तो कोई वीडियोग्राफी कर रहा है। ऐसे लोगों का जीवन अब पूरी तरह से संकटग्रस्त है, लेकिन इसके लिए कहीं कोई कानून नहीं है। दो कुल संस्थाएं हैं, जो

काम करती हैं--न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसियेशन और ब्राडकास्टर्स एडीटर एसोसियेशन, जो संपादकों की है, लेकिन उनके द्वारा इसमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दुनिया की न्यूज बताते हैं। ये नौ चैनल्स बंद कर दिये गये हैं, लेकिन अभी तक सरकार के पास कोई कानून नहीं है। जो जनरलिस्ट के फोरम्स हैं, उन्होंने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये सारे के सारे परिवार तबाही की स्थिति में हैं। उनकी कोई ट्रेड यूनियन भी नहीं है, इसलिए उनकी लड़ाई लड़ने की भी कोई स्थिति नहीं है।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसमें जो पैसा लगा है, वह चिट फंड का पैसा लगा है या कुछ ऐसे व्यक्तियों का लगा है, जो जांच का विषय है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे गंभीरता से लेना चाहिए। चिट फंड वाली कम्पनियां चैनल खोलतीहैं, इतने परिवारों को तबाह कर देती हैं और चैनल बंद करने से पहले कोई नोटिस या जानकारी नहीं देती।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इन परिवारों को संरक्षण मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उडुपी चिकमंगलूर): महोदया, आज मैं नमक पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रही हूं।यह बहुत दु:खद है कि आज हर भारतीय अपनी सबसे सरल मूलभूत आवश्यकता, अर्थात नमक, से वंचित है। यह एक ऐसी वस्तु है, जिसकी हमें अपने दैनिक भोजन में हर दिन आवश्यकता होती है।

सदियों से, सामान्य लोग अपने स्वस्थ भोजन के लिए सेंधा और क्रिस्टल समुद्री नमक का उपयोग करती रहे हैं। आज हमें केवल आयोडीन युक्त नमक मिल रहा है। जो नमक खाने के लिए उपलब्ध है वह आयोडीन युक्त नमक है। हमारे आहार में आयोडीन के प्रचारकों द्वारा दिया जाने वाला तर्क यह है कि भारत में कुछ क्षेत्र गोइटर बेल्ट के अंतर्गत आते हैं।

महोदया, गोइटर एक ऐसी समस्या है जो कुछ लोगों में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण हो सकती है।अधिकांश आबादी को हाइपो-थायरायडिज्म नहीं है। हमारे दैनिक भोजन में रासायनिक रूप में आयोडीन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने से हमारे मानव शरीर में असंतुलन पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को आयोडीन का सेवन करवाकर पूरी आबादी के अंतःस्रावी तंत्र को बेरहमी से नष्ट किया जा रहा है। यह समझ में नहीं आता कि जब इसकी आवश्यकता नहीं होती, तो हर व्यक्ति को आयोडीन क्यों दिया जाता है। इसे केवल उन्हीं व्यक्तियों के आहार में शामिल करना चाहिए, जो बीमार हैं और जिन्हें आयोडीन की आवश्यकता है।

प्रत्येक दिन, हमारे शरीर को इस रसायन से निपटने के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता है ताकि इसे शरीर से बाहर निकाला जा सके।पूरे शरीर और गुर्दे द्वारा इस पर काम करवाया जाता है। सामान्य आबादी के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अतिरिक्त आयोडीन के दुष्प्रभाव को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है।

उपभोक्ता को गैर-आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग करने का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैडम, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह कर रही हूं कि गैर-आयोडीन युक्त नमक पर से प्रतिबंध हटाया जाए और जरूरतमंदों को आयोडीन युक्त नमक दिया जाए।

यह भारतीय आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष: श्री तथागत सत्पथी, श्री एस. एस. अहलूवालिया और श्रीमती किरण खेर को कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री वी. एलुमलाई (अरानी): तमिल को सबसे पुरानी विद्यमान भाषाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। "थोलगप्पियम" और संगम सबसे पुराना साहित्य है जो तमिल से संबंधित है। तमिल पहली भारतीय भाषा है जिसे 2004 में भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में हमारी प्रिय अम्मा के कार्यकाल के दौरान क्लासिकी भाषा घोषित किया गया था। 1997 और 2005 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड रजिस्टर तमिल में लिखा गया था। आधिकारिक रूसी इमारतों में से एक क्रेमलिन

पैलेस ने अपना नाम तमिल में प्रदर्शित किया। यह न केवल तमिलनाडु में, बल्कि पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी संबंधित सरकारों ने तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। ऐसे गौरवपूर्ण इतिहास के साथ, जैसा कि हमारी प्रिय पुरैची थलाइवी अम्मा द्वारा निर्देशित है, हम तमिलनाडु के लोग, तथा पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तमिल बोलने वाले लोगों की ओर से, केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उच्च न्यायालयों में तमिल भाषा के उपयोग को सक्षम करने के लिए कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। यहां की विषम परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया था। लेकिन क्रियात्मक एजेंसी न होने से किसी विशेष की जिम्मेदारी ने होने से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। चार जिले, जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, वहां 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला हुआ है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सरकार इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाए और भ्रष्टाचारियों को दंडित करे। उन्होंने जो धन लोगों का बर्बाद किया है, उसे वसूल करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) :माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान आति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में गांव से लेकर महानगरों तक बड़ी संख्या में ऐसी बहनें हैं जो नियती की दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना का शिकार होकर असामयिक समय में वैधव्य का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इनके लिए गांव में स्थितियां बहुत संकटपूर्ण होती हैं। गांव में गरीब मां-बाप बेटी का विवाह करने के बाद जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरप ससुराल पक्ष के लोग बेटे के निधन के बाद बहू की जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुंह मोड़ लेते हैं। इनको तरह-तरह के शब्दों

से भावनात्मक चोट पहुंचाई जाती है। देश के विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 12 प्रतिशत यानी 14 से 15 करोड़ महिलाएं वैधव्य का जीवन जीने के लिए मजबूर हो रही हैं। इस दिशा में राज्य सरकारों द्वार पेंशन में बीपीएल की आनिवार्यता कर दी गई है। कुछ एनजीओ इस दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले काम बहुत अपर्याप्त हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि समाज में ऐसी विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं के संरक्षण, कल्याण और गुजारे के लिए पुनर्वास पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए तत्काल व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिस तरह से कामकाजी, नौकरीपेशा महिलाओं के लिए होस्टल की सुविधाएं की जाती हैं, इसी तरह विधवा महिलाओं के लिए भी आवास गृहों की व्यवस्था करने के साथ रोजगारोन्मुख शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए ताकि वे समाज में सम्मानजनक और आत्मनिर्भरता का जीवन जी सकें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री बदरुद्दीन अजमल जी, आपका विषय क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है।

[हिन्दी]

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। असम में इस वक्त बॉर्डर लैंड बाउंड्री मामला बहुत हॉट इश्यू है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि चीन की तरफ से है। मेरा कहना है कि बांग्लादेश की तरफ से भी है। इससे पहले वाली मिनिस्ट्री ने बांग्लादेश को असम की बहुत जमीन दे दी थी। हमें मोदी जी के आने से बहुत उम्मीद हुई थी। उन्होंने इलैक्शन से पहले बहुत सख्ती से कहा था कि हम एक टुकड़ा भी माटी नहीं देंगे। लेकिन 29 और 30 तारीख को जब मोदी जी वहां गए और ऐलान किया कि हम देंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :पहले समझ लें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरे ख्याल से यह बेहतर होगा कि पहले इसे समझ लें फिर इश्यू उठाएं।

... (व्यवधान)

श्री बदरुद्दीन अजमल :हमारी पार्टी इसकी मुखालिफ़त करती है। हमारी एक इंच भी माटी नहीं जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री अजमल बदरुद्दीन, श्री सिराजुद्दीन अजमल, श्री राधेश्याम बिश्वास को श्री बदरुद्दीन अजमल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं वह सारे सदन की समस्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी नेसांसद आदर्श ग्रामीण योजना डिक्लेयर की है। हम इसका स्वागत करते हैं। यंग और पहली बार चुने सदस्यों ने अपने गांव चुन लिए हैं। इसमें समस्या यह है कि हमें जो गाईडलाइन्स इन्टरनैट से मिली हैं, उसमें ह्यूमेन डेवलपमेंट, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट है। [अनुवाद] यह इसका लिखित उद्येश्य है। समस्या यह है कि हमारे पास दो तरह के सांसद हैं। उनमें से एक सेलिब्रिटी सांसद होते है और जो सत्ता में हैं और दूसरा नियमित सांसद है। जब भी कोई सेलिब्रिटी सांसद किसी परियोजना में शामिल होता है, तो वह काफी ध्यान आकर्षित करता है। यह ठीक है। कंपनियां भी कोशिश करती हैं कि वे अपने सी.एस.आर. निधि के से कुछ पैसे निवेश करें। क्योंकि वे सेलिब्रिटी हैं, वे इसे प्रबंधित करने में सक्षम हैं।

हम चाहते हैं कि मोदी जी द्वारा घोषित यह आदर्श ग्राम कार्यक्रम वास्तव में एक आदर्श कार्यक्रम बने और केवल बयानों तक ही सीमित न रहे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि वह सभी विभागों के साथ समन्वय कर सके जो इस कार्यक्रम को वास्तव में सफल बनाने में सहायता कर सके। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस सुझाव पर ध्यान देगी।

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्ण 2:30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्ण 1.26 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजकर *तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।*

<u>अपराह्न 2.33 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद अपराह्न दो बजकर तैंतीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब, हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे।

श्री हरीश चंद्र मीना बोलेंगे।

(एक) राजस्थान में पत्थर उत्खनन में कार्यरत मजदूरों में सिलिकोसिस तथा तपेदिक के प्रकोप की रोकथाम करने तथा प्रभावित व्यक्तियों के इलाज के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश मीना (दौसा): मैं सरकार का ध्यान देश में, विशेषकर राजस्थान में विभिन्न पत्थर उत्खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह पाया गया है कि अधिकांश खनन केंद्रों में कोई सुरक्षा एहतियाती उपाय नहीं किये जाते हैं। राजस्थान के करौली जिला में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान (एन.आई.एम.एच.) द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रतिवेदन के अनुसार 23.2 प्रतिशत खदान श्रमिक श्वास संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं और उनमें से 78प्रतिशत सिलिकोसिस तथा तपेदिक जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित पाए गए हैं। सिलिकोसिस एक खतरनाक बीमारी है, जिसका समय पर इलाज न होने पर वजन घटने लगता है और मृत्यु भी हो जाती है।

राजस्थान के अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। यह सर्वविदित है कि राजस्थान के कई जिलों में खनन आजीविका का मुख्य स्रोत है और बड़ी संख्या में परिवार इस पर निर्भर हैं। राजस्थान में खनन उद्योगों में 30 लाख से अधिक लोग लगे हुए हैं। इन बीमारियों से प्रभावित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्रमिक परिवारों की हालत दयनीय है; महिलाओं और छोटे बच्चों को अपने परिवार के जीवनयापन के लिए खनन उद्योग में उसी स्थिति में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ गाँवों में केवल विधवाएँ और छोटे बच्चे ही बचे हैं। हालांकि सिलिकोसिस से प्रभावित मरीजों को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन सरकारी नियम के अनुसार इसे मेडिकल कॉलेज के न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। बोर्ड की ओर से देरी के कारण कई मरीज उचित इलाज के बिना अपनी जान गंवा देते हैं।

अत: सरकार से मेरा निवेदन है कि इस विषय में तत्काल हस्तक्षेप करे ताकि पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र इलाज मिल सके और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता भी दी जा सके और क्षेत्र में सिलिकोसिस की व्यापकता का पता लगाने के लिए पत्थर खनन में लगे सभी व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक व्यापक अध्ययन किया जाए। सिलिकोसिस के निदान में स्थानीय डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है क्योंकि बड़ी संख्या में इसका इलाज गलत तरीके से तपेदिक के मामले के रूप में किया जाता है। खदान मालिकों और मजदूरों को भी पत्थर की धूल से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों और जल्द से जल्द उठाए जाने वाले निवारक उपायों के बारे में शिक्षित और जागरूक किए जाने की आवश्यकता है।

(दो) **असम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों के दुरुपयोग की जिम्मेदारी तय किए जाने की आवश्यकता**

श्री राजेन गोहेन (नौगांव): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना प्रत्यक्ष रूप से गरीब लोगों से जुड़ी हुई है। ऐसी योजना में भ्रष्टाचार का अर्थ होता है कि हम देश के गरीब व्यक्ति के मुंह से उसकी रोटी छीन रहे हैं। जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक ने खुलासा किया है कि सरकार की लापरवाही के कारण वर्ष 2007 से 2012 तक अकेले असम में 4060 बड़ा घोटाला हुआ है। भ्रष्टाचार की पूरी प्रक्रिया में तदर्थ आधार पर नियुक्त ग्राम रोजगार सेवकों को बलि का बकरा बनाया जाता है। इस मामले में सैकड़ों केस दर्ज किए गए हैं लेकिन कुछ नहीं हो सका है, और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। अपराध बोध से, एक ग्राम रोजगार सेवक ने आत्महत्या कर ली । अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

(तीन) जोधपुर-दिल्ली एक्सप्रेस (रेलगाड़ी संख्या 22481) को प्रतिदिन चलाए जाने तथा इसे उत्तराखंड मे हरिद्वार तक चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के मारवाड़ एवं शेखावटी अंचल को दिल्ली एवं देश के अन्य भागों से जोड़ने के लिए जोधपुर-दिल्ली मेल गाड़ी नं. 22481 वाया मेड़ता रोड, डीडवाना, रतनगढ़, चुरू एवं रेवाड़ी चलती है। यह मेरे लोक सभा क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गाड़ी है। इस क्षेत्र ने भारत के बड़े-बड़े व्यापारिक घराने एवं देश की रक्षा के लिए जांबाज सैनिक दिए हैं। हर गांव में सैंकड़ों की संख्या में सैनिक एवं कस्बे के व्यापारी भारत के कोने-कोने में फैले हुए हैं। इन लोगों को अपने गंतव्य स्थानों पर आने जाने का एकमात्र उचित साधन यह मेल रेलगाड़ी है।

उक्त जोधपुर-दिल्ली मेल आमान परिवर्तन से पूर्व सप्ताह में सभी सातों दिन चलती थी। राजस्व की दृष्टि से यह बहुत ही लाभकारी गाड़ी मानी जाती थी। आमान परिवर्तन के बाद इस ट्रेन को सप्ताह में केवल दो दिन ही चलाया जाता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ट्रेन को सातों दिन चलाया जाए। उक्त ट्रेन दिन में दिल्ली में ही खड़ी रहती है, इसलिए इसको हरिद्वार तक बढ़ा दिया जाए। इस क्षेत्र के लोगों के लिए हरिद्वार का सीधा साधन हो जाए।

मा**ननीय उपाध्यक्ष :** श्री ए टी.नाना पाटिल - उपस्थित नहीं

(चार) देश में रबड़ के आयात को नियंत्रित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी शोभा कारांदलाजे (उदुपी चिकमंगलूर): वर्ष 2009 के बाद पहली बार स्थानीय प्राकृतिक रबड़ की कीमत घटकर 130 रुपए प्रति किलो हो गयी है। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के रबड़ उत्पादक परेशान हैं क्योंकि मूल्य और घटने वाले हैं। उत्पादकों के अनुसार, अधिकांश छोटे और मध्यम आकार के बागानों में, दोहन नहीं हो रहा है, क्योंकि मजदूरी और अन्य व्यय लाभ की तुलना में बहुत अधिक हैं। प्राकृतिक रबड़ की कीमत में लगातार गिरावट से रबड़ किसान चिंतित हैं। स्थानीय बाजार में मांग में गिरावट देखी जा रही है। चालू वित्त वर्ष में आयात काफी अधिक है। यह पहली बार है, जब चार महीनों में आयात 100,000 टन से अधिक हो गया है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मेरा इस महान सभा के माध्यम से, केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि रबड़ के आयात के नियंत्रण हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं और यदि आयात के अप्रतिबंधित प्रवाह को कम करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो दस लाख से अधिक उत्पादकों और पांच लाख श्रमिकों को सीधे समर्थन देने वाले प्राकृतिक रबड़ बागानों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा।

(पांच) मुम्बई, महाराष्ट्र में मीठी नदी के जीर्णोद्धार हेतु समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुंबई): मीठी नदी मुम्बई का अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह शहर के 16 प्रतिशत भाग से होकर बहती है। एक समय मुंबई की प्राकृतिक सुंदरता की जीवंत याद दिलाने वाली यह नदी एक नाले में तब्दील हो गई है। प्रदूषक तत्वों, नदी तट पर अतिक्रमण, हानिकारक रसायनों के डंपिंग और निर्माण मलबे के कारण जुलाई, 2005 में नदी में बाढ़ आ गई और इससे शहर में तबाही मच गई। मीठी नदी की बदहाली से में मुम्बई के कच्छ वनस्पति क्षेत्र पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जबकि स्थानीय और राज्य सरकार दोनों स्तर के प्रशासनों ने मिठी नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए काम किया है, लेकिन दु:ख की बात है कि इसमें विलंब हुआ है और सभी संबंधित प्राधिकरणों के बीच समन्वय का अभाव है। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस मुद्दे पर तत्काल संज्ञान ले और मीठी नदी के प्रदूषण की रोकथाम हेतु सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

(छह) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उदुपी जिलों में एंडोसल्फान से पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री नलीन कुमार कटील (दक्षिण कन्नड़): कर्नाटक के तीन तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उदुपी जिलों में एंडोसल्फान के कारण 6,200 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के तीन तटीय जिलों में एंडोसल्फान के उपयोग के 6,140 पीड़ितों के लिए अंतरिम सहायता के भुगतान हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को उन पीड़ितों को अंतरिम राहत देने का भी निर्देश दिया है, जिनकी विकृति 25 प्रतिशत से 60 प्रतिशत आंकी गई है और जहां विकृति 60 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें 1 मार्च से प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि, राज्य सरकार ने 6,200 एंडोसल्फान पीड़ित लोगों के लिए केवल 20 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि बहुत कम है और पीड़ितों की किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, इसके लिए 500-600 करोड़ रुपए की जरूरत है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्यमें एंडोसल्फान से पीड़ित लोगों की दुर्दशा पर मानवीय आधार पर विचार किया जाए तथा दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडुपी जिलों के एंडोसल्फान से पीड़ित लोगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें।

(सात) उत्तर प्रदेश में इन्दारा से दोहरीघाट तक की रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) : उपाध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इन्दारा से दोहरीघाट की रेल लाइन कोबड़ी लाइन बनाने की मैं मांग करता हूं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: जहां तक नियम 377 के अधीन मामलों का संबंध है, केवल अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। यह 'शून्य काल' नहीं है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ...[*]

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(आठ) 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा के लिए राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान के हिस्से को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): महोदय, मैं आपका ध्यान 13वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए अवार्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के निमित्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वर्ष 2010-11 और वर्ष 2014-15 के बीच प्रदान किए गए अवार्डों के संबंध में, केन्द्र सरकार ने वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का 65 प्रतिशत और शेष 35 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के साथ आवंटित किए जाने का निर्णय किया है कि राज्य सरकार अब 8 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय का निवेश करेगी। 65:35 के अनुपात में निधियों का आवंटन 13वें वित्त आयोग के उद्देश्य के विपरीत है।

महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि 13वें वित्त आयोग के सुझाए गए 100 प्रतिशत राज्य के हिस्से पर विचार किया जाए तथा 8 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय के निवेश की शर्त को, जोकि राज्य पर बोझ है, निरस्त किया जाए।

(नौ) राजस्थान के जालौर संसदीय क्षेत्र के सांचौर में कच्चे तेल की पाइपलाइने बिछाने हेतु उपयोग में लायी जाने वाली कृषि भूमि के लिए किराए की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र स्थित सांचौर में केयर्न इण्डिया द्वारा वार्षिक एक बीघा जमीन पर 15 हजार रुपये किराया दिया जाता है जो वहां के किसानों के लिए बहुत ही कम है। बाड़मेर जिला में भी प्रत्येक बीघा 15 हजार रुपये किराया है। बाड़मेर जिला में किसान एक साल में एक ही फसल लेते हैं, जबकि सांचौर के किसान रबी और खरीफ की दो फसल उपजाते हैं। इसलिए यहां के किसानों के खेतों से कच्चे तेल की पाइप लाइन निकालने से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः सांचौर में किसानों के खेतों का किराया 30 हजार से 50 हजार रुपये किया जाना आति आवश्यक है।

केयर्न बनर्जी द्वारा किसानों से वर्ष 2003 में जमीन किराये पर ली गयी थी। पाइपलाइन बिछाने का कार्य लगभग एक साल से ऊपर चलता रहा। जिन खेतों से पाइप लाइन निकाली गयी वहां और आस-पास फसल नहीं बोने दी गयी, जिसके कारण किसानों को खरीफ एवं रबी की फसलों से वंचित रहना पड़ा। इन खेतों को कम्पनी द्वारा समतल नहीं किया गया, जिससे किसानों को अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में अनेक वर्ष लग गए। कम्पनी द्वारा सड़क के किनारे की जमीन को लीज पर लिया गया है जिससे अनेक जगहों पर अंदर के खेतों पर जाने का रास्ता कम्पनी द्वारा नहीं देने के कारण किसानों को अपने खेतों पर जाने में असुविधा होती है। अनेक वर्षों से किसान अपने ही खेतों पर सुगमता से नहीं जा पा रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए तथा खेतों का किराया जल्द से जल्द बढ़ाया जाए।

(दस) सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और शिक्षकों के लिए पेंशन योजना बंद कर दी गयी है जो कि शिक्षक संघ द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है जिससे उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और शिक्षकों में काफी असंतोष है। पुरानी पेंशन योजना में ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन एवं मृतक आश्रित की नियुक्ति आदि की सुविधाएं निहित थीं। नई पेंशन योजना पूर्ण रूप से अलाभकारी है। इसमें न तो सुनिश्चित पेंशन के निर्धारण की गारन्टी है और न ग्रेच्युटी। अन्य सेवा निवृत्ति लाभ भी इस योजना में नहीं है। इसकी वजह से मृतक आश्रित नियुक्ति का लाभ भी प्रभावित होगा। नयी पेंशन योजना कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए आहितकारी है, वहीं सरकार के लिए लाभकारी नहीं है। देश के कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है जैसे बंगाल, केरल, त्रिपुरा आदि कुछ प्रदेशों में नयी पेंशन योजना एवं कुछ प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना का लागू होना असमानता का परिचायक है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनहित में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए निर्देशित करे ताकि उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षकों में असंतोष समाप्त हो सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर – उपस्थित नहीं।

(ग्यारह) तमिलनाडु में कुड्डालोर तथा सलेम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 532 की मरम्मत किए जाने तथा उसे चार लेन वाले मार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. अरुणमणिदेवन (कुड्डालोर): महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कुड्डालोर में कुड्डालोर और सेलम के बीचराष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 532 एक महत्वपूर्ण मार्ग है।यह एन.एच. 532 110 किलोमीटर की दूरी में फैले कुड्डालोर, वडालूर, विरुधाचलम, वेप्पुर, सिरुपक्कम और वी.कूट रोड को जोड़ता है। हाल ही में हुई अत्यधिक बारिश के कारण कई जगहों पर यह राष्ट्रीय राजमार्ग जर्जर स्थिति में है। इससे इस मार्ग पर ऊबड़-खाबड़ सफर होता है, जिससे हजारों यात्रियों को असुविधा होती है। इस राजमार्ग पर ट्रक और ट्रेलर सहित सभी प्रकार के वाहन चलते हैं।इस राजमार्ग की बुरी स्थिति में होने के कारण अनेक दुर्घटनाएं घटती हैं।संपर्क करने पर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 110 किलोमीटर की इस पूरी सड़क की मरम्मत और सुधार के लिए 96 लाख रुपये का एक परियोजना अनुमान प्रस्तुत किया है।अधिकारियों का दावा है कि संबंधित विभाग से निधि मिलने पर ही वे सुधार कर पाएंगे।

यह राष्ट्रीय राजमार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुड्डालोर को कई शहरों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कुड्डालोर पोर्ट, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, कई बहु-विशिष्ट अस्पताल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान इस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं।

अत: मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि चालू वर्ष के दौरान ही इस महत्वूपर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 532, जिसका उपयोग नियमित रूप से इतने सारे यात्रियों द्वारा किया जाता है, की मरम्मत कर इसे यात्रा योग्य बनाया जाए तथा पर्याप्त निधियों का आवंटनकर इसे चार लेन वाले मार्ग में परिवर्तित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. काकोली घोष दस्तीदार – उपस्थित नहीं।प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

(बारह) ओडिशा के बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य रूप से ओडिशा, विशेष रूप से बालासोर में, खनिज भंडार पाए जाने तथा लम्बी तटीय रेखा के कारण भूजल स्रोतों में जल गुणवत्ता की भारी समस्या है। सभी जिलों में पानी में आयरन अलग-अलग मात्रा में पाया जाता है। बालासोर, भद्रक, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्दा, पुन और गंजाम के तटीय जिलों में क्लोराइड (लवणता) पाया जाता है।

बालासोर, बस्ता और बलियापाल ब्लॉक निचले और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में आते हैं, जिनमें 90,576 हेक्टेयर भूमि है, जो बालासोर जिले की भौगोलिक भूमि का 24 प्रतिशत है। बालासोर जिले के अंतर्गत बस्ता, बहनागा, बलियापाल, भोगराई, रेमुना और सोरो सी और डी ब्लॉक में खारा मृदा समूह है और 75,489 हेक्टेयर भूमि जिले की भौगोलिक भूमि का 20 प्रतिशत है।

बालासोर ओडिशा के सबसे प्राकृतिक आपदाप्रवण जिलों में से एक है। बाढ़, चक्रवात और सूखा नियमित रूप से जिले में पेयजल के स्रोत को तबाह कर देते हैं। बालासोर जिले की कुल 289 पंचायतों में से 93 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो बाढ़ प्रवण हैं और 76 गांव सुनामी प्रवण हैं।

कुल बस्तियों के केवल 38.74 प्रतिशत बस्तियों को ग्रामीण जलापूर्ति के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है जो बालासोर जिले की कुल आबादी का केवल 13.43 प्रतिशत है।

अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेगा पाइप जलापूर्ति योजना के द्वारा वहां स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जाए तथा जलस्रोत पर जलशोधन संयंत्र लगाया जाए।

(तेरह) आंध्र प्रदेश के लिए नए उच्च न्यायालय का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 30 में कहा गया है:

"हैदराबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए सामान्य उच्च न्यायालय होगा जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का गठन नहीं किया जाता है।"

अधिनियम की धारा 31 में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय होगा।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि आंध्र प्रदेश केलिए एक नए उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने हेतु तत्काल कदम उठाया जाए।

(चौदह) उत्तर प्रदेश में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नील गायों (वनरोज) के आतंक को दूर किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में घाड़रोज (वनरोज) की संख्या अत्यधिक हो गई है। वर्ष में दो बार इनके बच्चों का जन्म होता है। अब ये झुण्ड बना कर कृषि उपज को खेतों में ही खा रहे हैं। कहीं-वहींकिसानों पर आक्रामक भी हो जाते हैं। विवश हो कर किसान दलहन एवं सब्जी आदि की खेती बंद कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दालों एवं सब्जियों का उत्पादन कम हो रहा है और उनके दाम बढ़ रहे हैं। प्रशासन को जमीन की खतौनी दिखाकर जांचोपरांत ही इनको मारने के लाइसेंस की अनुमति मिलती है। प्रश्न यह है क अगर घाड़रोज झुण्ड आ कर जब फसल बर्बाद कर रहा है तो क्या अनुमति मिलने तक वह झुण्ड प्रतीक्षा करेगा कि जब फसल बर्बाद हो चुकी होगी तब मारने की अनुमति का क्या करेंगे? यह भी गारंटी नहीं है कि जिसको अनुमति मिले, उसके पास बंदूक उपलब्ध हो।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनकी संख्या वृद्धि को रोकने के लिए मौदानी भाग के मादा वनरोजों का बन्ध्याकरण किया जाए एवं इनकी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए अभयारण्य बनाए जाएं ताकि फसलें भी सुरक्षित रह सकें और वनरोजों की प्रजाति का आस्तित्व भी बचा रहे।

(पन्द्रह) असम में बाढ़ के कारण हुई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जानेतथा राज्य में बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बदरुद्दीन अज़मल (धुबरी): हर वर्ष बाढ़ के कारण असम में जान-माल, फसल, मकान तथा आधारभूत संरचना को भारी नुकसान पहुंचता है। असम सरकार की आधिकारिक प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2014 के दौरान असम को तीन बार बाढ़ तथाबादल फटने की विभीषिका का सामना करना पड़ा, जिससे कम से कम 67 लोगों की मृत्यु हो गई और मेरे निर्वाचन क्षेत्र धुबरी और गोलपारा सहित राज्य के 23 जिलों के 4,000 से अधिक गांवों के 42 लाख से अधिक लोग बुरी तरह प्रभावित हुए, जबकि लगभग चार लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि बाढ़ से कम से कम 84 सड़कें, 86 आर.सी.सी. पुल, 113 एस.पी.टी. पुल और 126 पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई।

केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 674 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास प्रभावित लोगों तक इस राशि के पहुँचने के बारे में कोई जानकारी है? जहां तक मेरी जानकारी है, उन्हें अभी तक कोई राशि नहीं मिली है। समस्या यह है कि हर बार बाढ़ के कारण भारीतबाही होती है, सरकार प्रभावित लोगों के लिए सहायता की घोषणा करती है लेकिन दुर्भाग्य से वह सहायता पीड़ितों के पास नहीं पहुंच पाती है। अतः, सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया जाए ताकि इस तरह की सहायता राशि जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और इसके लिए राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए। हालांकि, मैं राज्य के लिए 674 करोड़ रुपये की घोषणा करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना करता हूं, लेकिन मैं कम से कम 1,500 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए अनुरोध करता हूं क्योंकि बाढ़ और बादल फटने से अपूरणीय क्षति हुई और 674 करोड़ रुपये असम के बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं सरकार

से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया असम की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बारे में गंभीरता से सोचें क्योंकि इससे हर साल जान-माल का नुकसान होता है और यह राज्य को पिछड़ेपन और गरीबी की ओर धकेलता है। मेरा यह भी अनुरोध है कि ब्रह्मपुत्र नदी के जल का नियंत्रण करने हेतु समुचित धनराशि प्रदान की जाए ताकि इसके जल का उपयोग बेहतर तरीके से हो सके।

<u>अपराह्न 03.00 बजे</u>

(सोलह) पार-ताप्ती-नर्मदा, दमनगंगा, पिंजार तथा नार-पार-गिरना नदियों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : महोदय, जलगांव जिला मेरा संसदीय क्षेत्र है। यहाँ ताप्ती नदी, गिरना नदी में प्रति व्यक्ति पाई जाने वाली जल उपलब्धता मानक जल उपलब्धता से बहुत ही कम है। इस क्षेत्र वा ज्यादातर हिस्सा आदिवासियों से भरा है। फसल की कमी, पीने के पानी की तकलीफ जैसी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, जिस कारण बहुत से किसानों ने आत्महत्या का मार्ग भी अपना लिया है। इससे पहले जिले के कुछ क्षेत्र अच्छी मात्रा में अमरूद, अनाज एवं अंगूर जैसी नकद पैसा देने वाली फसलों की खेती किया करते थे। परन्तु दिन-ब-दिन होती जा रही कम वर्षा और गिरते जा रहे भूजल स्तर वे कारण अब यह सम्भव नहीं रहा, इसलिए क्षेत्र के पश्चिमी भागों में गुजरात राज्य की सीमा से लगकर बहने वाली नार, पार, औरंगा, अंबिका जैसी नदियाँ जो नर्मदा नदी से जा मिलती हैं और अरबी समंदर में पानी गंवा देती हैं, वह पानी नर्मदा, ताप्ती और पार, इन तीनों नदियों को तीन निम्नलिखित परियोजनाओं में जोड़कर उपयोग में लाया जा सकता है।

प्रथम परियोजना के अनुसार पार ताप्ती और नर्मदा नदियाँ आपस में जोड़ना, जिससे गुजरात के कच्छ इलाके को फायदा हो सकता है। दूसरी योजनानुसार दमनगंगा और पिंजार, इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जाए तो मुम्बई शहर को पीने के पानी की आपूर्ति की जा सकती है। तीसरी योजना में नार, पार और गिरना नदियों को आपस में जोड़ा जाए, जिससे गिरना के कछार में जल की बढ़ोत्तरी हो। इन नदियों के पानी के उपयोग के सन्दर्भ में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और संघ सरकार के बीच प्राथमिक स्तर पर समझौता हो चुका है। राष्ट्रीय जल विकास आभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.), हैदराबाद द्वारा तीसरी योजना नार, पार और गिरना के जोड़ पर पूर्व व्यवहार्यता का अभ्यास

टोपोग्राफिक साईट सर्वे के माध्यम से पूरा किया जा चुका है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन रहकर स्वीकृत भी किया है।

इन दिनों तीनों राज्यों और संघ राज्य के बीच उपरोक्त योजनाओं को पूरा करने हेतु पत्र-व्यवहार भी शुरू है। इन योजनाओं में तीसरी योजना नार, पार और गिरना का कार्यस्थल सर्वेक्षण राष्ट्रीय जल विकास आभिकरण, हैदराबाद द्वारा तुरन्त शुरू करने के लिए आपके द्वारा उचित आदेश देने की कृपा करें, जिससे कि परियोजनाओं का काम तुरन्त शुरू हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके।

<u>अपराह्न 03.02 बजे</u>

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) :महोदय,मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

<u>**अपराह्न 03.03 बजे**</u>

निरसन और संशोधन (द्वितीय) विधेयक, 2014

(अनुवाद)

माननीय उपाध्यक्ष: सभा अब निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 पर मद सं.9 पर चर्चा करेगा।

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा।

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा से निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बस एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्यों, निरसन और संशोधन (द्वितीय) विधेयक, 2014 पर विचार करने से पहले, हमें इस पर चर्चा के लिए समय आवंटित करना होगा। यदि सभा सहमत हो, तो हम एक घंटा आवंटित कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो हम बाद में समय बढ़ा सकते हैं।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): महोदय, सदस्यों की संख्या के आधार पर एक घंटा या उससे अधिक समय आवंटित किया जा सकता है।

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा: मुझे नहीं लगता कि इसमें अधिक समय लगेगा।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: महोदय, सदस्यों की संख्या के आधार पर आप समय घटा या बढ़ा सकते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष:अभी तक, केवल दो सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मुझे लगता है कि अन्य दलों के सदस्यों ने नाम दिए हैं।

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा: महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य कतिपय पुराने अधिनियमों का निरसन करना है, जो अनावश्यक हो गए हैं। इसमें दो अधिनियमों में संशोधन का भी प्रस्ताव है ताकि अधिनियम में पाई गई एक औपचारिक खामी या पेटेंट त्रुटि को ठीक करना है।

विधेयक में संशोधन के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि यह समय-समय पर किये जाने वाले उपायों में से एक है। ऐसे अधिनियमों को, जो लागू नहीं रह गए हैं या अप्रचलित हो गए हैं या उन्हें संविधि-संग्रह में बनाए रखने से, कुछ भ्रम पैदा होंगे। इसलिए, ऐसा करना आवश्यक हो गया है। इन सभी अधिनियमों को संविधि संग्रह से निरसन करना और हटाना है।

इस तरह के विधेयक के माध्यम से हासिल किया जाने वाला दूसरा उद्देश्य, ऐसे अधिनियमों में पाए जाने वाले औपचारिक दोषों या पेटेंट त्रुटियों को ठीक करना है। निश्चय ही, पिछली बार 2001 में ऐसा विधेयक लाया गया था जिसमें 1985 से 1998 तक के अधिनियमों को शामिल किया गया था और 10 ऐसे अधिनियमों को अब तक अधिनियमित किया गया है।अब तक कुल 1291 अधिनियम निरस्त किए गए हैं। सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6क में मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि निरसन और अन्य चीजें क्यों की जानी चाहिए और उसके प्रभाव क्या हैं।

वस्तुतः हम इस विधेयक में आज दिए गए विधेयकों का निरसन करने जा रहे हैं जो कि मृत प्राय: हो गए हैं। वे लागू नहीं हैं; उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन मृत कानूनों का सह-अस्तित्व निश्चित रूप से कानूनों को समझने में भी कुछ भ्रम पैदा करेगा। तो, विधि आयोग ने चार रिपोर्टें दी हैं और प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक रिपोर्ट दी है। विधि आयोग ने अपने96वें रिपोर्ट में 22 अधिनियमों के निरसन का सुझाव दिया था और लगभग 9 अधिनियमों के निरसन की अनुशंसा की थी। पहले ही नौ अधिनियम निरस्त किये जा चुके हैं। इसके 148वें प्रतिवेदन के अनुसार, पांच केंद्रीय अधिनियमों में से, स्वतंत्रता-पूर्व अवधि के अधिनियम, चार को निरस्त कर दिया गया है और एक राज्यों के साथ परामर्श के अधीन है। विशेषकर इसके 248वें प्रतिवेदन में 72 अधिनियमों की इनके

निरसन और संशोधन के लिए पहचान की गई थी। विधि आयोग के 249वें, 250वें और 251वें प्रतिवेदनों में क्रमश: 113, 74 और 30 अधिनियमों की पहचान की गई है।

अब प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी1998 में 1328 अधिनियमों की पहचान की थी जिनमें से 415 अधिनियमों को निरसित किया जा चुका है और शेष के निरसन के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोगों द्वारा की गई ये सभी सिफारिशें राज्यों के केंद्रीय सरकारी विभागों के परामर्श के अधीन हैं।

आज, निरसन और संशोधनकारी विधेयक में हमने लगभग 90 अधिनियमों की पहचान की है, जिनमें से दो अधिनियमों में कुछ छोटे सुधार किए जाने की आवश्यकता है। एक है रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 और दूसरा है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008। छोटे-छोटे सुधार हैं। उनकी पहचान कर ली गई है। बाकी चीजें तो उपयोग में ही नहीं आ रही हैं। इनका होना या नहीं होना, दोनों एक समान है। हम इस बात से भली भांति अवगत हैं कि संविधि संग्रह में अत्यधिक कानूनों के होने से भ्रम पैदा होता है।अत:, सरकार चाहती है किसी भी पुराने कानूनों की समय-समय पर समीक्षा और उनके निरसन होते रहने चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बी. सेनगुट्टुवन (वेल्लोर):श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, निरसन और संशोधन (द्वितीय) विधेयक, 2014 जैसे महत्वपूर्ण मामले पर इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

सरकार ने एक विधेयक पेश किया है जिसमें कई क़ानूनों को, मुझे लगता है कि 90 क़ानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव है और उनमें से दो त्रुटियों के माध्यम से हैं, जो अनजाने में अधिनियमों में शामिल हो गए हैं जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है।

<u>अपराह्न 3.10 बजे</u>

(श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए*)

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह भी कहा गया है कि विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक है जिसके द्वारा अधिनियमों का संचालन बंद हो गया है या अप्रचलित हो गए हैं या अनावश्यक हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है और जिसके द्वारा अधिनियमों में पाए गए औपचारिक दोषों को ठीक किया जाता है।

महोदय, यह पता चला है कि विधि आयोग ने अपने सितंबर, 2014 के अंतरिम प्रतिवेदन में 253 पुराने कानूनों के निरसन की सिफारिश की थी और यह देखा गया है कि निरस्त किए गए 34 कानून अभी भी सरकार के वेबसाइट पर हैं। अपने सभापति, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शॉ की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने उन सभी विनियोग अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की है, जो एक दशक से पुराने हैं और इनकी संख्या 700 है। हम सरकार से और विधि आयोग की सिफारिशों से पूरी तरह सहमत हैं कि पुराने कानून सुखी हुई लकड़ी की तरह होते हैं और ऐसे कानून में संशोधन करना चाहिए या पूरी तरह अनावश्यक और पुराने हो चुके कानूनों का निरसन कर देना चाहिए। वे बिना किसी उद्देश्य के संविधि पुस्तक के पन्नों पर जगह घेरते हैं और जनता को छलावे की तरह भ्रमित कर रहे हैं।

सरसरी तौर पर देखने से यह स्पष्ट है कि संशोधित अधिनियमों के जिन विभिन्न प्रावधानों को निरस्त करने की मांग की गई है, उन्हें पहले ही मुख्य अधिनियमों में शामिल कर लिया गया है।वे देश के या तो मूल या प्रक्रियात्मक कानून बन गये हैं। इसलिए, ये संशोधन अधिनियम अप्रयुक्त हैं और इन्हें अब संविधि संग्रह में रखने की आवश्यकता नहीं है। अधिनियमों में, इन प्रावधानों को पहले

ही शामिल किया जा चुका है और मुख्य अधिनियमों में फ़ुट-नोट के माध्यम से संशोधन का संकेत दिया गया है। इसलिए, इन संशोधन अधिनियमों का प्रतिधारण अनावश्यक और अतिश्योक्तिपूर्ण है। उनका कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है।

महोदय, कानून ऐसे होने चाहिए कि जो भी उसकी परिधि में आता हो, वह उसका पालन करता हो, चाहे वे कितना शक्तिशाली क्यों न हो। जिस देश में कानूनों का पालन नहीं होता है, वहां कानून के शासन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। विधायिका का यह प्राथमिक कर्तव्य होता है कि वह ऐसे कानून बनाए, जिनकी जरूरत हो और ऐसे कानूनों का निरसन करे जिनकी अब कोई जरूरत नहीं रह गयी है।इसलिए, हम सरकार से सहमत हैं कि इन बेकार अधिनियमों को निरस्त करना चाहिए क्योंकि ये कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करते हैं। साथ ही, विधायिका लोगों के प्रति कुछ कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भी बाध्य है। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश का कानून होगा। उच्चतम न्यायालय के अनेकानेक ऐसे निर्णय हैं जिनको संहिताबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। रिकॉर्ड के तौर पर, हमारे आपराधिक क़ानून, मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम, जो आपराधिक प्रक्रियाओं और वास्तविक आपराधिक कानूनों को नियंत्रित करते हैं, पुराने हैं और इन्हें भी कम करने की आवश्यकता है और नए संशोधन लाने चाहिए।

इसलिए मैं सरकार की देर से की गई इस पहल और इस दिशा में उठाए गए कदम का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: माननीय सभापति महोदय, यह सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। मैं चाहता हूं कि इस बहस में हर कोई हिस्सा ले। मैंने देखा है कि शिवसेना, टी.डी.पी., एल.जे.पी., अकाली दल और अन्य कई पार्टियां, जो इस सरकार का हिस्सा हैं, यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा बी.जे.डी., टी.आर.एस., वाई.एस.आर.सी.पी., ए.आई.ए.डी.एम.के. और यहां तक कि ए.आई.यू.डी.एफ. और फिर मुलायमजी भी यहां हैं।इन सभी पार्टियों के सभी वक्ताओं को सुनने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो मुझे कल वोटिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं है।अगर कांग्रेस और अन्य दल कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं है।

लेकिन एकमात्र बात यह है कि मैं सभापति से चर्चा पूरी करने और फिर कल विधेयक पर मतदान कराने का अनुरोध करूंगा। इस बीच, इस विधेयक पर चर्चा पूरी होने के बाद हम हुदहुद चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं पर नियम 193 के तहत चर्चा शुरू कर सकते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अब वापस आते हैं और बहस में शामिल होना चाहते हैं, तो मुझे भी कोई समस्या नहीं है।

माननीय सभापति : अब, श्रीमती मीनाक्षी लेखी।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): माननीय सभापति महोदय, निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 में निरसन के लिए90 अधिनियम और संशोधन के लिए 2 अधिनियमों की सूची है।निरसन के लिए अधिनियम केवल संशोधन अधिनियम हैं जो 1999 से लेकर 2013 तक 14 वर्षों की अवधि के हैं।आवश्यक बदलाव के रूप में इनका निरसन किया जा रहा है और इन्हें मूल अधिनियम में विधिवत रूप से शामिल किया गया है।

संशोधन अधिनियम केवल 2008 के रेलवे (संशोधन) अधिनियम और 2008 के भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम के लिए है। इनमें केवल कुछ छोटी-मोटी त्रुटियाँ हैं, जो वास्तव में प्रकृतिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं।

यह विधेयक मूल रूप से भारतीय कानून क्षेत्र को अव्यवस्था मुक्त करने के लिए साफ़-सफाई की तरह काम करता प्रतीत होता है।सरकार ने ऐसे युग से शासन संभाला है, जो नीतिगत अशक्तता से ग्रस्त था और वह अप्रचलित कानूनों से बाधित नहीं होना चाहती है, जिनसे मेरे जैसे विधायकों और अधिवक्ताओं के लिए भ्रम की स्थिति बनी रहेगी।

यदि इस विशेष विधेयक का कोई विरोध होता है, तो वह आपकी अपनी राय हो सकती है लेकिन वह इसमें केवल अवरोध उत्पन्न करने वाला ही होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि *स्वच्छता* एक गुण है। वह केवल वर्तमान सरकार द्वारा ही किया जा सकता है फिर चाहे वह अतीत में किया गया हो या वर्तमान में किया गया हो। इससे पहले इस तरह का विधेयक 1999 में पुर:स्थापित और पारित हुआ था। विपक्ष के मित्र, उनमें से कई अभी अनुपस्थित हैं, उन्होंने तब भी और अब भी इसका विरोध ही किया। यह सत्य है कि 1999 में और अब 2014 में हमें पिछली सरकार की उदासीनता के कारण इस कार्य को पुन: शुरू करना पड़ा है।

1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी जिसने 1,382 पुराने कानूनों के निरसन की सिफारिश की थी। हालाँकि, उनमें से केवल 415 कानूनों का निरसन किया गया है। विधि आयोग ने 1998 की अपनी रिपोर्ट में 253

कानूनों के निरसन की सिफारिश की है, लेकिन पुनः इस संबंध में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, जो पिछले 10 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी थी, माननीय प्रधानमंत्री ने अगस्त 2014 में सुशासन की दिशा में बाधक अनावश्यक कानूनों के निरसन के लिए एक समिति गठित की थी।

सितंबर 2014 में, विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'अप्रचलित विधि: तत्काल निरसन का वारंट' में विधायी क्षेत्र में अप्रचलित कानूनों को निरसन की आवश्यकता को पुन: दोहराया और इस संबंध में बैकलॉग को 'अनुपयोगी' करार दिया।

रिपोर्ट की एक विशेष टिप्पणी पर मैं बल देना चाहूंगी, कि आवर्ती प्रकृति के अधिनियमों में निरसन उपबंध को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, विनियोग अधिनियमों में निरसन खंड। इस प्रक्रिया का अनुपालन न केवल यूनाइटेड किंगडम अपितु अन्य देशों जैसे न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया में भी किया जाता है। यदि हम इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो इससे विधायिका पर इस तरह की समाशोधन प्रक्रिया से संविधि पुस्तकों की छंटनी करने का बोझ कम हो जाएगा। इसके अलावा अप्रचलित कानूनों ने निरसन की मांग न केवल सरकारी निकायों से, अपितु सिविल सोसायटी संगठनों और विधि आयोग से भी आती रही है।

विगत में और विधि आयोग के सिफारिशों के अनुरूप इससरकार की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और संविधि पुस्तक के सरलीकरण की जरूरत को देखते हुए उठाए गए कदमों की सराहना करती हूं।

हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में *स्वच्छता* मिशन की इसी भावना के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): महोदय, मुझे निरसन और संशोधन (द्वितीय) विधेयक, 2014 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

यह विधेयक अपने आप में भारत सरकार एवं माननीय विधि मंत्री द्वारा उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इनका प्रयास और इरादा न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और उसमें तेजी लाना है। मैं इस विशेष विधेयक के लिए समय आवंटन करने के मुद्दे को सुन रहा था। इसके लिए एक घंटे का समय आवंटित करने का विचार था लेकिन फिर एक सुझाव दिया गया कि क्या हम विधेयक के लिए आवंटित समय को बढ़ा या उसमें कमी कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहता हूँ। हम विधेयक को कितना महत्व देते हैं, यह अपने आप में एक अलग मुद्दा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज देश के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 31.3 मिलियन मामले लंबित हैं, जिनमें लगभग 64,000 मामले देश के उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय जैसे कुछ उच्च न्यायालयों में लगभग 10,45,000 मामले लंबित हैं। अत: उन सभी कानूनों का निरसन किया जाना वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है ताकि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके।

इसके अलावा इस विधेयक विशेष में शामिल सभीअधिनियम संशोधन अधिनियम हैं और इसलिए ये मूल अधिनियमों में मौजूद हैं और इन्हें अलग से बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद, विधि आयोग की प्रतिवेदन के संबंध में बात करते हैं, जिसका हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने उल्लेख किया है। भारत के विधि आयोग ने अपने 248वें प्रतिवेदन में 'पुराने कानूनों के अविलंब निरसन की आवश्यकता' शीर्षक के तहत ने 253 कानूनों और उनके मूल कानूनों के तत्काल निरसन का सुझावदिया था इनमें से कुछ प्रमुख कानून 1850, 1860 के हैं और आज के संदर्भ में अपना महत्व और प्रासंगिकता खो चुके हैं। अत: महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्री से अनुरोध है कि इन 253 कानूनों जिनकी सिफारिश विधि आयोग द्वारा की गई है, के निरसन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्यों न तुरंत कदम उठाए जाएं।

अंतत:, मुझे एक या दो बातें और कहनी हैं। विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में आगे कहा है कि 34 विधेयकों का पहले ही निरसन कर दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये अभी भी सरकार के वेबसाइट पर 'केंद्रीय अधिनियम कालक्रम' शीर्षक के अंतर्मन उपलब्ध हैं। विधि आयोग की अनुशंसा और प्रतिवेदन के बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि इन्हें हराया क्यों नहीं गया। और, इसके विपरीत, पांच ऐसे कानून हैं जो 2008 में पारित किए गए थे। मैं उनमें से केवल एक या दो का नाम लूंगा। एक है राष्ट्रीय जलमार्ग (तलचर-धमरा) अधिनियम, 2008 और दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग (काकीनाडा-पुडुचेरी) अधिनियम, 2008 है। इन्हें 2008 में पारित किया गया था लेकिन इन्हें केंद्र सरकार की वेबसाइट पर नहीं दर्शाया गया है जबकि उन्हें वहां होना चाहिए था। यहां मेरा निवेदन यह है कि ऐसा करके क्या हम देश को लोगों के समक्ष एक भ्रामक तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं? वे सरकार के प्रतिवेदन, सरकार की वेबसाइट और सरकार की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हैं। क्या हम ऐसी स्थिति नहीं बना रहे हैं जिससे लोग गुमराह हो जाएं और गलत रास्ता अपना लें?

वैसे, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, लेकिन इस अवसर पर मैं माननीय विधि मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे उन सभी टिप्पणियों पर गौर करें और ऐसे प्रयास करें जो हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक हों ताकि भविष्य में हमारे समक्ष इतनी बडी संख्या अर्थात् 31.3 मिलियन लंबित मामले लंबित न हों । बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी की और अपनी ओर से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, माननीय विधि मंत्री ने इस विधेयक में पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के लगभग 90 संशोधित अधिनियमों का निरसन करने के लिए निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 पुर:स्थापित किया है। लेकिन, यह विधेयक श्री नरेन्द्र मोदी जी के उस एजेंडे के अनुरूप नहीं है जिसके अनुसार पुराने कानूनों को हटाया जाना था। उनका मानना है कि ऐसे कानून और नियम कुशल शासन में बाधा डालते हैं। चुनावी भाषणों के साथ-साथ कुछ अन्य बैठकों में, जिन्हें उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने जोरदार ढंग से कहा कि उन सभी अधिनियमों, जो पुराने हो गए हैं, का निरसन कर दिया जाएगा। मुझे खुशी होती यदि विधि मंत्री ने उन मूल अधिनियमों के निरसन के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित किया होता जो कि अप्रचलित हो गए हैं।

2004 में 14वीं लोक सभा में निर्वाचित होने से पहले मैं एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा था। माननीय विधि मंत्री भी वकील हैं। इसी पृष्ठभूमि के कई अन्य अच्छे मित्र भी यहां मौजूद हैं। मैं कहना चाहूंगा कि निचले स्तर पर भी मजिस्ट्रेटों ने ऐसे कानूनों का हवाला दिया है, जो पुराने हो चुके हैं और निरसित नहीं किये गये हैं। ऐसे कानूनों केकारण देश में न्यायपालिका द्वारा आधुनिक समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की वजह से देश में प्रैक्टिस कर रहे वकील और न्यायिक अधिकारी नवीनतम निर्णयों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। विधि आयोग ने नवीनतम ही नहीं बल्कि अपने विभिन्न प्रतिवेदनों में उन प्रमुख अधिनियमों का निरसन करने का सुझाव दिया है, जो पुराने हो चुके हैं और समाज के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं हैं।

मैंने अभी सुना कि माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे अधिनियमों, जो कि समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं, के निरसन के लिए एक समिति गठित की है। मुझे उम्मीद है कि सरकार और विशेष तौर पर

विधि मंत्री यथाशीघ्र यह सुनिश्चित करने के लिए पहल करेंगे कि उन मूल अधिनियमों जो समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं, का क्रमबद्ध ढंग से निरसन किया जाए।

मैं एक बार फिर इस विधेयक का पूर्णत: समर्थन करता हूँ।

श्री वाराप्रसाद राव वेलागपल्ली (तिरूपति): मुझे यह अवसर देने के लिए मैं पीठासीन अधिकारी को ह्रदय से धन्यवाद देता हूं। इसे एक बार फिर यह प्रमाणित होता है कि माननीय प्रधान मंत्री जो कहते हैं, वह करते हैं। हमारी पार्टी इस विधेयक का स्वागत करती है।

वास्तव में, ऐसा 10 वर्षों में एक बार करने की बजाय, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में होता है, वार्षिक आधार पर किया जा सकता है।

मेरे अनुसार, इस विधेयक में जो निवारक उपाय किए गए हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। अब, लगभग 100 कानून निरस्त किये जा रहे हैं और 40 कानून संसदीय स्थायी समिति के पास लंबित हैं। यदि अचानक कई विधेयकों का निरसन एकसाथ हो जाएगा, तो लोगों को नुकसान होगा क्योंकि कई मामले विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े हैं। लोग यह तय नहीं कर पायेंगे कि वे किस दिशा में जाएं। ऐसे में न्यायाधीशों अथवा संबंधित पक्षों के हितधारकों को नुकसान होगा। इसलिए, कम से कम निवारक उपाय भविष्य में थोड़े व्यापक हो सकते हैं।

मेरे अनुसार, 30 से अधिक मामले संसदीय स्थायी समिति को भेजे गए हैं। मैं भी उसमें भागीदार हूँ। इससे इनका शीघ्रता से निरसन करने में भी मदद मिलेगी। औपनिवेशिक अधिनियमों, विभाजन और स्वतंत्रता-पूर्व अधिनियमों और आपातकालीन कानूनों का निरसन एक स्वागत योग्य कदम है। पूर्ववर्ती वक्ता ने उल्लेख किया है कि वाजपेयी जी के समय में 1400 कानूनों की पहचान की गई थी, लेकिन केवल 400 कानूनों का निरसन किया जा सका। इसमें काफी अंतर है। अत: जो विधि आयोग या इस उद्देश्य के लिए गठित समिति सिफारिश करती है उसके अनुरूप शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।ये कानून उद्योग या सामाजिक पहलुओं के संबंध में भारत के विकास से भी जुड़े होने चाहिए।

यह प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण और सपना है कि 'मेक इन इंडिया' को और अधिक सफल बनाया जाए, और कानूनों को अधिक व्यावहारिक और प्रयोज्य बनाया जाए। इसमें एफ.आई.सी.सी.आई. और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जैसे संगठनों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कर प्रणाली और अन्य चीजों को भी सरल बनाया जा सके।

हालांकि हम पुराने कानूनों के निरसन और संशोधन के समय कुछ प्रशासनिक सुधार से बहुत खुश हैं लेकिन निरसन के साथ-साथ कुछ प्रशासनिक सुधार भी बेहद आवश्यक है, इसका सीधा सा कारण यह है कि हम जिस भी प्रकार की वृद्धि की उम्मीद करते हैं, जैसे औद्योगिक विकास, आदि, जब तक कि साथ-साथ प्रशासनिक सुधार नहीं किए जाते हैं, यह वृद्धि हासिल नहीं की जा सकती है।

कानून निवेश हितैषी बनाये जाने चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम निरसन तो कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा कानूनों को भी आधुनिक और अद्यतन किया जाना चाहिए। यह सरकार से हमारा अनुरोध है और जब तक ऐसा नहीं किया जाता, सरकार का विज़न या सपना पूरा नहीं हो सकता।

विश्व बैंक बार-बार हमारे देश को बताता रहा है कि अन्य देशों में न्यायिक प्रक्रिया काफी तेज है, लेकिन जब भारत की बात आती है, तो कानूनी समाधान 1,400 से 2,000 दिन लग जाते हैं। इस कारण से निवेशक हमारे देश में निवेश करने से डरते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पहलू पर भी विचार करे। अत: कानूनों का निरसन, अद्यतनीकरण और आधुनिकीकरण साथ-साथ होना चाहिए। इसलिए, मैं यह दोहराना चाहता हूं कि सरलीकरण, आधुनिकीकरण और अद्यतनीकरण साथ-साथ किया जाना चाहिए।

मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मामले लंबित हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता उल्लेख कर रहे थे, 32 मिलियन मामले लंबित हैं। वास्तव में, वे यह उल्लेख करना भूल गए कि 32 मिलियन मामले 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं, जिनमें से 10 से 20 प्रतिशत 10 वर्षों

से अधिक समय से लंबित हैं। इसका मतलब है कि भारत में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है और रिक्तियाँ भी बहुत अधिक हैं। इसलिए, जब तक इन बातों पर व्यापक रूप से ध्यान नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि हमारी कानूनी व्यवस्था बहुत प्रभावी होगी।

इन कुछ सुझावों के साथ, मैं एक बार फिर मुझे यह अवसर देने के लिए पीठासीन अधिकारी को धन्यवाद देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, मुझे निरसन और संशोधन विधेयक 2014 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इस विधेयक को लाने के लिए माननीय कानून मंत्री को धन्यवाद देता हूं क्योंकि जो कानून अप्रचलित है और अपना महत्व खो चुका है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए और विधि आयोग ने भी सिफारिश की है कि इस प्रकार के कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। यह एक आवधिक उपाय है और अगर हम वर्ष 1950 से 2001 के बीच देखें, तो पाएंगे कि यह उपाय सबसे पहले 2001 में किया गया था। अब, 2001 से अब तक इतना लंबा समय बीतने के बाद, निरसन के लिए यह विधेयक इस महान सदन के समक्ष लाया गया है। यह बहुत पहले किया जाना चाहिए था। लेकिन यह कदम हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उन पुराने कानूनों के निरसन के एजेंडे के अनुरूप है, जिनकी प्रासंगकिता खत्म हो गई है। अब, हम संविधि-संग्रह को अनावश्यक रूप से भारी नहीं रखना चाहते हैं।

मैं माननीय विधि मंत्री को यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के समय के कानून भी मौजूद हैं, और मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कुछ उन कानूनों के संबंध में जिन पर हम 1950 से अब तक अमल नहीं कर सके। यह 1938 के आपराधिक दंड (संशोधन) अधिनियम से संबंधित है। मूल रूप से, यह कानून उन भारतीयों को दंडित करता है जिन्होंने लोगों को युद्ध में शामिल होने से रोका। इसे उन लोगों को दंडित करने के लिए अधिनियमित किया गया था जिन्होंने सार्वजनिक भाषण देकर लोगों को रक्षा बलों में भर्ती होने और ऐसे किसी भी युद्ध में भाग लेने से रोका था जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य शामिल था। इस कानून के द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य ने संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए व्यक्तियों की भर्ती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कृत्यों को भी दंडित किया। यह अधिनियम अंग्रेजी शासन की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था और जो आज अप्रासंगिक हो गया है। यही कानून नहीं, बल्कि ऐसे अनेक कानून हैं जो आज अनावश्यक हो चुके हैं। अब हमारे संविधि-संग्रह को अनावश्यक रूप से भारी भरकम बनाकर रखने का कोई कारण नहीं है। मैं माननीय विधि मंत्री से ऐसे सभी कानूनों को निरस्त करने का अनुरोध करूंगा।

मेरे विचार से, जब भी हम कोई कानून लाते हैं, तो हम संसद की विधायी क्षमता और राज्य विधानमंडलों की विधायी क्षमता को ध्यान में रखते हैं, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत प्रदान की गई है। जहां तक अनुच्छेद 246 (1) का सवाल है, यह सातवीं अनुसूची की सूची-एक के बारे में बताता है, जिसे 'संघ सूची' कहा जाता है। संसद उस संबंध में कानून बनाने में सक्षम है। अनुच्छेद 246 (2) सातवीं अनुसूची की सूची-तीन, यानी 'समवर्ती सूची' से संबंधित है, जहां संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इसके संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। अनुच्छेद 246 (3) सूची-दो से संबंधित है, जो 'राज्य सूची' है, जहां संबंधित राज्य विधानमंडल कानून बनाने के लिए सक्षम है।

इस महान सभा के समक्ष कोई संशोधन या कोई विधेयक लाते समय, मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कम से कम यह बताएं कि संविधान के किस प्रावधान के तहत और किस प्रविष्टि के तहत, विधेयक संशोधन है, चाहे वह 'संघ सूची' के अंतर्गत हो या 'समवर्ती सूची' के अंतर्गत हो, या कोई अन्य अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत हो, क्योंकि इससे इस महान सदन के माननीय सदस्यों को इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने में मदद मिलेगी। दूसरे, विधेयक में एक प्रावधान किया गया है जिसमें कहा गया है:

> "...और यह अधिनियम पहले ही हो चुके या प्रभावित हुए किसी भी चीज की वैधता, अमान्यता, प्रभाव या परिणाम, या पहले से ही प्राप्त, अर्जित या उपगत, या उसके संबंध में किसी भी उपाय या कार्यवाही, या किसी भी ऋण, दंड, उत्तरदायित्व, देयता, दावा या मांग, या पहले से प्रदान की गई किसी भी क्षतिपूर्ति, या किसी भी पिछले अधिनियम या किसी घटना के प्रमाण को प्रभावित नहीं करेगा।"

यह 'बचत' खंड संबंधी प्रावधान से संबंधित है, लेकिन साथ ही, यह स्पष्ट नहीं है कि यह अधिनियम कब से लागू होगा, इस महान सभा द्वारा पारित होने की तिथि से, या सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, या किसी निर्दिष्ट तारीख से। विधेयक में इसका उल्लेख होना आवश्यक है।

ये मेरे विचार हैं, जिन्हें मैं माननीय विधि मंत्री के समक्ष रखना चाहता था। मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम): महोदय, मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। सीधी बात यह है कि जब हमारे संविधान में इतनी बार संशोधन किया जा रहा है, तो कुछ पुराने अधिनियमों को निरस्त करने की आवश्यकता है। जब देश की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, तो हमें जनता की जरूरतों के अनुसार कई कानूनों अथवा अधिनियमों में परिवर्तन करना ही होगा, विशेषकर जब श्री नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनने के लिए व्यक्तिगत जनादेश मिला। ऐसे अधिनियम जो अनावश्यक हैंतथा जो जनता के कल्याण के प्रतिकूल हैं, उन्हें निरस्त करने की नितांत आवश्यकता है। पिछले 67 वर्षों में, हमने कई सरकारों को आते और जाते देखा है, और अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती रही जिसके कारण उच्चतम न्यायालय को ऐसे कई कानूनों को रद्द करना पड़ा, जो हास्यास्पद और उपहास बन गए हैं। संसदीय लोकतंत्र में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश पर अधिनियमों को निरस्त करने के बजाय, यह बेहतर है कि यह इस महान सदन के माध्यम से किया जाए क्योंकि संसद सर्वोच्च है। चूंकि लोगों की इच्छा संसद में प्रतिबिंबित होती है, इसलिए बेहतर है कि हम ऐसा करें। यह किसी भी कार्यालय से फाइलों को बाहर निकालने जैसा है। जब भी कोई कार्यालय होता है तो पुरानी फाइलों को दस साल तक परखने के बाद हमेशा छांट दिया जाता है। लेकिन विधेयक के इस निरसन और अधिनियमन में, मैंने 2013 का एक अधिनियम देखा है जिसका पर्याप्त परीक्षण नहीं किया गया है। हो सकता है, एक वर्ष या दो वर्ष तक इसका परीक्षण किया गया हो। इसलिए ऐसी जल्दबाजी से भी बचना चाहिए। किसी भी अधिनियम को निरस्त करने से पहले कम से कम तीन, चार साल तक उसका परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि अधिनियम का उद्देश्य पूरा हो सके। लेकिन, हम वास्तव में इन अधिनियमों का स्वागत करते हैं जिन्हें अब निरस्त किया जा रहा है।

हमारे प्रगतिशील नेता श्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी को भी मौजूदा कानूनों में बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। लेकिन केवल वर्तमान कानूनों अथवा पुराने कानूनों को बदलने से तब तक कोई फायदा नहीं होता, जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलते हैं। हमारा

नजरिया भी बदलना चाहिए। अधिनियम जनता की भावना के अनुसार होने चाहिए।फिलहाल, लोग परिवर्तन चाहते हैं, एक बड़ा बदलाव क्योंकि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति की तरह व्यक्तिगत रूप से श्री नरेन्द्र मोदीजी को वोट दिया है, किसी पार्टी को नहीं। इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि यदि कोई ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा हमारे देश की अर्थव्यवस्था अथवा सामाजिक क्षेत्र अथवा अन्य किसी क्षेत्र को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा है तो ऐसे कानून को अपनी कानून व्यवस्था में रखकर हम इस पर और बोझ न बढ़ाए। हम अधिनियमों को वकीलों के लिए स्वर्ग का साधन न बनाएं। इसके साथ-साथ हमें ऐसे अधिनियम बनाने चाहिए जिन्हें आम आदमी समझ सके ताकि जनता में विधायिका और कानून व्यवस्था के प्रति और अधिक आदर हो। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मुकदमों और वकीलों के लिए स्वर्ग हैं, अब समय आ गया है कि हम उन अधिनियमों को निरस्त करने का प्रयास करें जो पुराने हैं और उपयोगी नहीं हैं। अतः यह अधिनियम अत्यंत स्वागतयोग्य है। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। हमें उम्मीद है कि भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली सरकार और अधिक बदलाव लाएगी। हम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप अधिक गतिशील कानूनों की अपेक्षा करते हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: सभापति महोदय, मैंने अभी तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य को सुना। इससे पहले मैंने टी.आर.एस. और अन्य दलों के सदस्यों को भी यह कहते हुए सुना था कि कई अप्रचलित और अनावश्यक कानून हैं। हाल ही में कार्यभार संभालने वाले विधि मंत्री हर कानून का अध्ययन कर रहे हैं। जहां तक संभव होगा, जितने भी अधिनियम अनावश्यक हैं, जो अप्रचलित हैं, वे सभी रद्द किये जायेंगे। वह प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री ने हमें तीन 'एस' मंत्र दिए। उन्होंने कहा, कौशल, पैमाना और गति। मैंने जो हस्तक्षेप किया है, वह एक कारण से है। बाहर भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे और विपक्ष के हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं कि सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? हम जल्दबाजी में नहीं हैं। लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हमें तत्परता और तेजी से काम करना होगा। इसीलिए हम यह कानून ला रहे हैं। सदस्य जितना चाहें उतने समय तक भाग ले सकते हैं। वे अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो हम देर रात तक या कल सुबह भी बैठ सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। सरकार बहुत स्पष्ट है। हम चर्चा करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं और निर्णय लेना चाहते हैं, परेशान नहीं करना चाहते। यह हमारी सरकार का विचार है।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 के बारे में मुझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी है।

सभापति जी, जो विधेयक हमारी सरकार लाई है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ऐसे कितने ही कानून बने हैं, जो सिर्फ कानून की किताबों में हैं, व्यवहार में उनका कोई औचित्य नहीं है। ये कानून लोगों पर बोझ हैं और ऐसे कानूनों को निरस्त करने के लिए हमारी सरकार यह जो बिल लाई है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे स्मरण है कि वर्ष 2014 के चुनाव के वक्त हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बना था, उसमें भी इस मुद्दे को शामिल किया गया था कि जितने ऐसे कानून हैं, जो व्यवहार्य नहीं हैं, लोगों पर बोझ हैं, उनको हम निरस्त करेंगे, ऐसे कानूनों को हम दूर करेंगे। लोगों के लिए कानून का सरलीकरण करने का जो यह प्रयास है, इसकेलिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे कई कानून हैं, जो ब्रिटिश काल में बने थे। ऐसे कई कानून सिर्फ किताबों में ही पाए जाते हैं। मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है कि पिछली सरकार जिसने दस साल तक शासन किया, कई नए कानून तो बनाए, लेकिन जो पुराने कानून लोगों पर बोझ थे, उन्हें दुरुस्त करने का प्रयत्न नहीं किया। हमारी सरकार जो इस सम्बन्ध में यह विधेयक लाई है, इसे पारित करने के लिए मैं पूरे सदन से प्रार्थना करता हूं। इन कानूनों की वजह से लोगों को कई दिक्कतें होती हैं।

मैं उदाहरण के रूप में दो-तीन बातें यहां रखना चाहूंगा, जिससे पता चलेगा कि ऐसे कई कानूनों की वजह से लोगों को परेशानी होती है और ये जनता पर बोझ हैं। इसके अलावा कई कानूनों के होने से लोग या शासन भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। सन् 1878 में बने एक कानून के तहत सड़क पर पड़े नोट को देखकर आपको सरकार को जानकारी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जेल की सजा हो सकती है। इसी तरह से 1934 के कानून के मुताबिक पतंग बनाना, बेचना और उड़ाना प्रतिबंधित है। इसके लिए पहले आपको परमिट लेना होगा। मैं गुजरात से आता हूं। वहां पर

पतंगबाजी को बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहां लोग पतंग उड़ाने के काफी शौकीन हैं और वे इसका आनंद लेते हैं। अब आप ही सोचिए कि इस तरह के कानून जनता के लिए बोझ हैं या नहीं।

इसी तरह से एक अन्य कानून है जो विदेशी नागरिकों के यहां ठहरने की अवधि को लेकर है। इस कानून को 1938 में बनाया गया था। इसके अनुसार अगर कोई विदेशी हमारे यहां 180 दिन से ज्यादा अवधि तक ठहरता है तो उसे सरकार को अपनी गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट देनी होगी। यह कानून भी ब्रिटिश साम्राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। उस समय इस कानून का यह मकसद था कि भारत के क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाया जाए।

इस तरह के अप्रचलित कानूनों को हटाने के लिए सरकार जो यह विधेयक लाई है, इसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान लोगों से वादा किया था कि अगर हमारा शासन आया तो लोगों के बीच में जो ये अप्रचलित कानून हैं, अप्रासंगिक कानून हैं, इन्हें हम हटा देंगे। इसलिए उनके द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है, मुझे इस पर गौरव है। मुझे गर्व है कि जब 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी थी, तो उन्होंने पी.सी. जैन समिति का गठन किया था, जिसका काम था कि वह ऐसे कानूनों की पहचान करे। उस समिति ने इस तरह के अप्रचलित्ा 415 कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव किया था। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने ऐसे कानूनों को चिन्हित करने के लिए श्री रामानुज की अध्यक्षता में समिति बनाई और उससे कहा गया कि जो भी ऐसे अप्रचलित कानून हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए। अब इस विधेयक के जरिए इन कानूनों को रिपील करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय काम है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी भाषा में कानून की प्रस्तुति होनी चाहिए, जिसे आम आदमी समझ सके। देखा जाए तो लगभग सभी कानूनों की भाषा इतनी कम्पलीकेटेड होती है कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता है। मेरा कानून मंत्री जी से निवेदन है कि कानून ऐसी भाषा में प्रस्तुत

करें कि लोग उसे समझ सकें। कई न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा के उपयोग पर प्रतिबंध है। जहां तक हाई कोर्ट्स का सम्बन्ध है, वहां पर क्षेत्रीय भाषा पर रोक है। अब आप ही देखें कि कैसे गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति इस कानून की प्रक्रिया समझ सकता है। अगर वह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, और कभी-कभी वह भाषा इतनी कम्प्लीकेटेड होती है कि पढ़े-लिखे लोगों की समझ के बाहर होती है।

मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात सरकार ने गुजरात हाई-कोर्ट में गुजराती में काम करने के लिए, पहले कई बार केन्द्र सरकार को निवेदन किया है, मगर आज तक गुजराती भाषा में गुजरात के हाईकोर्ट में काम नहीं होता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सभी न्यायालयों में रीजनल भाषा में कार्य करने का अनुरोध किया जाए। मैं पेशे से डाक्टर हूं और इस विधेयक में, यह मुद्दा शामिल है या नहीं है, इसका मुझे पता नहीं है।जहां तक पोस्ट-मार्टम का सवाल है, पोस्ट-मार्टम के बारे में शायद ऐसा नियम है कि पोस्ट-मार्टम दिन के समय होता है, रात में नहीं होता है। कभी-कभी शाम को 6-7 बजे हादसा होता है, तो पूरा परिवार रात भर डैड-बॉडी के पास बैठा रहता है। शायद कानून में ऐसा कहा गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर मुझेइसका पता नहीं है। सार्वजनिक जगह पर आप जाओ तो पोस्ट-मार्टम डे-लाइट में ही होता है। मेरी समझ ऐसी है कि डे-लाइट में पोस्ट-मार्टम के जो कलर्स आते हैं जैसे कि साइनोसिस होता है, ब्ल्यूइस कलर होता है, तो वह अच्छी तरह से एप्रीसिएट नहीं होता है। मेरा आंकलन है कि जब लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तब ऐसे कानून बने होंगे। आज बड़े-बड़े ऑपरेशन रात को होते हैं, तो पोस्ट-मार्टम नाइट में क्यों नहीं हो सकता । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि पोस्ट-मार्टम दिन के उजाले में होने का जो कानून है उसे बदलकर किसी भी समय यह हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।इसे एक सेमी-इमरजेंसी के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को रात भर बैठना पड़ता है। जब परिवार में हादसा होता है तो लोगों की स्थिति क्या होती है, हम सभी इसे जानते हैं।

मैं आपसेअनुरोध करता हूं कि इस पोस्ट-मार्टम को कानून के दायरे में लाया जाए और किसी भी वक्त पोस्ट-मार्टम इमरजेंसी के तौर पर किया जाए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

[अनुवाद]

***श्री शेर सिंह गुबाया (फिरोज़पुर) :** सभापति महोदय, मुझे "निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014" पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इस महान सदन में यह विधेयक लाने के लिए मैं माननीय मंत्री श्री गौड़ा जी को धन्यवाद देता हूं।यह एक समय पर उठाया गया कदम है और इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी को जाना चाहिए।

जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने बताया है, ऐसे कई अप्रचलित और अनावश्यक कानून हैं, जो आजादी से पहले बनाए गए थे।वे अब अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। वे आज भी संविधि-संग्रह में मौजूद हैं। वे अब अपनी उपयोगिता खो चुके हैं।

इसलिए, समय की मांग है कि इन कानूनों को निरस्त किया जाए, जो अब प्रासंगिक नहीं हैं। कुछ अन्य कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। मैं ऐसे कानूनों के कुछ उदाहरण दूंगा।

महोदय, हम एक मशीनी युग में रह रहे हैं। दुर्घटनाओं से संबंधित कानून पुराने हो चुके हैं। इन कानूनों को अद्यतन करने की आवश्यकता है। सड़क-दुर्घटना में लोगों की हत्या करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति को कड़ी सजा नहीं दी जाती है क्योंकि दुर्घटना कानूनों में इसका कोई प्रावधान नहीं है। यह कानून पुराना है और इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। गलती करने वाले ड्राइवरों को नाममात्र दंड देकर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए, सड़क अधिनियम की समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता है।

---

* मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इसी तरह, महोदय, सड़क पर हादसे के पीड़ितों की सहायता के लिए कोई दर्शक या तटस्थ कभी आगे नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। यह कानून की एक खामी है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है।

महोदय, मैं पंजाब से हूँ। भूमि का बड़ा हिस्सा पहले 'वन क्षेत्र' के अंतर्गत आता था और उसी रूप में पंजीकृत था। हालाँकि, समय बीतने के साथ जंगल कटते गए और लोग वहाँ रहने लगे। हालाँकि, वे अभी भी वन भूमि के रूप में पंजीकृत हैं।लेकिन, अब वहां गांव बस गए हैं और जमीन पर खेती की जाती है। इसलिए, अब समय आ गया है कि यह जमीन ग्रामीणों को दे दी जाए। ऐसे और भी मामले हैं। ऐसी 'वन भूमि' पर सड़कें और नहरें बहुत पहले बन चुकी थीं। वर्तमान वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कानून में संशोधन की जरूरत है।

इसी तरह महोदय, ऐसे स्थान हैं जो शुरू में 'छावनी क्षेत्र' थे। हालाँकि, अब वे कस्बों और शहरों का हिस्सा बन गए हैं। गरीबों के पास वहां मकान तो हैं, लेकिन वे इन मकानों को अपने नाम पर आवंटित नहीं करा सकते। फिरोज़पुर में भी यही स्थिति है। आधा शहर अभी भी छावनी क्षेत्र में है। इस मामले को हाल ही में माननीय मंत्री श्री जेटली जी द्वारा सुलझाया गया था। हालाँकि, समस्याएँ बनी हुई हैं और इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी भूमि, जहां गरीब नागरिकों के मकान हैं, उन्हें आवंटित किया जाए।

महोदय, अंत में, मैं माननीय मंत्री श्री गौड़ा जी को धन्यवाद देता हूं और हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने शायद इस बात का गहराई से अध्ययन किया होगा कि अभी जो वर्ल्ड बैंक में एक रिपोर्ट पेश की गयी थी, जिसके अंतर्गत भारत उन देशों में था, जहां अपना कारोबार शुरू करने के लिए 14 सौ दिन तक लग सकते हैं। कानून के इतने हिन्डरेंसिज़ हैं कि किसी को अपना कारोबार शुरू करने में दिक्कतें आती थीं, जिसके परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति के लिएनया कारोबार करना ही बहुत कठिन हो गया। वक्त की मांग है कि भारत को एक अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए और यहां बिज़नेस को तेज़ी से चलाने के लिए इस प्रकार के कानून का आना आति महत्वपूर्ण है।

37 साल पहले इमरजेंसी के ज़माने में एक कानून बना, जिसके अंतर्गत उस समय के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी को पक्का करने के लिए संविधान में संशोधन करके एक धारा 329 (ए) जोड़ दी, ताकि कोई उनकी सत्ता को चुनौती न दे सके। यह तो शुक्र है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में एक आंदोलन चला।

अपराह्न 4.00 बजे

और भारत माता के लाल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस समय देश की अगुवाई की और उस प्रकार के कानूनों से हमें उस समय छुटकारा मिला। आज क्या मतलब है कि एक कानून 1861 का है, घोड़ा-बग्घी का केस है, जो अंग्रेजों के जमाने में चला करती थीं, लेकिन आज उस कानून का भी कई जगहों पर दुरुपयोग करके लेबरर्स को तंग किया जाता है। ऐसे कानून की आज क्या मान्यत है। इसी प्रकार 1957 में एक टेलीग्राफी एक्ट बना था, उसके तहत टेलीग्राफ में जब मैसेज भेजते थे तो तब तांबे की तारें आती थी और उन तारों की बड़े पैमाने पर चोरी होती थी। लेकिन आज डिजिटल क्रांति आई है और शायद आज तांबे का तारों का प्रयोग उतना नहीं होता है। इसलिए उस कानून को भी आज बदलने की जरूरत थी।

आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की विभिन्न अदालतों में चार करोड़ से भी आधिक मुकदमे लम्बित पड़े हैं। इतने लम्बे समय तक केस क्यों चल रहे हैं, कुछ केसिज में सारी उम्र निकल जाती

है, क्योंकि कानून पर कानून निकलते जाते हैं और हर कदम पर कुछ ऐसे अवांछित कानून रास्ते में आ जाते हैं कि न्याय मिलने में सारी उम्र निकल जाती है। आज जो ज्युडिशियल रिफार्म्स कमीशन बना है, उसे इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां अमरीका जैसे देशों में एक मिलियन लोगों को न्याय देने के लिए लगभग 108 जजेज होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में एक मिलियन लोगों पर मात्र 12 जजेज होते हैं। फिर किस प्रकार से मुकदमों का जल्दी फैसला होगा। मैं समझताहूं कि इस क्षेत्र में भी बहुत क्रांतिकारी कदम उठाये जाने की जरूरत है, ताकि भारत के लोगों को स्पीडी न्याय मिले।

आज वक्त आ गया है कि जो इस प्रकार के अनुपयोगी और अप्रासंगिक कानून सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं और जो भारत की न्याय व्यवस्था में दीमक की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे कानूनों से हमें छुटकारा पाना चाहिए और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया है और माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदारी लेते हुए अपने भाषणों में बोला है कि किस प्रकार से पोस्टमार्टम के समय पुराने कानूनों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अस्पताल में जाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसी तरह से हम सड़कों पर देखते हैं कि एक्सिडैन्ट्स में लाशें पड़ी रहती हैं, लेकिन उनके पास से जाते हुए लोग जानते हैं कि एक हादसा हो गया है, लेकिन कानून इस प्रकार के हैं कि कोई उनकी मदद नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे समय में उनकी कोई मदद कर दें, उपचार के लिए पास के अस्पताल ले जाए तो बहुत से लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन पुराने कानूनों की वजह से, कानूनी अड़चनों की वजह से लोग इस प्रकार की हिम्मत नहीं कर पाते कि वे उनकी किसी प्रकार की सहायता कर सकें और इस प्रकार हमारे देश में हजारों लोग हर वर्ष सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। आज इस तरह के कानूनों में बदलाव लाये जाने की आवश्यकता है। मैं कई बार हैरान होता हूं कि अंग्रेजों के जमाने के कानून सैकिंड वर्ल्ड वार के समय के कानून आज तक हमारी किताबों में चल रहे हैं। कुछ कानूनों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार और सैकिंड वर्ल्ड वार में भारत के लोगों को इंग्लैंड की मदद के लिए वहां की मिलिट्री में किसी सहायता के लिए भर्ती किया गया, हिंदुस्तान के लोग उस फिरंगी शासन के खिलाफ बातें किया करते

थे। लेकिन जैसे ही उन बातों का पता चलता था, हिंदुस्तान के लोगों को गिरफ्तार कर के वे पिरंगी लोग अण्डमान निकोबार के काला पानी में भेज दिया करते थे। क्या आज 68 साल की आजादी के बाद उन काले कानूनों की भारत के अंदर जरूरत है?आज वक्त आ गया है कि इस प्रकार के उन पुराने कानूनों से छुटकारा दिला कर भारत के अंदर एक नए खून का संचार हो रहा है।

सभापति महोदय, एक नई क्रांति हिंदुस्तान के अंदर आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बिजनस को बढ़ावा देने के लिए, इस ग्लोबलाइज़ेशन और लिब्रलाइजेशन के युग के अंदर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे देश के अंदर निवेश करने के लिए आए और हमारी आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाने में सभी देश भागीदार बनें। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर रेलवे के नए-नए प्रोजेक्ट्स आएं। हम चाहते हैं कि हमारा देश को ऑयल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर कुछ लोग, कुछ देश हमारी मदद करना चाहते हैं तो उस मदद के रास्ते में जो पुराने कानून आ रहे हैं, ऐसे सभी कानूनों से हमें मुक्ति पानी होगी। उसी दिशा में एक यह बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। मैं इस बिल का पूरा-पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति महोदय, कानून मंत्री जी के द्वारा ऐसे नियम और कानून जिनकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है, उनके निरसन के लिए यह जो विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में सभ्य समाज में नियम और कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों के आधिकारों की रक्षा हो सके और उनको उनकेकर्त्तव्यों के विषय में बताया जा सके। कालांतर में धीरे-धीरे ऐसे बहुत सारे कानून बन जाते हैं, विभिन्न संदर्भों में बनते हैं, जिनकी उपयोगिता बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन वे कानून सरकारी मशीनरी के हाथ में एक ऐसे हथियार के रूप में रहते हैं, जिनका दुरूपयोग कर के जनता को समय-समय पर बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे बहुत सारे साथियों ने ऐसे विभिन्न कानूनों का जिक्र किया, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। लेकिन वे वर्तमान में मौजूद हैं, जिनका दुरूपयोंग होता है और

लोगों के आम जीवन में जो सरलता होनी चाहिए, उसमें वे कठिनता लाने का काम करते हैं। अभी जैसे बहुत सारे मुकदमों की बात चल रही है। जगह-जगह पर चर्चा होती है कि लोगों को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे भी ऐसे बहुत सारे कानून जो विभिन्न अदालतों द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे समयों में और संदर्भों में दे दिए जाते हैं, जिनका दुरूपयोग ऐसे लोग करते हैं जो अपराधी होते हैं, जिनको सजाहोने वाली होती है, ऐसे लोग करते हैं। ऐसे उन नियमों कानूनों का दुरूपयोग कर के समय सीमा लगातार बढ़ाते चले जाते हैं और कानून का दुरूपयोग कर के वे बचे रहते हैं। ऐसे में वे सारे कानून जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनको समाप्त करने के लिए माननीय कानून मंत्री जी द्वारा जो विधेयक लाया गया है, निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय है और सराहनीय है। इसको हम लोग सर्वसम्मति से पास भी करना चाहेंगे।

हमारे विरोधी दल के बहुत सारे साथी, जो सुबह-सुबह बहुत शोर मचाते हैं, कभी-भी सदन को ठीक ढंग से चलने नहीं देते हैं, हमलोग जो पहली बार सदन में चुन कर आए हैं, बहुत प्रयासों के साथ, नियम और कानून के साथ अपने नोटिसेज देते हैं। लेकिन उन नोटिसों को भी संज्ञान में न ले कर वे शोर मचा कर हम लोगों के अधिकारोंको समाप्त करने का हमेशा प्रयास करते हैं। जब कि आज यह इतना बढ़िया समय था कि कितने सारे कानून निरसित किए जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। लेकिन खास कर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के लोग आज यहां पर मौजूद नहीं है। अब उनकी जिम्मेदारी का अहसास उनको कौन करायेगा? उनके मतदाताओं ने उनको बहुत अपेक्षाओं के साथ, बहुत आशाओं के साथ इस लोक सभा में चुनकर भेजा है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर, जब उनको यहाँ पर होकर बहस में हिस्सा लेना चाहिए था और इन नियम-कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए थी, वे लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वे शोरमचाते हैं, वैल में आते हैं और हम जैसे लोगों को जो यह आधिकार दिया गया है, यहाँ पर लोक सभा में जो व्यवस्था बनाई गई है, हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने क्षेत्र की बात यहाँ पर कह सकें, उसको भी ये रोकने का प्रयास करते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई न कोई ऐसा कानून जरूर बनाया जाए, जिससे हमारे आधिकार को रोकने का जो उनका प्रयास होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐसे कानून हैं, जिनकी अब उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, जब पहले एन.डी.ए. की सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी थी तो उन्होंने इसका प्रयास किया था। जैन कमेटी के माध्यम से एक हजार से ज्यादा ऐसे कानूनों को खोजा गया था, जिनको समाप्त करने की आवश्यकता थी। कुछ कानून उनमें से समाप्त किये गए, लेकिन बाद में प्रक्रिया धीमी हो गई। पिछले दस सालों में बहुत धीमी प्रक्रिया रही।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश ने बहुत आशाओं और अपेक्षाओं के साथभारी जनादेश दिया है। उन्होंने यह प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम देश में वे सारे काम करेंगे, जिनके द्वारा हमारे देश के लोग सुखी हों। देश के लोगों को रोजगार मिले, उन्हें शिक्षा के अवसर मिलें, उन्हें चिकित्सा का अवसर मिले, उनके कानूनी आधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा हो, इसके लिए वे लगातार काम कर रहे हैं। उसी काम के सिलसिले में उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो काम छोड़ा गया था, उसको तुरन्त हाथ में लिया और ऐसे सभी कानूनों को निरसित करने का यह जो विधेयक लाया गया है, इसके पीछे सीधा-सीधा यही प्रयास है। वे सारे कानून जिनकी उपयोगता नहीं है, वे हमारे आधिकारों को रोकने का काम करते हैं।

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 4.11 बजे</u>

(श्री हुकुम सिंह *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट का समय लूँगा। कानून मंत्री जी, मैं तीन विषयों पर बहुत संक्षेप में आपसे बात करना चाहता हूँ। वन विभाग, राजस्व विभाग और रेल विभाग में कुछ

ऐसे कानून हैं, जैसे अगर हम राजस्व विभाग की बात करतेहैं तो राजस्व में बहुत छोटे-छोटे मुकदमे होते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई तहसील स्तर पर तहसीलदार और एस.डी.एम. के द्वारा की जाती है। इन आधिकारियों के पास बहुत सारे अन्य काम भी होते हैं। इससे किसानों का समय व्यर्थ जाता है, धन भी व्यर्थ जाता है और उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूँगा कि वह व्यवस्था समाप्त करके नये राजस्व न्यायालयों की स्थापना की जाए,जिसमें खेती-बाड़ी से सम्बन्धित मुकद्मे सुने जाएं। आप राजस्व न्यायालयों की अलग से स्थापना करने का काम करें और पुरानी प्रथा को समाप्त करें...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त करें और अपना आसन ग्रहण करें।

श्री अजय मिश्रा टेनी : महोदय, केवल एक मिनट का समय दीजिए। दूसरा, वन विभाग से सम्बन्धित मसला है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री गोपाल शेट्टी ।

श्री अजय मिश्रा टेनी: मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से चुना गया हूँ, वहाँ पर लगभग 60 प्रतिशत वन क्षेत्र है।

महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। यह बहुत सारे लोक सभा क्षेत्रों का मसला है। हमें आपका संरक्षण चाहिए । मेरे लोक सभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा वन विभाग का क्षेत्र आता है। वहाँ पर बहुत सारे गाँव भी बसे हुए हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब मैंने दूसरे वक्ता को बुला दिया है। वे खड़े हैं, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : आप जरा एक मिनट बैठ जाइये।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपस में बात मत कीजिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : यह बहुत आवश्यक है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : पहले मैं आपको समझा देता हूँ। निर्देश तो यहाँ के चलेंगे। अब आप दोनों काम करेंगे, आप भाषण भी देंगे और आप ही बिठायेंगे। आप एक ही काम कीजिए और अब समाप्त कीजिए।

श्री अजय मिश्रा टेनी : महोदय, आप मुझे एक मिनट घड़ी देखकर टाइम दे दीजिए। हमारे जंगलों के अन्दर बहुत सारे गाँव बसे हैं। उनका विकास इस कारण से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि, वन विभाग के लोग वहाँ पर रोक लगाते हैं। वहाँ पर न तो सड़कें बन पा रही हैं, न हैंडपम्प लग पा रहे हैं, न वहाँ सोलर लाइट्स लग पा रही हैं और न ही वहाँ का विद्युतीकरण हो पा रहा है। मैं कानून मंत्री जी का ध्यान उधर भी आकर्षित करना चाहूँगा और साथ ही साथ आप रेल मंत्री रहे हैं। रेलवे की बहुत सारी सड़कें, संस्थान ऐसे हैं, लेकिन उन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, संस्थानों में रंगाई-पुताई नहीं हो पा रही है। इसके लिए भी आप कुछ न कुछ कानून बनायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। हम आज ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समय पर जो कायदे बने हुए हैं, उनमें समय पर बदलाव करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मैं कानून मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे सही समय पर इन्हें बदलने का कानून यहाँ पर लाये हैं। जब लोग बहुत दिनों तक कोर्ट में केस लड़ते-लड़ते परेशान हो जाते हैं और जब उसकी जजमेंट आ जाती है, तो लोग कहते हैं कि बाबा आदम के ज़माने का बना हुआ कायदा है या ब्रिटिश के ज़माने में बना हुआ कायदा है। आज हम जब ग्लोबलाइजेशन के युग में हैं, तो ऐसे पुराने कानूनों को बदलना बहुत ही जरूरी है। ब्रिटिश ज़माने में बना हुआ कानून है कि जून में नए स्कूल बनाने के लिए वे परमिशन नहीं देते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि देश के लोगों को अनपढ़ रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दिन तक भारत में राज कर पाएंगे। ऐसे समय के लिए 420 का एक कानून बना हुआ है कि अगर कोई परमिशन लिए बिना स्कूल बनाएगा तो उस पर 420 का कानून लागू होगा। जब मैंने मुम्बई नगर पालिका में 15 साल नगर सेवक के तौर पर काम किया, तो जून महीने में बहुत सारे लोगों पर इस प्रकार के केस लगाए

जाते थे। मैंने वहां कहा था कि आपको स्कूल चलाने वाले लोगों पर 420 का कायदा नहीं लगाना चाहिए। जो स्कूल की व्यवस्था नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर कायदा लगाना चाहिए, क्योंकि, लोगों की संख्या बढ़ गई है और स्कूल नहीं होने की वजह से प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। यह कायदा अभी भी आस्तित्व में है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के कायदों को भी बदलने की जरूरत है।

महोदय, आज भी हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, उनके लिए भी कोई अलग कायदा नहीं है। जो क्रिमिनल कायदे हैं, वही कायदे इन पर लगाए जाते हैं। मेरे जैसा सामान्य पार्टी का कार्यकर्ता जब कभी भी आंदोलन होता है तो आंदोलन में हिस्सा लेता हूं। पुलिस पकड़ती है तो मैं अरेस्ट हो जाता हूं। आज के समय में मुझ पर नौ केस हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा चुनाव के समय हमेशा मुद्दा बनाते हैं कि गोपाल शेट्टी के ऊपर नौ केस हैं। लेकिन ये सभी केस पालिटिकल हैं। राजनीतिक लोगों के ऊपर किस प्रकार का केस लगाना चाहिए, इसका भी नया कायदा बनना चाहिए। पुराने कानूनों में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। पालिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को अगर पकड़ते हैं तो छह या बारह महीने में उसे फ्री कर दो। उस पर छोटा-मोटा फाइन लगाकर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने चुनाव के पहले इस बात को उठाया और कहा कि जितने भी पालिटिकल पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन पर इस प्रकार के केस फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जल्दी समाप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में टिप्पणी की। उनके सोचने और समझने पर शायद फर्क हुआ होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री की बात स्पष्ट थी कि पालिटिकल पार्टी के लोग अगर गलत करते हैं तो वे जेल जाने चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। हमारे न्याय मंडल में भी " लॉ एंड जस्टिस " का उल्लेख हुआ है। लॉ के हिसाब से वह सही है, लेकिन जस्टिस भी तो मिलना चाहिए। ऐसे सारे जो नियम हैं, वे समय-समय पर बदलने आवश्यक हैं, वरना देश में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वे इस प्रकार के बाबा आदम के ज़माने के कानूनों से परेशान हो जाएंगे। आने वाले दिनों में देश इस बात से पहचाना जाना चाहिए कि इस कानून को नरेन्द्र मोदी जी ने बनाया है जिसके माध्यम से जल्दी से जल्दी केस का निपटारा

हुआ और लोगों को न्याय मिला। इस प्रकार की एक आवाज आने वाले 25-50 सालों में सुनने को मिले। इस प्रकार का प्रोविजन होना चाहिए। जितना हो सके कम से कम समय में पुराने कानूनों में बदलाव करते हुए जब हम ग्लोबलाइजेशन के युग में जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, जब दुनिया से कम्पीट करने के लिए हम मैदान में उतरे हैं, ऐसे समय पर पुराने कानूनों को बदल कर नए कानूनों को अमल में लाने की आवश्यकता है। सही समय पर लॉ मिनिस्टर पुराने कानूनों में बदलाव करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, इसके लिए मैं उन्हें आभिनंदन करता हूं। मुझे मेरी पार्टी के नेता मेघवाल जी ने अंतिम समय में बोलने का अवसर प्राप्त करके दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र) : सभापति जी, आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी गुड गवर्नेंस, जिसके लिए आज पूरी दुनिया नरेन्द्र भाई मोदी को न्याय और जस्टिस के लिए देख रही है, वहीं आज हमारे कानून मंत्री जी इस अमेंडमेंट बिल को लेकर आए हैं।

महोदय, मैं पुलिस के बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा। आज पुलिस की स्थिति एक लाचार व्यक्ति से ज्यादा की नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा बदतर है। यदि कोई एफ.आई.आर. लॉज कराता है। एफ.आई.आर. लॉज कराने के पश्चात् पुलिस को तफ्तीश में सब कुछ मालूम होने के बाद भी वह अगर किसी चीज़ को डिलीट करना चाहे या उसे न लिखना चाहे, तो भी कोर्ट उसको कॉलकर लेती है और उसकी तफ्तीश के कोई मायने नहीं बचते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की स्थिति को कानून में स्पष्ट अंकित किया जाए। पुलिस की इंवेस्टीगेशन पर हायर ऑथोरिटी रि-इंवेस्टीगेशन तुरंत करे। जो पुलिस लिखे, उसे कोर्ट में जो रि-कॉल का सिस्टम है, उससे कानून में देरी होती है। इसके कारण कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का उसमें छूट जाना भी हमारे लिए एक दुःखद घटना साबित होती है।

महोदय, न्याय में देरी भी इसी वज़ह से होती है कि तफ्तीश पर तफ्तीश और कचहरी में पेशी पर पेशी लगती रहती है। इससे कानून एक मज़ाक जैसा लगता है। इससे हमारे कानून की स्थिति एक

घायल पक्षी की तरह हो जाती है कि न्याय पाने वाला व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता जाता है, पर फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता और देरी से मिले हुए न्याय को न्याय न मिलने के बराबर समझा जाता है।

महोदय, विवाह संबंधी कानून का आज बहुत दुरूपयोग हो रहा है। अगर इसके संबंध में स्पष्ट बात रखी जाए तो वह बात फिर पुलिस की तफ्तीश पर आकर रूक जाती है। हिन्दू मैरिज एक्टके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है और शादी के सात साल तक अगर उसकी गृहस्थी में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाए और उनकी वैवाहिक स्थिति ठीक न चले तो हमेशा महिला पक्ष की स्थिति को कंसीडर किया जाता है, पुरूष पक्ष की नहीं, चाहे पुरूष पक्ष की गलती नाममात्र की हो। इस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार से हमारे जंगली जानवरों के संबंध में वन-विभाग के कई कानून हैं, जिसके विषय में आज नियम-377 के तहत कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे भी हैं। अपने कुरूक्षेत्र से लगे हुए बहुत सारे जंगल हैं। आज वहां जानवरों के कारण किसान अपनी फसलों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। जैसे दलहन की फसलें हैं, शाक-सब्जी की फसलें हैं, इन फसलों को वहां के किसानों को सिर्फ जंगली जानवरों के कारण उस पशु संरक्षण कानून की वज़ह से छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इस कानून में भी कुछ इस तरह के प्रावधान आना चाहिए कि उनके लिए कुछ बाउंड्री बनायी जा सकती है, जैसे ज़ू होता है, उसमें वे पशु रखे जाएं। आज जंगली जानवरों की तो परिभाषा है, पर नीलगाय के कारण आज उत्तरी भारत के किसानों की फसलों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आज किसान आत्महत्या पर इसलिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वे इन जानवरों के कारण अपने फसलों की बिजाई नहीं कर पाते।

माननीय महोदय, मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि आज के जो कानून हैं, उनमें बहुत सारी खामियां हैं। जैसे वन्य कानूनों में रोड निकलने, टनल बनाने, बिजली की लाइनें बनाने से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हमारे कुरूक्षेत्र में

एक सड़क की फोर लेनिंग की परमिशन और उसके इनॉगेरेशनके लिए आए थे। लेकिन, बी.एफ.ओ. ने अभी तक उसकी परमिशन ग्रांट नहीं की कि उसकी फोर लाइनिंग कर दी जाए। इस प्रकार सरकारी मशीनरी में डिले होने की वज़ह से और काम का रिजल्ट न होने से वे ठेकेदार लोगों से रिश्वत लेने में लगे रहते हैं कि वे इसमें जितना डिले करेंगे, वे ठेकेदार उन्हें उतना ही पैसे देंगे। इसलिए कानून में विलम्ब न हों और जंगल के जो कानून हैं, उसमें इन कामोंको लेकर पारदर्शिता से उसको प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं सरकार के उस प्रयास की सराहना करती हूं जिसके अंतर्गत उसके द्वारा उन कानूनों में बदलाव करने, संशोधित या निरसित करने का प्रयास किया जा रहा है जो औपनिवेशिक दौर में बनाए गए थे और कालान्तर में अनावश्यक और आप्रासंगिक हो गए हैं। वे अत्यंत पुराने हो गए हैं और उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। समय की मांग है कि देश में ऐसे कानून हों जो कि आधुनिक समय के अनुसार संगत हों। देश में ऐसे कानून काफी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं जो बहुत पुराने होने के कारण देश के लिए अपनी उपयोगिता खो चुके हैं।

मैं यहां दो उदाहरण उद्धृत करूंगी।हमारे पास अवध तालुकदार राहत अधिनियम, 1870 है जो हमारे देश में आज भी लागू है,जबकि अवध राज्य और तालुकदार अस्तित्व में नहीं हैं। हमारे पास 1960 का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम भी है, जो शिकारियों और जानवरों को केवल 50 रुपये का मामूली जुर्माना अदा करके छूटने की अनुमति देता है। ऐसे कई उदाहरण हैं और उनमें से ज्यादातर समाज के कमजोर वर्गों जैसे किसानों, मजदूरों, जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और महिलाओं से संबंधित हैं, जिन्हें खत्म करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि सरकार राष्ट्र के व्यापक हित में कुछ कानूनों को संशोधित करे या हटा दे।

इसलिए मैं उस प्रयास की सराहना करती हूं जो सरकार आज इन कानूनों में संशोधन करने, इन अप्रचलित कानूनों में से कुछ से छुटकारा पाने और उन कानूनों की एक सूची बनाने और अपनाने के लिए कर रही है, जो आधुनिक समय के साथ अधिक मेल खाते हैं। मैं सरकार को बधाई देती हूं और अपनी पार्टी की ओर से अपना पूरा समर्थन देती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं रोड के संबंध में कहना चाहूंगा कि जब भी कोई रोड बनती है, उसका उद्घाटन होने के बाद भी एक-एक साल बाद तक फॉरेस्ट विभाग की परमीशन नहीं मिलती है, कभी पॉल्यूशन के नाम पर या कभी किसी और के नाम पर और वे काम दो-तीन साल तक लेट होते रहते हैं। माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इससे जो काम रूके पड़े हैं, वे दोबारा शुरू हो जाएंगे और जो समय बर्बाद हो रहा है, वह बचेगा।

अगर फॉरेस्ट की जमीन पर चार पेड़ भी कटने हों तो उसमें भी 6, 8 महीने से लेकर साल भर तव कई बार परमीशन लेने में लग जाता है। हमारे यहां माइनिंग का ईश्यू है। पिछले दस साल से रेत की माइनिंग हो रही है, लेकिन वह सारी इल्लीगल है। इससे न सरकार को पैसा आ रहा है और न ही इसका कोई मतलब है। सिर्फ इस बात पर कि पॉल्यूशन का बैन लगा है, तो जो रेत का ट्रक 10-12 हजार रूपए में मिलता था, वह 35-40 हजार रूपए तक आज बिक रहा है। सरकार के खजाने में उसका कोई अंश नहीं जा रहा है।

जब भी हम चौराहे पर होते हैं तो अक्सर देखते हैं, हालांकि कानून जरूर बना हुआ है, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे चौराहे पर खड़े मिलते हैं, दिल्ली के किसी भी चौराहे पर जाएं या दूसरी जगह जाएं,

वे भीख मांगते हुए मिलते हैं। हमें इसके सम्बन्ध में कानून में सुधार करना चाहिए, ताकि वह सख्ती से लागू हो सके। बच्चों का जो अपहरण होता है, उससे भी हमें निजात मिल सकती है

जब कोई भी फाइल जाती है, तो वह ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडीशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी के पास जाती है। जहां कोई फाइल सीधी जा सकती है, लेकिन उसमें चार-पांच जगह रोक लगती है। उस फाइल के जाते-जाते बहुत लम्बा समय हो जाता है।

पुलिस के सौ साल पुराने कानून बने हुए हैं। आज तक वही लागू हो रहे हैं। इससे लोगों के साथ बड़ा अन्याय भी होता है, चाहे जुडिशियरी में हो या कहीं दूसरी जगह, लोगों के केस लटके रहते हैं। इसमें भी सुधार की बहुत जरूरत है।

तीसरा, मैं डॉवरी के संबंध में कहना चाहूंगा। डॉवरी वाले केस में जिस बहन की शादी हुए भी दस साल हो चुके हों, चाहे वह पिछले दो, सात या दस साल से घर न आयी हो, फिर भी उनके नाम लिखवाये जाते हैं। इन केसों में लोगों के साथ बड़ा भारी अन्याय होता है। कई बार इस सदमे में परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। भाई अलग-अलग रह रहे हैं, चाहे वह उस शहर में रह रहा हो या नहीं, उन सबका नाम इसमें लिखा जाता है। इस कानून पर हमें ध्यान देना चाहिए और सुधार करना चाहिए।

कृषि का मामला सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे किसान के साथ अन्याय न हो। आज धान प्रति क्विंटल 2200 रुपए, 2400 रुपए या 2500 रुपए बिक रही है इससे किसान परेशान हैं। इसके लिए हमें कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि किसान को कुछ नुकसान न हो। जब किसानों की धान खत्म हो जाती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। किसानों को सेलरवालों से बड़ा भारी नुकसान होता है, उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। किसानों के फसल की कीमत के लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिससे 1 महीने या 15 दिनों में उन्हें पैसे मिल जाये। ईख की फसल के बारे में हो या अन्य फसलों के बारे में हो, किसानों को बहुत कठिनाई होती है। अगली फसल बोने के लिए भी उन्हें पैसे की बड़ी जरूरत होती है

खाद के लिए भी कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे किसानों को समय पर खाद मिल सके। किसानों को समय पर बिजली मिल सके, इसमें भी सुधार करने की बहुत जरूरत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर किसान बर्बाद होते हैं तो देश का नुकसान होता है, हमें इनके ऊपर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है।

जिस तरह से हमनें सड़कों को जोड़कर पूरे देश को एक किया है उसी तरह नहरों को भी जोड़ा जाये। जिस समय बिहार या अन्य राज्यों में बाढ़ आती है उस समय हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में सूखा पड़ता है। अगर सभी राज्यों को नहरों से जोड़ दिया जाये तो उधर का पानी इधर आ सकता है, जैसे - बिजली और सड़कों से राज्य जुड़े हुए हैं। हमें सभी पुराने कानूनों में सुधार करने की जरूरतहै। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया है और सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, हम इस विधेयक को कल आगे विचार और पारित करने के लिए ले जाएंगे।

अब, मद सं10 – नियम 193 के अधीन चर्चा – श्री एम. राजमोहन रेड्डी।

<u>अपराह्न 4.32 बजे</u>

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदाएं...जारी

श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर): सभापति महोदय, मुझे देश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं, जम्मू-कश्मीर में बाढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पड़ोसी जिलों में भारी चक्रवाती तूफान 'हुदहुद' और महाराष्ट्र में सूखे पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

जम्मू और कश्मीर में, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में भारी बाढ़ आई है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। माननीय प्रधान मंत्री ने तुरंत प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और 1,000 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत की घोषणा की। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य को उचित मुआवजा देना होगा।

12 अक्तूबर को आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से, विशाखापट्टनम, विजयानगरम और श्रीकाकुलम और ओडिशा के आसपास के जिलों और पूर्वी गोदावरी जिले में भारी चक्रवाती तूफान आया, जिससे मानव जीवन, संपत्तियों के साथ-साथ खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कुछ दिनों से पूरा जीवन अस्त-व्यस्त है। वहाँ ताजा पानी, दूध, सब्जियां, बिजली और अन्य वस्तुएं नहीं थीं। तुरंत, हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने, 48 घंटों के भीतर, उन क्षेत्रों का दौरा किया और 1,000 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत की घोषणा की।

पूर्वी तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का खतरा है। हर वर्ष, पूर्वी तट का कोई न कोई हिस्सा चक्रवाती तूफ़ान से प्रभावित हो रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारे यहां नीलम, लहर और फैलिन जैसे तीन चक्रवात आए और बेमौसम बारिश हुई और अब हुदहुद जान-माल को व्यापक नुकसान पहुंचा रहा है।हुदहुद ने तीन जिलों विशाखापट्टनम, विज़यानगरम और श्रीकाकुलम में तबाही मचाई है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कम से कम 61 लोगों की जान चली गई और 35 अन्य घायल हो गए। हजारों घर या तो आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई हजार करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ। यह 1,425 मवेशियों, 3,352 छोटे जानवरों और 3.5 मिलियन पोल्ट्री पक्षियों की मृत्यु को प्रमाणित करने वाली सरकारी रिपोर्ट के अतिरिक्त है। अनुमानत: 3.3 लाख हेक्टेयर कृषि फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान के साथ 3.09 लाख हेक्टेयर अन्य कृषि क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 71,457 हेक्टेयर बागवानी फसलें प्रभावित हुई हैं। इनमें नारियल, केला, गन्ना काजू, सागौन जैसी फसलें शामिल हैं। अज्ञात संकट पर विचार किए बिना, केवल आधिकारिक प्रतिवेदनों के अनुसार अनुमानित कृषि हानि कई हजार करोड़ रुपए की है।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अनुमानत: 3,753 कि.मी. आर. एंड बी. सड़कें, 3,176 कि.मी. पंचायती राज सड़कें और 1,345 कि.मी. नगरपालिका सड़कें बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालाँकि, सबसे ज्यादा नुकसान बिजली क्षेत्र को हुआ है। अनुमानतः एक लाख विद्युत वितरण खंभे क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बिजली की बहाली बहुत महंगी हो गई। पेयजल पाइपलाइनों के अलावा, उत्तर तटीय आंध्र और ओडिशा में मध्यम, छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी व्यापक क्षति हुई। कई सोना नावों, मोटर चालित फाइबर नावों, लकड़ी की नावों सहित मछली पकड़ने के जाल, जिनकी संख्या कई हजार थी, खो गए या क्षतिग्रस्त हो गए।

हमारी पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता, श्री वाई. एस.जगनमोहन रेड्डी ने भी चक्रवात के तुरंत बाद 10 दिनों तक प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया और प्रभावित लोगों को सांत्वना दी। यही नहीं, श्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी सांसदों के साथ 8 और 9 नवंबर को माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों के लोगों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को उदारतापूर्वक सहायता देने का अनुरोध किया।

कुछ अनुमानों के अनुसार कुल नुकसान लगभग 70,000 करोड़ रुपये होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने हुदहुद चक्रवाती तूफान के मद्देनजर राज्य को हुए अनुमानित नुकसान पर एक विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा है, जिसमें केंद्र सरकार से 21,640.63 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की गई है। इसके अलावा रेलवे, दूरसंचार, विमान पत्तनों, समुद्री पत्तन पूर्वी नौसेना कमान, शिपयार्ड, इस्पात संयंत्र जैसे केंद्र सरकार/पी.एस.यू. प्रतिष्ठानों को भारी क्षति हुई है।

जब तक भारत सरकार आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर सहायता नहीं करती है और राज्य सरकार की मदद नहीं करती, तब तक इससे उबरना और तीन जिलों के लोगों की मदद करना बहुत ही मुश्किल है।

कभी बेहद प्रगतिशील राज्य रहा अविभाजित आंध्र प्रदेश अब विशेष दर्जे वाले राज्य की श्रेणी में आ गया है। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014, के तहत भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का वादा किया है लेकिन अब तक हमें वह विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह आगे आए और इसकी घोषणा करे। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आगे बढ़ कर आंध्र प्रदेश,जम्मू-कश्मीर और ओडिशा तथा महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदा से निपटने में मदद करे।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लेने के लिए मुझे आदेशित किया है। चूंकि मुझे बहुत सारी आपदाओं में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह काम मैं राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते करता था और अपने आराध्य परम पूज्य बाबा श्री की प्रेरणा से भी करता था।

एक बार मैं भूकंप में काम कर रहा था, जब जबलपुर के कोसम घाट में भूकंप आया, उस समय मैं सांसद था, नर्मदा का परिक्रमावासी था, जटे-वटे थे। जब हमने भूकंप में काम किया, सेना के बाद हमने उस गांव को अपने हाथ में लिया। मुझे जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनको पहले दिन से आपदा कहना ठीक नहीं है, यह प्राकृतिक परिवर्तन है। जो नेतृत्व होता है उसकी परीक्षा का क्षण होता है। यदि नेतृत्व अच्छा और दूरदर्शी है तो यह वरदान बनेगा, अगर वह विफल रहा तो यह आपदा बन जाएगी। मैं संसद सदस्य था, वह मेरे क्षेत्र का गांव था, लेकिन मैं इतना लाचार था, जहां सेना वुछ नहीं कर सकती थी, वहां मैं क्या कर सकता था, लेकिन मैंने रास्ता निकाला, जो बचा-खुचा सामान है, उससे घरौंदा बनाकर हमने इनके तात्कालिक जीवन का प्रबंधन किया। महोदय, मुझे गर्व है वि हम उस गांव को बसाने में सफल रहे, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पहली जरूरत लगी कि बरसात में इनके मवेशी कहां जाएंगे, भूसा कहां रखा जाएगा, ये लोग कहां रहेंगे। हमने 15 दिन के लिए गुरूद्वारा सेलंगर का प्रबंध किया। उन्होंने लंगर ऐसे पहुंचाया, जैसे घड़ी मिलाकर काम होता है। 15 दिन हमने उनको लंगर खिलाया। हम सबने मिल कर अपना घरौंदा तैयार किया, सोलहवें दिन हमने खाना नहीं दिया। हमारे काम से इस बात को बल मिला कि हमने मुफ्तखोरी नहीं होने दी, वह गांव अपने पैर पर खड़ा हो गया। जो सुविधाएं मिलनी थी, वह मिल गईं। उस समय मुझे इस बात एहसास हुआ कि आपत्ति के समय धन और पद काम नहीं आता, व्यक्ति और वस्तु काम आते हैं। काम करने के लिए आदमी चाहिए, मदद चाहिए, जो चीज खड़ी करनी है, उसके लिए वस्तुएं चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं चाहे बिहार हो, जम्मू-कश्मीर हो, आंध्र हो, वहां उससे नुकसान होता है। उसको कोई

नकार नहीं सकता, लाशों की गिनती नहीं की जाती, जो ब्यूरोक्रेसी है वह नुकसान का आंकड़ा इकट्ठा करेगी, लेकिन जो समाज में खड़ा आदमी है, उसको इस बात का फैसला करना चाहिए कि मैंने नुकसान को कितना कमतर किया, क्योंकि तूफान को कोई नेता या सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को घटाया जा सकता है। जो जरूरत की चीजें हैं, उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। जम्मू-कश्मीर सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए जो फिल्टर सरवार की ओर से आया था, उसे हमने आम आदमी और गरीब आदमी को दिया। समय से पहले और बिना मांगे, यदि वे न दिए जाते तो हजारों लोग तो पानी की बीमारी से मर जाते। मैं अनुभव करता हूं कि बरसात के समय सवारधिक कठिनाई होती है। किसी प्रबंधन में, चाहे वह आपदा प्रबंधन हो या बाकी चीजें हों, लेकिन इस पर मैं बहुत दूर तक नहीं जाऊंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह सूखे से पीड़ित क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में आपदाएं मुंह बाएं खड़ी है।मेरे क्षेत्र में चौथी फसल नष्ट हुई है, लेकिन कानून देखिए, आप किसान हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप इस आरबीसी को भी समझते हैं, रेवेन्यू के कानून को भी समझते हैं। हमारे यहां एक क्षेत्र है जिसे धान के लिए आरक्षित कर दिया गया है, सभी जानते हैं कि जब पानी नहीं गिरेगा, तो धान नहीं होगा। किसान के जीवनयापन की जब चौथी फसलनष्ट हो जाती है, तो किसान का क्या हाल होता है। उसकी तीन फसल नष्ट हो गई है, ओले से, पाले से, सूखे के कारण और बुंदेलखंड में जल स्तर कैसा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, सब केबारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं उसने चना लगा लिया, गेहूं लगा लिया, सोयाबीन लगाया, वह सब नष्ट हो गया, क्योंकि रिकार्ड में वह धान का आरक्षित क्षेत्र है, इसलिए उसको मुआवजा नहीं मिला।

जिन परिस्थितियों का सामना आज किसान कर रहा है, इस सदन में बैठे हुए सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सरकार हमारी है, लेकिन हमें तय करना होगा कि जब अकाल पड़ता है, सूखा आता है, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो या भूकंप आए, तीनों ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। अगर आप सूखे पर विचार करने के लिए खड़े हैं तो आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, क्योंकि पानी जमीन के अंदर नीचे जाएगा। वहां पर लगे हुए संसाधन पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, मवेशी कहां जाएगा। उसका पलायन होगा या बिकेगा या कसाइयों के हाथों में

जाएगा। मैंने सिवनी ज़िलेके तहसील में देखा है कि पानी का जब स्रोत नहीं बचा, तब लोगों ने मवेशी को धार्मिक होने के कारण बेचा नहीं, उसको छोड़ दिया। उसने सोचा मैं खुद पानी नहीं पी सकता, मवेशी कहां जाएगा। वह अपने बच्चों को लेकर मजदूरी के लिए चला गया। उस पशु को बचाने का काम कौन करेगा? वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके पास खुद खाने का प्रबंध नहीं है, वह अपने बच्चों की दो टाइम की रोटी के लिए 100 किलोमीटर दूर दूसरे जिलों में काम करने के लिए जा रहा है। वह अपना मवेशी नहीं बचा पाएगा। वह अपने वृद्ध माता-पिता को नहीं ले जा सकता है, वह अपने पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई छुड़ाकर ले जाएगा, यह बड़ी विकराल परिस्थिति है। धरातल के नीचे जलस्तर घटने के कारण आने वाली गर्मियों में जो संकट पैदा होगा, वह इतना गंभीर होगा, जिसे बहुत आसानी से पूरा नहीं किया जा सकताहै। आपके पास एक ही विकल्प है। आपने जैसे जम्मू-कश्मीर में बहते हुए पानी को फिल्टर देकर लोगों के जीवन को बचाया, वही रास्ता आपको सूखे के क्षेत्रों में अपनाना होगा। लेकिन मवेशियों को तो एक जगह करना पड़ेगा, उनके लिए भी तो प्रबंध करना पड़ेगा। व्यक्ति तो सौ किलोमीटर दूर जाकर अपना जीवन यापन कर लेगा, लेकिन वह पशुओं को साथ में नहीं ले जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि यह बड़ी अहम बात है। जब कभी सूखा पड़ता है तो उसके बाद हमारे बीज नष्ट होते हैं। हमारी लागत जाएगी, हमारा खाद जाएगा, हमारा बीज नष्ट होगा। कृषि मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं बड़ी विनम्रतासे उनसे कहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए। जब कभी आप आर.बी.सी. के तहत मुआवजे का एलान करते हैं तो मुझे लगता है कि उसके लिए कभी कोई, हमारी जितनी बीमा योजनाएं हैं, वे सभी हमारे जिलों को लेकर हैं, हमारे ब्लॉक्स को लेकर है, तहसीलों को इकाई मानकर है, उनमें न तो कहीं पंचायत का स्थान है और न ही हमने पटवारी हलके को आधार बनाया है। मैं नहीं मानता कि कभी किसानों के साथ न्याय हो सकता है। मैंने विदर्भ की सीमाओं से लगे हुए तीन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है और आज मैं उत्तर प्रदेश के बार्डर पर हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जहाँ फिर मेरे भाग्य में बुंदेलखण्ड आया, जहाँ का मैं रहने वाला नहीं हूँ, जहाँ पहले था, वह विदर्भ से लगा हुआ क्षेत्र था। विदर्भ के लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि वे लगातार उस संकट से जूझते हुए,

आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हुए राज्य के लोग हैं, जिन क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, मैं कहूंगा कि कृषि मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान दें। वे इसमें इंटरवीन करके पैकेज दें। मैं अपने क्षेत्र में वोट के लिए उनसे मदद नहीं मांग रहा हूं। लेकिन जिस किसान की चौथी फसल नष्ट हो जाए, उसके जीने की स्थिति नहीं हो सकती है। यह बात कोई किसान महसूस कर सकता है, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य की सीमाओं में हस्तक्षेत्र करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कानूनों में भी यदि कहीं सुझाव देने की जरूरत पड़े तो हम जैसे लोग अगर ईमानदारी से उस किसान के दर्द को आपके सामने रखें और मांगे तो भीख के रूप में नहीं, आधिकार के रूप में उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में जरूर अपनी बात रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री शेर सिंह गुबाया (फिरोज़पुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे देश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली 'प्राकृतिक आपदाओं' जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, कुछ समय पहले लगातार बारिश के कारण कश्मीर घाटी बाढ़ की चपेट में आ गयी थी।आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी हुदहुद चक्रवात से काफी नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। दूसरी ओर, महाराष्ट्र भयंकर सूखे की चपेट में था।

महोदय, कश्मीर घाटी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित थी। हालाँकि, हिमाचल प्रदेश और पंजाब भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। फिरोज़पुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। सतलुज नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। बरसात के मौसम में यह अक्सर तबाही मचाती है।

महोदय, पंजाब के कुछ क्षेत्र अकसर सूखे की चपेट में रहते हैं जबकि अन्य सतलुज और व्यास नदियों के बढ़ते पानी से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। यह एक वार्षिक घटना है। फिरोज़पुर, मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का आदि सात जिले इस बार भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।अन्य जिले भयंकर सूखे से प्रभावित थे।बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई जबकि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसलें सूख गईं।अतः, यह पंजाब के किसानों के लिए दोहरी मार थी।

महोदय, असहाय किसान को संकट से उबारना समय की मांग है। किसान दयनीय स्थिति में है। खड़ी फसल बर्बाद होने से किसानों की कमर टूट गई है। इसी कारण बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है।

---

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद हिन्दी रूपान्तर।

किसान गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं। वे 35,000 करोड़ रुपए के भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ या सूखे के कारण फसलें लगातार नष्ट हुई है। इसलिए केंद्र सरकार को किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए।

मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फ़िरोज़पुर अक्सर बाढ़ की चपेट में रहता है। व्यास नदी हरि के पत्तन के पास सतलुज नदी में मिलती है।बरसात के मौसम में नदियाँ उफान पर होती हैं। एक बड़ा भू-भाग जलमग्न हो जाता हैं। मकान ढह जाते हैं। खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं। मवेशी बह जाते हैं। लोग पेड़ों की चोटियों और छतों पर फंस जाते हैं। जान-माल का भी नुकसान होता है। इस वर्ष बाढ़ के प्रकोप से 30 से अधिक लोग मारे गए और 120 से अधिक मवेशी मर गए। गरीब लोगों के 14,000 से अधिक घर ढह गए।1,26,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खड़ी फसल नष्ट हो गई।

महोदय, पूरे नुकसान का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसमें 200 करोड़ से अधिक मूल्य के नुकसान की गणना की गई। प्रभावित किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा नाम मात्र का है। प्रति एकड़ 3500 रुपए की मामूली सी रकम एक क्रूर मजाक है। प्रति एकड़ खड़ी फसल का मूल्य आमतौर पर 50,000 रुपये होता है। वास्तव में, बासमती चावल की प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की पैदावार होती है। इसलिए, प्रति एकड़ 3500 रुपए की मामूली राशि जले पर नमक छिड़कने जैसी है। सरकार ने अब तक मात्र 101 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। मुआवजे की पूरी राशि अभी तक जारी नहीं की गई है।

माननीय सभापति: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री शेर सिंह गुबाया : महोदय, किसानों को मुआवजे के रूप में एक अच्छा पैकेज दिया जाना चाहिए। फिरोज़पुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'किन्नू' और 'माल्टा' जैसे खट्टे फलों के बाग भी नष्ट हो गए हैं। सरकार ने अभी तक उनके उत्पादकों को मुआवजा नहीं दिया है।

माननीय सभापति: कृपया अपना भाषण समाप्त करें। श्री सी. आर. चौधरी।

श्री शेर सिंह गुबाया : महोदय, इन प्रभावित फल उत्पादकों को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : सभापति महोदया, आपने मुझे नेचुरल कैलेमिटी के बारे में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उस प्रदेश से आता हूं जो ड्रॉट एरिया है। जब हम नए चुनकर आए थे, तब यह लग रहा था इस देश में ड्रॉट की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, लेकिन ईश्वरीय कृपा से 20 जुलाई के बाद अच्छी बारिश हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट, वोसी नदी, इन सभी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी। मैं प्रधान मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नेचुरल कैलामिटीज के दौरान बहुत साहस और अच्छे प्रबंधन के साथ कार्य किया, जिसे पूरे देश ने सराहा है। इस सरकार ने ऐसी आपदा के समय में अच्छा प्रबंधन करके दिखाया है। यह हमारी सरकार और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधान मंत्री जी के अच्छे नेतृत्वमें ऐसा कार्य हुआ।

मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस नेचुरल केलेमिटी के दौरान 1571 ह्यूमन लाइव्स का नुकसान हुआ, 92,000 कैटल्स की क्षति हुई और सात लाख घरों को नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद जो प्रबंधन किया गया, चाहे जम्मू-कश्मीर हो, वहां प्रधान मंत्री जी तुरंत गए और 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज तत्काल रिलीज किया। इसी तरह से करीब 400 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश में हुदहुद तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए रिलीज किए गए। इसी तरह से महाराष्ट्र में जो लैंड्सलाइडिंग हुई, उसके लिए भी राहत की घोषणा की गई। अभी हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि आपदा को आपदा न मानकर साहस के साथ अगर उसका मुकाबला किया जाए तो आपदा को सही ढंग से मैनेज किया जा सकता है। सरकार ने कुशल तरीके से इसे मैनेज किया।

हमारे पूर्व वक्ता जो ओडिशा से आते हैं, कह रहे थे कि केन्द्र सरकार ने वहां पर आई आपदा के लिए सहायता नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं कि वहां एसडीआरएफ है, उसमें केन्द्र सरकार का भी हिस्सा है और 400 करोड़ रुपए उसमें दिए हैं और उसमें भी यह छूट दी गई है कि पैसा दिया जाएगा। इस तरह से शानदार प्रबंधन किया गया है।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं नागौर से चुनकर आता हूं। वहां पर भी ऐसी स्थिति पैदा हुई कि तत्काल रिलीफ की आवश्यकता थी। हमारे यहां सूखे की स्थिति है, जिसमें आठ-नौ महीने तक काम करना पड़ता है। वहां रोजगार की समस्या है, पानी की समस्या और पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। इसलिए उसका प्रबंधन, [अनुवाद] अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन से काफी अलग है। [हिन्दी] इसलिए हमें उसे उसी ढंग से देखना पड़ेगा। वेस्टर्न राजस्थान में 11.12 जिले हैं। इनमें पानी की कमी हुई, क्योंकि बारिश लेट हुई। जब बारिश हुई तो जो बुवाई हो चुकी थी, उसे पानी नहीं मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि फसल पकी नहीं और अनाज पैदा नहीं हुआ। हालांकि थोड़ा चारा जरूर पैदा हुआ, लेकिन वहां की कैटल पापुलेशन को देखते हुए वह भी बहुत कम है। मेरा संसदीय क्षेत्र नागौर ब्रैकिश बैल्ट के नाम से जाना जाता है, वहां 700 फीट तक पानी नहीं है। अगर 700 फीट से नीचे का पानी टूबवैल द्वारा निकाला जाए तो वह बहुत खारा है और उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उससे मानव शरीर और पशुओं पर भी बुरा असर पड़ता है। टैंक्स द्वारा भी पानी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि तालाबों में पानी नहीं है।

मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नागौर जिले के लिए इंदिरा गांधी कैनाल से लिफ्ट कैनाल वहां ला रही हैं। पिछली सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में इस योजना पर अमल नहीं किया, लेकिन अब इसे शुरू किया गया है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि[अनुवाद] लिफ्ट कैनाल के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। [हिन्दी] जिससे पानी को पहुंचाया जा सके। इसी तरह से पशुओं के लिए चारे के लिए भी पानी की आवश्यकता है। [अनुवाद] केंद्र सरकार

की ओर से पश्चिमी राजस्थान के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। इसे राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए ताकि वे राज्य में सूखे की स्थिति का सामना कर सकें।

[हिन्दी] मैं अंत में एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। नेचुरल केलेमिटी के लिए प्रबंधन बहुत अच्छा था, लेकिन इसके साथ प्रिकॉशन की भी आवश्यकता है। सिर्फ कागजों पर ही प्रिकॉशन नहीं होना चाहिए, कागजों पर ही मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। यह वास्तविक मैनेजमेंट होना चाहिए।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर): महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ।

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्य का नाम मैंने पुकारा है, वे पहले से ही खड़े हैं, इसलिए उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए। उसके बाद आप जो कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं।

श्री कलिकेश एन. सिंह देव: महोदय, एस.डी.आर.एफ. संवैधानिक प्रावधान के तहत सभी राज्यों को हस्तांतरित किया गया है। माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा को कोई विशेष संरक्षण नहीं दिया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत यह सभी राज्यों को मिलता है। मैं इस संबंध में केवल स्पष्टीकरण दे रहा हूँ।

माननीय सभापति: यह उनका विचार था। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। मंत्री जी यहां हैं और वह सभी स्पष्टीकरण देंगे।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान (संबलपुर) : माननीय सभापति, इस विषय से संबंधित चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे समय देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस विषय को ओडिशा के हमारे

माननीय सदस्य द्वारा 2 दिसंबर को चर्चा हेतु उठाया गया था। यह विषय जम्मू-कश्मीर में बाढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवात हुदहुद और महाराष्ट्र में सूखे के बारे में है। यही विशेष मामले हैं।

<u>अपराह्न 5.01 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

कश्मीर में भारी तबाही हुई। पुणे में, अत्यधिक नुकसान हुआ। आन्ध्र प्रदेश में भी अत्यधिक नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आपका ध्यान हमारे राज्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 2 अक्तूबर, 2014 को ओडिशा से सटे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास बहुत बड़े चक्रवाती तूफान 'हुदहुद' ने दस्तक दी जिससे ओडिशा के दक्षिण और मध्य तटवर्ती जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए। हालांकि, हमारे प्रिय नेता श्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा सरकार ने उचित समय में पूर्व-तैयारी सुनिश्चित की, जिसके परिणामस्वरूप मृतकों की संख्या को तीन तक सीमित किया जा सका, जिनमें से दो लोगों की मृत्यु बचाव कार्य के दौरान नाव दुर्घटना की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण हुई थी। 2.47 लाख से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए चक्रवात की चपेट में आने की संभावना वाले क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की लगभग 16 इकाइयाँ, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की दस इकाइयाँ और 1265 अग्निशमन सेवा कर्मियों को बचाव अभियान में तैनात किया गया था। स्थिति से निपटने के लिए अन्य सभी आवश्यक उपाय किए गए। यद्यपि राज्य सरकार की सुनियोजित तैयारियों के कारण बहुत से लोगों को बचा लिया गया परंतु मकानों, सार्वजनिक अवसंरचना को अत्यधिक नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने भीषण चक्रवाती तूफान हुदहुद से प्रभावित 22 प्रभावित जिलों में पुनर्स्थापन और पुनर्वास कार्य के लिए 777.12 करोड़ रुपए की सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। इसमें से 15 जिलों में चक्रवात से व्यापक क्षति हुई है जबकि सात अन्य जिले आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। कोरापुट, रायगड़ा, मलकानगिरी और गजपति जैसे हमारे सबसे अधिक प्रभावित

क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक केंद्रीय टीम ने ओडिशा का दौरा किया है।

इस ज्ञापन में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत सहायता मांगी गयी है: सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 374.31 करोड़ रुपए; बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए 104.35 करोड़ रुपए; कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए 23.77 करोड़ रुपए; ग्रामीण-शहरी पेयजल प्रणाली की मरम्मत के लिए 85.65 करोड़ रुपए; सिंचाई कार्यों की मरम्मत के लिए 80.10 करोड़ रुपए; पंचायतों के स्वामित्व वाली सामुदायिक संपत्ति की मरम्मत के लिए 34.60 रुपए और प्राथमिक विद्यालय भवन की मरम्मत के लिए 37.95 करोड़ रुपए। विद्युत क्षेत्र में हुदहुद ने 11 किलोवाट के फीडरों के 2155.9 किलोमीटर में संस्थापित कंडक्टर को नुकसान पहुंचाया है; 33 किलोवाट फीडरों के 239.95 किलोमीटर में संस्थापित कंडक्टर; 8 बिजली ट्रांसफार्मर; 1754 वितरण ट्रांसफार्मर; 1088.75 किलोमीटर कंडक्टर एलटी लाइनें; चक्रवात और उसके परिणामस्वरूप आई बाढ़ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 587 ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति प्रणाली और 168 ट्यूबवेल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शहरी क्षेत्रों में शहरी पाइप जलापूर्ति प्रणाली और ट्यूबवेलों को भी नुकसान हुआ है।

ज्ञापन के अनुसार, चक्रवात से 80 पक्के मकान और 883 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 343 पक्के मकान और 40,244 कच्चे मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, 502 हेक्टेयर सिंचित भूमि में फसलों और 1,072 हेक्टेयर गैर-सिंचित भूमि और बीस हेक्टेयर की बारहमासी फसलों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। चक्रवात के कारण छोटे और सीमांत किसानों के अलावा अन्य किसानों को 50 प्रतिशत से अधिक की फसल का नुकसान हुआ है। ओडिशा में 1,276 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 9,657 गांवों और 13 जिलों के 99 ब्लॉक के लगभग 3.34 मिलियन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

इस सभा में 26 नवंबर को एक अतारांकित प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और देश के अन्य भागों में हुदहुद के कारण हुई मानव जीवन की क्षति निजी और सरकारी

संपत्तियों के नुकसान का आकलन किया है। माननीय मंत्री जी की ओर से दिए गए उत्तर में स्पष्ट बताया गया था कि इन दोनों राज्यों के प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने 515.42 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। उसमें से 115.42 करोड़ रुपए एस.डी.आर.एफ. से थे, साथ ही एन.डी.आर.एफ. से आंध्र प्रदेश को 400 करोड़ रुपए और एस.डी.आर.एफ. से ओडिशा को 178.495 करोड़ रुपए तत्काल राहत अभियान के लिए दिए गए थे। हमारे राज्य को आज तक एन.डी.आर.एफ. की ओर से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि माननीय प्रधान मंत्री हमारे राज्य का दौरा करते तो बेहतर होता। आपके मध्यम से, महोदय, मेरा निवेदन है कि अन्य राज्यों को प्रदान की गई निधियों के साथ-साथ हमारी मांगें भी पूरी की जानी चाहिए।

धन्यवाद।

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनकापल्ली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अधीन मुझे इस चर्चा के दौरान बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं भारी मन से हुदहुद चक्रवात पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो 12 अक्तूबर 2014 को 260 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र प्रदेश में आया था। लोगों को लगा कि हुदहुद चक्रवात किसी अन्य चक्रवात की तरह ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने पहले भी कई चक्रवात देखे हैं लेकिन इस चक्रवात ने विशाखापट्टनम शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। चक्रवात के कारण करीब 20 लाख की जनसंख्या वाले जीवंत शहर विशाखापट्टनम में भारी नुकसान हुआ और शहर की गति रुक गई। दोपहर के आसपास बंदरगाह शहर में आए चक्रवात के कारण होर्डिंग्स और टिन की छतें तश्तरी की तरह उड़ गईं, खिड़कियां टूट गईं और सड़कों पर कांच के टुकड़ों से बिखर गए।

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों तक बिजली, पानी, संचार, परिवहन, दूध, भोजन उपलब्ध नहीं था। लोग स्तंभित थे और वहां अफरा-तफरी का माहौल था। पेड़ जड़ से उखड़ गए थे और राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कें अवरुद्ध हो गईं, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और राहत कार्य नहीं किए जा सके। एन.डी.आर.एफ. की टीम और राज्य सरकार के अधिकारियों ने सड़कों से मलबा हटाया। ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों से श्रमिकों को लाया गया था।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू के पास विशेष रूप से आपदा प्रबंधन की अपार क्षमताएं हैं। चक्रवात आने के बाद वह सड़क मार्ग से 24 घंटे के भीतर वाइज़ेग पहुंचे और एक सप्ताह तक वहां रहे । उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास जैसी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सुबह 7 बजे से आधी रात 1 बजे तक लगातार काम किया, साथ ही, उन्होंने राज्य के सभी राज्य मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, सदस्य राज्य परिषद् और सभी अधिकारियों को विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम के तीन प्रभावित जिलों

में तैनात किया। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने 48 घंटे के भीतर,वाइज़ग शहर के अंदर जलापूर्ति बहाल कर दी और पांच दिनों के अंदर वाइज़ग शहर के लिए विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी। ये सब श्री चंद्रबाबू नायडू की इच्छाशक्ति, समर्पण और दृढ़ संकल्प के कारण रिकॉर्ड समय में किया गया है, अन्यथा, यह संभव नहीं हो पाता।

48 घंटों के भीतर, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री श्री वैंकैय्या नायडू के साथ वाइज़ेग शहर का दौरा किया। स्वतंत्रता के बाद, वह भारत के पहले प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय का दौरा किया और व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी की।

स्थिति का आकलन करने के बाद, उदारता दिखाते हुए उन्होंने तत्काल 1000 करोड़ रूपए तात्कालिक सहायता की घोषणा की। इस संबंध में मैं उन तीनों जिलों की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। परंतु यह राशि राहत कार्यों के लिए अपर्याप्त है; हुदहुद चक्रवात से 40,000 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य करने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

हुदहुद चक्रवात के कारण भारी संख्या में पथ विक्रेता सहित गरीब लोग बेघर और बेरोजगार हो गए हैं। हजारों किसान आत्महत्या करने की कगार पर हैं। यह राज्य प्रति वर्ष चक्रवात से प्रभावित होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसानों को बीमा और आदान राजसहायता तुरंत मुहैया कराई जाए। पिछले वर्ष हमारे राज्य में तीन चक्रवात आए, परंतु आज तक पिछले वर्ष के लिए आदान राजसहायता नहीं प्राप्त हुई है। माननीय कृषि मंत्री यहां उपस्थित हैं; कृषि और बागवानी करने वाले किसान बहुत ही परेशानी में हैं और मैं उनकी तरफ से तत्काल आदान राजसहायता जारी करने का अनुरोध करता हूं।

विशाखापट्टनम में स्थायी रूप से एनडीआरएफ केंद्र स्थापित किया जाए क्योंकि यहां एक लंबा समुद्री तट है। एन.डी.एम.ए. का शीर्ष पद वर्ततान में रिक्त है; सरकार को तत्काल चेयरमैन

नियुक्त करना चाहिए। एन.डी.एम.ए. में आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय आपदा विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास कार्य हेतु मांगी गयी राशि केंद्र सरकार द्वारा तत्काल जारी की जाए।

हमारे मित्र पहले ही आंकड़ों के बारे में बता चुके हैं। हमारे राज्य में, लगभग 20 लाख लोगों को, हमने एक सप्ताह तक भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएँ मुहैया कराई हैं और सड़कों और विद्युत क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना की मरम्मत की गई है। विद्युत क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। रक्षा मंत्री यहां उपस्थित हैं; विशाखापट्टनम में हमारे उद्योग हैं। हमने नौसेना के लिए 2000 करोड़ रुपए, इस्पात संयंत्र के लिए 500 करोड़ रुपए दिये हैं; कुल मिलाकर, हमने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसानों की है; खेतिहर किसान निराशा की स्थिति में हैं। गन्ना, धान, काजू, आम आदि सभी फसलें बर्बाद हो गई। ये सभी किसान प्रभावित हैं; उन तीन जिलों में फसल उत्पादन शून्य है। इसके अलावा, वे जिले बिहार और झारखंड के जिलों की तरह अत्यधिक पिछड़े हैं। हमारा राज्य पुराने नाम से नया बना था। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस हुदहुद चक्रवात को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तभी हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हमारी सरकार कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं है। राज्य 15000 करोड़ रुपए के वित्तीय घाटे में हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे राज्य को गोद ले ले। हमारे राज्य की कोई राजधानी नहीं है। वहां कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं हैं, कोई उद्योग नहीं है। आय का कोई साधन नहीं है। आंध्र प्रदेश का नाम ही केवल पुराना है। हैदराबाद सहित सब कुछ पूर्व यू.पी.ए. सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य को दिया गया है। अब हम अनाथ हो गए हैं। यदि केंद्र सरकार हमारी सहायता करती है तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हमारे लोग ऐसे *हो जायेंगे जैसे ...** इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप नए राज्य की तुलना पुराने राज्य से न करें। हमारा एक नवगठित

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राज्य है। कृपया हमारे राज्य के प्रति उदार दृष्टिकोण रखें क्योंकि हम भी भारत का हिस्सा हैं। हमारी कोई गलती नहीं होने पर भी हम पिछले पांच वर्षों से परेशानी झेल रहे हैं। हम बेरोजगार, बेघर और असहाय हैं। अत: कृपया हमारी सहायता करें।

माननीय उपाध्यक्ष: यह सरकार आतंकवाद के विरुद्ध है। इसलिए, यहां इसकी वकालत न करें। आपको उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। यह ठीक नहीं है। आप जो चाहें कह सकते हैं। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि आपके लोग उनकी तरह बन जायेंगे। वह शब्द नहीं लिया जा सकता। कृपया वह शब्द कार्यवाही वृत्तांत से हटा दें।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि सभी किसानों की चिंता कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित कई राज्यों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र का जो सूखे का विषय है, मैं उस संबंध में अपनी कुछ बातें रखूंगा। पूरी चर्चा का उत्तर गृह मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। संसद के पहले सत्र में हमने चार दिनों तक सूखे पर चर्चा की थी। निश्चित रूप से जब चर्चा होती है तो इसका बड़ा लाभ मिलता है। खास कर के सूखे के मामले में मौसम विभाग की जो रिपोर्ट आती है, वह जोनवाइज़ आती हैं या सब-जोनवाइज आती है। किस तहसील में, किस एरिया में सूखा है, उन सरकारी आंकड़ों में यह परिलक्षित नहीं होता है। चार दिनों तक जब हमने सूखा पर चर्चा की थी, माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी, उससे लगा कि देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ है। वह चर्चा काफी उपयोगी थी। जब माननीय प्रधान मंत्रीजी के संज्ञान के बातें लाई गई कि मौसम विभाग की जो जानकारियां है, उससे अलग हटकर सांसद बता रहे हैं, उससे तो लगता है कि देश में कई तहसील, तालुका और जिले ऐसे हैं, जहां सूखा है वर्षा नहीं हो रही है तो प्रधान मंत्री जी ने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुला कर निर्णय लिए थे और एक हज़ार करोड़ रूपये की राशि की व्यवस्था की थी कि यदि किसी क्षेत्र में, किसी भी जिले में, किसी भी एरिया में 15 दिनों तक माइनस 50 परसेंट वर्षा है, तो उसे डीजल पर 50 फीसदी की सहायता दी जाएगी

और इसके लिए कैबिनेट की मीटिंग में सौ करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी इसी प्रकार से समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत 700 करोड़ रूपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी थी यदि बारहमासी बागवानी की क्षति होती है तो उसको मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। फिर बीज पर राज सहायता बढ़ाई गई थी और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सौ करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी। जो चारा आयात किए जाता है, जैसे खल्ली, जौ का भूसी या सूरजमुखी आदि इनको आयात शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार के अंदर डीजल पर राज सहायता शुरू हुई। इसके बाद कुछ राज्यों ने सूखा घोषित किया। फिर इसके बाद कुछ राज्यों ने सूखा घोषित किया। सूखे की घोषणा राज्य सरकार कर सकती है। भारत सरकार सूखे की घोषणा नहीं कर सकती है। जब सूखे की घोषणा कोई राज्य सरकार करती है, लेकिन किसी भी सरकार ने सूखे की घोषणा नहीं की थी, जब भारत सरकार ने यह व्यवस्था की, तब बिहार ने सूचना दी है कि हमारे यहाँ वर्षा कम हुई थी तो हमने डीजल पर राज सहायता दी है, लेकिन उसका विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआहै, इसलिए वहाँ राशि नहीं गई है।

महाराष्ट्र ने सूचना दी और चारे की उपलब्धता के लिए उन्होंने 12 करोड़ रूपये की माँग की थी तो उसमें 625 करोड़ रूपये यहाँ से उनको भेजे गये हैं। इसी तरह से बाद में तेलंगाना ने सूखे की घोषणा करने की सूचना दी है, लेकिन कोई आधिसूचना या कोई मेमोरेंडम नहीं दिया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने जो आधिसूचना जारी की है वह और पूरा विवरण भी उन्होंने भेजा है। उसके बाद वहाँ टीम भी गई है, आंकलन भी हुआ है और वह पूरी रिपोर्ट एन.डी.आर.एफ. में जायेगी और उनको राज सहायता दी जाएगी। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, हमारे चन्द्रकांत खैरे जी बता रहे थे कि यह स्थिति पहले ही आ गई थी। यह स्थिति जुलाई-सितम्बर में ही आ गई थी। उस समय सरकार को घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार ने घोषणा नहीं की और इस बार सरकार ने न सिर्फ घोषणा की है, बल्कि बहुत अच्छा ज्ञापन बनाकर दिया है। परसों रात्रि में उनका ज्ञापन आया है और आज कृषि मंत्री जी स्वयं लेकर आये थे, कल वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी और एक-दो दिन में टीम वहाँ जाएगी। टीम का गठन हमने कर लिया है, लेकिन इसमें आठ

मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी जाएंगे, इसलिए एकाध दिन का विलम्ब हो सकता है, लेकिन वह टीम निश्चित जाएगी। महाराष्ट्र के चन्द्रकांत खैरे जी अभी यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ रिलीफ कमिश्नर से बातचीत की है कि महाराष्ट्र के अन्दर आपको पिछले वित्तीय वर्ष में भी एस.डी.आर.एफ. होता है, जिससे तत्काल सहायता दी जा सकती है, उसके मद में 567 करोड़ रूपए गए थे और एन.डी.आर.एफ. के द्वारा 1270 करोड़ रूपए गए थे। लेकिन 567 करोड़ रूपए जो एस.डी.आर.एफ. के अन्दर गए थी, उसके खर्चे का ब्यौरा नहीं आया है। इस वर्ष के लिए भी 403 करोड़ रूपए का आबंटन है, लेकिन कल जब हमने कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में हम उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजते हैं। जैसे ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ जाएगा, यह 403 करोड़ रूपया हम भेजेंगे, लेकिन जब हमारी टीम जाएगी और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी, तो फिर वह रिपोर्ट एन.डी.आर.एफ. में जाएगी और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पूरी सहायता की जाएगी। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है, जिसे वर्ष 2012-13 में और वर्ष 2013-14 में दोनों बार, एक बार 1800 करोड़ रूपया और एक बार 1200 करोड़ रूपया एन.डी.आर.एफ. से सहायता दी गई है। वहाँ पर पशुधन की बात भी चन्द्रकांत खैरे जी कर रहे थे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पशुधन विकास योजना के लिए जो पैसे जाते हैं, वर्ष 2013-14 में पाँच हजार करोड़ रूपए गए थे और मुश्किल से 2200 करोड़ रूपए खर्च हुए थे, 2800 करोड़ रूपए खर्च नहीं हो पाए थे। इसमें राज्य सरकार के सहयोग की जरूरत है।

हुदहुद और बाढ़ पर हमारी इस चर्चा काउत्तर गृह मंत्रालय की ओर से आएगा, लेकिन मेरे पास एक आँकड़ा है। अभी उड़ीसा की चर्चा हो रही थी कि उड़ीसा के अन्दर एस.डी.आर.एफ. के तहत इस वर्ष 276 करोड़ रूपए रिलीज हुए हैं। 356 करोड़ रूपए का आबंटन है और 276 करोड़ रूपए रिलीज हुए हैं। खर्चा हो गया होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की ऐसी स्थिति है, हमारे मंत्रालय में भी वही स्थिति है और वहाँ भी यही स्थिति है कि खर्चा होने के बाद भी वे उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजते हैं। अब यहाँ कागज में है कि पैसा खर्च नहीं हुआ, वहाँ कागज में होगा कि पैसा खर्च हो

चुका है। जैसा पूर्व वक्ता ने बताया कि पैसा खर्च हो चुका है तो निश्चित रूप से जरा मंत्रालय में प्रयास करके इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र आ जाए तो वह पैसा भी जाएगा।

इसी तरह से उड़ीसा के संबंध में देखेंगे जो कृषि विकास की योजना है तो वर्ष 2013-14 में 813 करोड़ रुपये रिलीज़ हुए थे और 768 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यह अच्छी उपलब्धि है। इस वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन है। उसमें 390 करोड़ रुपये रिलीज़ हुए हैं, अभी खर्चा 188 करोड़ रुपये हुआ है। उड़ीसा में हुदहुद का जो संकट है और निश्चित रूप से इस खर्च का रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी, तो शेष बचा एस.डी.आर.एफ. का पैसा जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार और वहां की जनता को मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं...(व्यवधान) मेरा विषय सूखे से संबंधित है जो महाराष्ट्र का है और यदि आप और जगह के आंकड़े जानना चाहेंगे तो वह भी मैं बता दूंगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री ने अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है।आप क्यों बीच में व्यवधान डाल रहे हैं ?कृपया अपनी सीट पर बैठें।

...(*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्षः अभी चर्चा समाप्त नहीं हुई है।वह अभी केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं।यदि आप चाहें तो मंत्री जी द्वारा उत्तर पूरा करने के बाद, आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी। मंत्री जी खड़े हैं।मैं अभी आपको अनुमति नहीं दे सकता। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

मंत्री महोदय, कृपया पीठासीन अधिकारी को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : महाराष्ट्र में आज जो संकट है, हम सभी को पता है कि एन.डी.आर.एफ. से आतिरिक्त सहायता मिलेगी। एस.डी.आर.एफ. के पास...(व्यवधान) हमारे यहां से राज्यों के

पास...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) यदि आप नोटिस देते हैं तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी जो विषय है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्षः मैंने आपको बताया है कि में आपकों बाद में बोलने का अवसर प्रदान करूंगा ।वह अब केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं ।

…(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय सदस्य का कहना सही है कि वहां सूखा जुलाई-अगस्त से है। उस समय की सरकार को यह क्लियर करना चाहिए था। इसे भारत सरकार डिक्लेयर नहीं कर सकती है। वहां के मुख्यमंत्री को हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इसे डिक्लेयर किया। पिछले वर्ष की तुलना में वहां आधी वर्षा हुई। विदर्भ में तो इस वर्ष कुछ अच्छी वर्षा हुई है। मराठवाड़ा में तो पिछले वर्ष के मुकाबले में आधी वर्षा हुई है। उस समय की सरकार को वह क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए था। परसों रात को आपका पेपर मिला है। हमने कल मुख्यमंत्री से बात की है, आज वहां के कृषि मंत्री जी के साथ बैठे थे। आपके रिलीफ कमिश्नर से हमने बात की है और हमारी टीम कल जारही है। इतनी तत्परता से आज तक किसी सरकार ने न तो टीम का गठन किया है और न टीम गई है।

उत्तर प्रदेश ने चुनाव के समय घोषणा की थी। हरियाणा चुनाव का नोटिफिकेशन हुआ और एक दिन पहले घोषणा हुई तो तीसरे दिन हमने वहां टीम भेजी थी। लेकिन घोषणा करने का काम राज्य सरकार का है, भारत सरकार का काम घोषणा करने का नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री जिला मुख्यालय तक जाते हैं। कहीं आपदा आती है तो माननीय सदस्य बता रहे हैं कि पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है कि जम्मू-कश्मीर में संकट आया, तो आज ऐसा नेतृत्व है कि देश पर किसी भी प्रकार का संकट आएगा, तो उस संकट का सामना करने का न केवल साहस है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करने का साहस इस सरकार और नेतृत्व के पास है।

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): महोदय, मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं समझा कि मुझे सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के सभी सांसद मंत्री जी से मिलने के बाद, जैसा मंत्री जी ने आश्वासन दिया, वैसे ही आश्वासन की पूर्ति की है, इसके लिए मैं हृदय से सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का और मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, जैसा मेरे मित्र चन्द्रकांत खैरे जी ने बताया, वैसी दयनीय अवस्था हमारे महाराष्ट्र में है। यह एक गंभीर मुद्दा है। महाराष्ट्र के 43,663 गांवों में से करीब 19,059 गांवों की पैसेवारी 50 पैसों से कम है, यह मंत्री जी को मालूम है। बेमौसमी बरसात, बर्फबारी, बाढ़ तथा चक्रवाती तूफान जैसे संकटों में महाराष्ट्र का किसान पूरी तरह से जकड़ गया है। वहां 422 लोगों की मौत हो चुकी है, लोगों ने सुसाइड की है। जैसा मंत्री जी ने बताया कि यह जुलाई से ही शुरू हुआथा। जुलाई में कांग्रेस की सरकार थी तो हम उनके पीछे पड़े थे कि आप वहां सूखा घोषित करें, पर वह नहीं किया गया। यह जो भाजपा की नई सरकार आयी तो उनके पास जाकर हमने इसके लिए निवेदन किया। माननीय मंत्री जी ने सूखा घोषित करके वहां टीम भेजने की तैयारी की है। मैं मंत्री जी से गुज़ारिश करता हूं कि आपको उस टीम को वहां तत्काल भेजना चाहिए। आपके पास कल ही रिपोर्ट आयी है।...(व्यवधान) मंत्री जी, अगर वह टीम कल जा रही है तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया

महोदय, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये की मांग है। जितना नुकसान हुआ है, हमने आपको सबका ब्यौरा दिया है। मैं उसके बारे में बोल कर इस सभागृह का समय नहीं लेना चाहता। एक रिपोर्ट है, वह मैं आपके सामने पेश करता हूं-(अनुवाद) सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 15 जिलों के 11,800 गांवों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है 1,779 गांवों और 4,709 छोटी बस्तियों में पानी की अतयधिक कमी है। कुछ गांव लगातार दूसरे साल भी सूखे का सामना कर रहे हैं। [हिन्दी] यह सूखा दूसरी बार है। इससे विदर्भ में 6,200 गांव प्रभावित हैं। आपके पास ये सारी रिपोर्ट्स हैं।

हिन्दुस्तान के 25% डैम महाराष्ट्र में हैं। हमारे जो सबसे बड़े डैम उजनी और ज़ायकवाड़ी में हैं, वे सूखे हैं। उनमें पानी नहीं हैं। वहां जानवर मर गए, वहां चारा नहीं हैं। हमारे सब विद्युत उपकरण टूट गए। अगर इनके लिए हमें 4,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी तो हम इसका बहुत अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएंगे।

महोदय, मैं आपके सामने एक आन्तिम बिन्दु रखना चाहता हूं। जब यह सूखा आता है तो सूखे के लिए हम लोग तुरंत मदद देते हैं, लेकिन उसका असर काश्तकार पर अगले दो-तीन वर्षों तक पड़ता है। आज की जो मदद मिली है, उस मदद के बाद भारत सरकार की जो स्कीम है, जैसे क्रेडिट -कम-सब्सिडी स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना इत्यादि, उनका लाभ वहां के आपदाग्रस्त काश्तकारों को आने वाले दो वर्षों में ज्यादा देनी चाहिए। यह सेवा निरंतर होनी चाहिए, ताकि ये किसान अपना जीवन अच्छी तरह से चला सके।

महोदय, मैं सारे महाराष्ट्र की जनता, अपनी पार्टी शिव सेना और सूखा प्रभावित गांवों के काश्तकारों की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत ही सीरियस इश्यू के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस ने लाखों लोगों की ज़िंदगी उजाड़ दी। इसमें बहुत लोग अपनी जान गंवा बैठे। वहां लोगों के घर के घर तबाह हो गए, आबादी की आबादियां तबाह हो गयीं। आंध्र प्रदेश का हुदहुद हो, ओडिशा का हो, कश्मीर का हो या असम का हो, तबाही सब एक जैसी होती है। बहुत से लोग दाना-दाना, तिनका-तिनका जोड़कर पचासों साल में अपना घर बनाते हैं। जब इस किस्म की आपत्ति आसमान से आती है, तो उनकी पूरी जिन्दगी तबाह हो जाती है और फिर नस्लों तक उनका घर नहीं बन पाता है। यह जिन लोगों के साथ होता है, वही लोग इसका अन्दाजा कर सकते हैं, दूसरे लोग इसका अन्दाजा नहीं कर सकते हैं।

मैं खुद कश्मीर गया और मैं पांच दिन वहां रहा। मैंने वहां लोगों की हालत देखी। आंध्र प्रदेश में हुदहुद से नुकसान हुआ। असम में तीन जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ। 42 लाख लोग उससे इफेक्टेड हुए, 23 डिस्ट्रिक्ट उसके अन्दर प्रभावित हुए और कई लाख हेक्टेअर जमीन उसके अन्दर तबाह और बर्बाद हो गयी। जमीनों के ऊपर बालियां चढ़ गयीं और उसके ऊपर रेती चढ़ गयी। अब पता नहीं यह कब ठीक होगा? कैसे इन लोगों की जिन्दगी गुजरेगी? एक झोपड़ा भी इन लोगों के पास रहने के लिए नहीं हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 674 करोड़ रूपए का पैकेज दिया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। यह पैसा असम के लिए बहुत कम है। मैं कश्मीर में गया, तो वहां के लोगों ने बताया कि पैकेज सेंट्रल से आया है, लेकिन हमें नहीं मालूम वि हमें कब मिलेगा। सब जगह यही अफसोस है। मैं खुद अपने यहां डिस्ट्रिक्ट मानीटरिंग विजिलेंस कमेटी का चेयरमैन हूं, लेकिन हम लोग सिर्फ बैठकर रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में 98 परसेंट से नीचे कंप्लीट कुछ लिखा ही नहीं होता है। 98, 99, 100 परसेंट कंप्लीटेड, मतलब हैंड्रेड परसेंट पैसा खा लिया गया और खाकर कंप्लीट कर दिया गया। गरीब लोग अपनी जगह पर रह जाते हैं, जो उजड़े हैं, वे अपनी जगह पर रह जाते हैं, जो उनकी तबाही और बर्बादी है, वह अपनी जगह पर रह जाती है।

आज साइंस का जमाना है। साइंस एंड टेक्नॉलाजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे हुदहुद के मामले में एक हफ्ते पहले से हमने देखा कि टेलीविजन के ऊपर वार्निंग आ रही थी, सरकार वार्निंग दे रही थी, इसलिए पांच लाख लोगों को दूसरी सेफ जगहों पर पहुंचा दिया गया। वहां तबाही हुई,

लेकिन वह नहीं हुआ, जो कश्मीर में हुआ, वह नहीं हुआ, जो असम में हुआ। यह साइंस एंड टेक्नॉलाजी का काम है। हमारे यहां डिजास्टर मैनेजमेंट है और गवर्नमेंट के बहुत से विभाग हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कंट्रोल बोर्ड है, हर चीज का विभाग है। उन ऑफिसेज को देखकर ऐसा लगता है कि शायद किसी ने पांच-छः साल से उसका ताला भी नहीं खोला होगा। पैसा पूरा जाता है और अफसोस की बात है कि वह पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। यहां रिपोर्ट आ जाती है कि हैंड्रेड परसेंट पैसा यूटीलाइज हो गया। साइंस एंड टेक्नॉलाजी का इस्तेमाल बारिश आने से पहले, तबाही और बर्बादी होने से पहले, क्लाउड बर्स्ट होने से पहले किया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि हर तरफ के लोग इसे भुगत रहे हैं। क्या यह पहले से लोगों को नहीं बताया जा सकता है? असम में जो हुआ, कश्मीर में जो हुआ, वह तबाही नहीं होती, जो कश्मीर में हुयी, जो असम में हुयी, वह तबाही नहीं होती। 1.24 करोड़ हेक्टेअर जमीन बर्बाद हो गयी। ये लोग कहां जाएंगे? ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल सैलाब आता है। हर साल इसमें तबाही आती है। इसमें केवल एक आदमी का घर नहीं उजड़ता, उसकी खेती नहीं उजड़ती, पूरे साल की बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो जाती है। वे डिसप्लेस हो जाते हैं। उनको पता नहीं कहां से कहां जाना पड़ता है। कोइर् जाकर फॉरेस्ट की जमीन में शेल्टर लेता है, कोई हाईवे की साइड में झोंपड़े बनाकर रहते हैं। इस तरह से उनके बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है।

यह बहुत इंपोर्टेंट विषय है। इसके ऊपर जो आपने मुझे चर्चा करने का मौका दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे विभाग हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए, लोगों को पहले से इसके बारे में मालूम हो। ऊपर की कुदरत से क्या आएगा, आज हम मालूम कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा उठाया जाएगा।

इसी के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): सबसे पहले, मैं इस विषय पर बोलने के लिए मौका देने हेतु माननीय उपाध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहती हूँ।

महोदय, भारत में बाढ़, सूखा, अकाल और भू-स्खलन इत्यादि के रूप में सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। हाल ही में जम्मू-कश्मीर में भयंकर बाढ़ आयी और ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश हुदहुद चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए और महाराष्ट्र में सूखे के कारण अत्यधिक नुकसान हुआ।

महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की बात आती है, तो एक राष्ट्र के रूप में हम कार्य नहीं कर पाते हैं। हमारे पास प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की कोई तैयारी नहीं है। हम इन आपदाओं के प्रति तभी जागरुक होते हैं जब वे आती हैं, न तो उससे पहले या बाद में उससे कोई सबक लेते हैं। यही कारण है कि, *वास्तव में* अधिक मृत्यु दर का कारण कोई आपदा नहीं है, बल्कि यह हमारी तैयारियों की कमी और इन आपदाओं से निपटने में हमारी असमर्थता है जिससे मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। हमारे पर्यावरणविद्, हमारे पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने हमें बार-बार चेतावनी देते रहे हैं कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन विकासात्मक गतिविधियों और निर्माण के लिए हमारी योजना में अभी भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान और जोखिम का संज्ञान नहीं लिया जाता है। अब समय आ गया है कि हमारी पारिस्थितिकी, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी प्रकृति की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता बने।

हमने इसी संसद में वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का अधिनियमन किया था जिसमें इन आपदाओं से निपटने, इन आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन, जोखिम को कम करने और देश भर में ऐसी आपदाओं की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश और नीतियां तैयार करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय एन.डी.एम.ए. के गठन की परिकल्पना की गई थी। लेकिन हमने देखा है कि जम्मू-कश्मीर के मामले में यह कितना अप्रभावी साबित हुआ है, क्योंकि

जनता, सरकार, सशस्त्र बल, कोई भी इस मामल के प्रति जागरुक नहीं था। ऐसा तब है जब सी.ए.जी. ने भी अपनी प्रतिवेदन में कहा है कि एन.डी.एम.ए. सात वर्ष पहले अपनी स्थापना के समय से ही अप्रभावी रहा है। इसके पास राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे आपदा प्रबंधन कार्यों की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा, एन.डी.एम.ए. में कई महत्वपूर्ण पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विशेषज्ञों की कोर एडवाइजरी कमेटी, जो कि आवश्यक है, के बिना ही कार्य कर रहा है। इसके साथ-साथ, एन.डी.एम.ए. को प्रत्येक राज्य में एस.डी.एम.ए. के कार्यों में सहायता उपलब्ध कराना है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एन.डी.एम.ए. की भूमिका की सराहना की गई क्योंकि दोनों राज्यों के पास अपने राज्य आपदा प्रबंधन बल थे, जो पूरी तरह से सक्षम थे और राज्य में उनके पास पर्याप्त अवसंरचना थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का काम राज्यों को उनकी भूमिका में सहायता करना है। इसलिए यह एक बड़ी चुनौती है कि यदि राज्यों के पास एस.डी.एम.ए. नहीं हैं तो एन.डी.एम.ए. के लिए दक्षता के साथ काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिला मुख्यालय से लेकर राज्य के हर गांव, हर कोने तक एक नेटवर्क प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है और एन.डी.एम.ए. इसमें राहत और सहायता प्रदान कर सकता है।

सभा में मेरे कई साथियों ने अलग मंत्रालय बनाने का सुझाव दिया है। हालांकि, मुझे इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। मुझे लगता है कि अगर हम अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति से कुछ बदलाव करके और अपने मौजूदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मजबूत करके इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे कुछ कदम हैं जो एन.डी.एम.ए. को मजबूती प्रदान करने और एन.डी.एम.ए. को सशक्त बनाने में काफी मदद कर सकते हैं।उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास इसके दिशा निर्देशों का अनुपालन करने हेतु राज्यों को निर्देश देने की शक्ति होनी चाहिए। साथ ही, अग्निशमन और नागरिक सुरक्षा प्राधिकरणों को एन.डी.एम.ए. के अधीन लाया जाना चाहिए।इसके अलावा, बाढ़ और भूकंप प्रवण क्षेत्रों में निर्माण और विकास गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय आपदा

प्रबंधन प्राधिकरण की मंजूरी अनिवार्य होनी चाहिए।साथ ही, इस एजेंसी को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का सृजन किया जाना चाहिए।

मुझे लगता है, इन प्रयासों से और इसे राजनीतिक प्राथमिकता बनाकर, हम एन.डी.एम.ए. को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और अधिक दक्षता के साथ देश भर में आपदा की स्थिति में बेहतर प्रबंधन कर सकते है। मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर और आंध्रप्रदेश में जो प्राकृतिक विपत्ति आई, वहां प्रधानमंत्री जी तुरंत पहुंचे। मैं पिछले अनेक वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के समय सर्वोच्च नेतृत्व का व्यवहार देखता आ रहा हूं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, परन्तु प्रधानमंत्री जी वहां गये तो निश्चित रूप से उन्होंने देश को एक संदेश दिया है। चर्चा में बातें विस्तार से बताई गई हैं।

कुल मिलाकर आपत्ति के समय यदि हम संवेदनशील ह्दय के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, पूरे देश को एक मानकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति उसमें नहीं लगा सकते तो आपत्तियों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। संवेदनशीलता स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं तत्काल इन स्थानों पर जाकर इस प्रकार का संदेश पूरे देश की जनता को दिया है। मैं उनका बहुत-बहुत आभिनन्दन करता हूं।

तेरे पांव में कांटा लगे, मुझे दर्द का एहसास हो,

तेरी मुस्कुराहट छीन ले तो दिल मेरा उदास हो।

यदि यह भाव नहीं है तो हम वैसे किसी की तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं पुन: इस बात को कहकर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, परन्तु मैंने केदारनाथ की त्रासदी के दृश्य देखे हैं, मैं स्वयं वहां गया था। किस प्रकार के रीजनीतिक आधार पर उसमें निर्णय किए गए, वहां राहत कार्य को रोका गया। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, ओडिशा या जम्मू कश्मीर की जनता केवल उन प्रदेशों के राजनीतिक नेतृत्व की ही जनता है। वे सब राष्ट्रीय नागरिक हैं। उनकी सहायता, सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसे रोका जाना या उसके रास्ते में किसी प्रकार की बाधा पैदा करना सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार का दृष्टिकोण इसलिए हुआ क्योंकि संभवत: व्यक्ति में राष्ट्रीय संवेदनशीलता का अभाव था, संभवत: राजनीतिक सोच की

कमी थी, मैं इस बात को बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि संभवत: वोट बैंक की राजनीति वहां हावी हो रही थी।

मैं कल भी बहस देख रहा था। एक प्रकार का आविश्वास विपक्ष के दल करते हैं कि संभवत: केन्द्र सरकार मदद देगी या नहीं। हमारे टीएमसी के अनेक सांसद कल जब प्रश्नोत्तर काल में सवाल पूछ रहे थे तो मेरे ध्यान में यह बात आ रही थी कि शायद जो पिछली परम्पराएं, विधियां हैं, उनके कारण वे आशंकित हैं। मैं पुन: प्रधान मंत्रीजी का आभिनन्दन करना चाहता हूं कि वे जब यह कहते हैं कि हम 125 करोड़ देश के नागरिकों को साथ लेकर विकास करेंगे, वे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। उसी कारण आज आपदा से निपटने में जोभी उपाय हुए हैं, उनमें गुणवत्ता दिखाई देती है, गति दिखाई देती है।

समय की सीमा है, इसलिए मैं केवल एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। रोकथाम इलाज से बेहतर है।

दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय,
जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए।

मुझे लगता है कि फौजें शान्ति काल में जितना पसीना बहाती हैं, उन्हें युद्ध के समय कम खून-पसीना बहाना पड़ता है। अभी हमारे से पूर्व सदस्यने भी इस बात का उल्लेख किया। कुल मिलाकर हमारे कॉम्प्रीहैनसिव चिंतन में कहीं अभाव दिखता है। हम होलिस्टिक व्यू से भटकते हैं। कहीं तूफान आया, कहीं भूकम्प आया, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में लगभग नियमित रूप से बाढ़ आती है। हम वहां इंतजाम क्यों नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमारा जल प्रबंधन, चाहे वह अंडरग्राउंड वाटर का हो, हमारी नदियों की कैपेसिटी बढ़ाने का विषय हो, चाहे तालाब निर्माण करने का विषय हो, हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस को ध्यान में रखेंगे तो इन समस्याओं से निपटने में हमारी क्षमता बढ़ेगी।...(व्यवधान)

आपने घंटी बजा दी है, मेरे समय की सीमा का संकेत दिया है। मैं पुन: सहायता आदि के लिए आभिनन्दन करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि आगे हमारी तैयारी और बेहतर होगी। हम इस प्रकार के किसी भी संकट को अवसर में बदलने में सफल होंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जम्मू कश्मीर में बाढ़, आंध्र प्रदेश, ओड़िशा में साइक्लोन और महाराष्ट्र में सूखे के बारे में यहां चर्चा हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि अकेलेमहाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि हरियाणा, राजस्थान का थोड़ा हिस्सा, पंजाब का थोड़ा हिस्सा और उत्तर प्रदेश का थोड़ा हिस्सा भी इस बार सूखाग्रस्त हुआ है। मंत्री जी ने जब अपने शब्द रखे थे तो कहा था कि हरियाणा में भी हमने इसे गंभीरता से उठाया है।

इस सदन का सबसे छोटा सांसद होने के नाते मुझे इस सैशन में दूसरी बार यह चर्चा सुनने को मिली। पिछली बार भी हमने सिर्फ सूखे और बाढ़ के बारे में चचार् करने में छ: दिन लगाए। आज भी शायद चौथा दिन है, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, बड़ी गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। अगर सूखे की बात करें तो इसका कारण है कि हम किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा सकते। मैं सदन से अपील करूंगा कि एकजुट होकर इस आवाज को उठाएं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2003 में इस बात को रखा था कि इस देश की सभी नदियों को जोड़ा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी इस बात को दोहराया है कि सभी नदियों को जोड़ जाएगा। मैं अपील करता हूं, आप सभी हमसे उम्र में बड़े हैं, नदियों को जोड़ने का प्रयास हम इसी सेशन के दौरान शुरू करें। अगर नदियां जोड़ दी जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कभी सूखे की हालत किसानों को देखने को मिलेगी। वर्ष 2003 में सुप्रीम कोर्टद्वारा सतलुज-यमुना को लिंक का दिशानिर्देश दिया गया था। भारत की सरकार सतलुज-यमुना को जोड़ने का काम जल्द से जल्द शुरू करे। महोदय, जहां सूखे की बात आती है, सरकार बड़े आराम से ग्रांट रिलीज कर देती है। मगर जब ग्रांट किसानों तक पहुंचती है, उसमें अनेकों महीने लग जाते हैं। कई

बार ऐसी हालत होती है कि जब किसानों के पास चेक जाता है तब दो रुपये, तीन रुपये और पांच रुपये का चेक भी हमारी सरकार ने किसानों को देने का काम किया है। क्या एक एकड़ जमीन पर जब किसान खेती करता है, उसकी वैल्यू लगाने का काम सरकार दो रुपये और तीन रुपये करती है? हरियाणा के झज्जर में, रेवाड़ी में, मेवात में, अनेकों किसानों को पिछली यू.पी.ए सरकार ने दो रुपये, पांच रुपये का चेक देने का काम किया था। अब, दुबारा सूखा आया है, सरकार ने हरियाणा को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है, किंतु प्रदेश की सरकार ने अभी मात्र 5 डिस्ट्रिक्ट्स को सूखाग्रस्त घोषित किया है। मैं माननीय कृषि मंत्री से अपील करूंगा कि सरकार से जल्द जवाब मांगे और सभी 21 जिलों के किसानों की गिरदावरी करवाकर उनको सूखाग्रस्त कराकर उनको मुआवजा जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करें। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जब केन्द्र सरकार की तरफ से पैसा जाता है, जिस तरहमेरे से पूर्व सांसद बोल रहे थे कि जब तक कम्पलीशन सर्टिफिकेट नहीं आता, तब तक पूरा पैसा रिलीज नहीं होता। क्या केन्द्र सरकार एक सेपरेट एजेंसी बना सकती है, क्योंकि, बाढ़ और सूखे के काम तत्काल होने वाले काम हैं, वह एजेंसी जल्द एक्टिव हो, जल्द से जल्द किसानों तक पैसा पहुंचाने का काम यह सरकार करें।

मैं निवेदन करूंगा कि जल्द एक ऐसी एजेंसी बनाने का प्रावधान किया जाए। जिस तरह सभी सांसदों ने एन.डी.आर. एफ के बहुत अच्छे योगदान की सराहना की, उसने जम्मू-कश्मीर और उड़ीसा में बहुत अच्छा कार्य किया, उसकी सबने सराहना की, मगर [अनुवाद] रोकथाम सदैव इलाज से बेहतर है।[हिन्दी] हमारा मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट है, वह इतना वेल इक्यूप्ड नहीं है कि परफेक्शन को लेकर आ पाए। मैं सरकार से अपील करूंगा कि एन.डी.आर. एफ को ऐसी ऑथारिटी दी जाए, जिसके तहत वह प्रिवेंशन का कार्य पूरा कर पाए। जो कल करने वाली चीज है, उसको आज करके किसानों को सुरक्षित करने का काम करे। आजकल पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि ऐसे संकट आते हैं, अमेरिका में साइक्लोन आता है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

[हिंदी]

श्री राधा मोहन सिंह : उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से नहीं, बल्कि 44 जिलों को वहां की सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है, हरियाणा के सभी 21जिलोंको सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। दोनों जगहों पर हमारी टीम गई थी, टीम ने आकर उसका पूरा आकलन तैयार किया है। हरियाणा से कुछ और पेपर मांगे गए हैं, एन.डी.आर.एफ में रिपोर्ट जाएगी, हरियाणा के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

श्री दुष्यंत चौटाला : मंत्री जी ने जानकारी दी कि हरियाणा के सभी 21 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। जिस किसान का खेत चार महीने से सूखा पड़ा है, मैं अपील करूंगा, प्रदेश में भी आपकी सरकार है।इस कार्य को तत्काल कराया जाये। किसानों का मुआवजा हरियाणा के उन 21 जिलों में जल्द से जल्द पहुंचाया जाये, क्योंकिआज भी हरियाणा सरकार केवल मात्र पांच डिस्ट्रिक्ट्स को ही सूखाग्रस्त जिला घोषित करके बैठी है। आज भी बाकी बचे हुए 16 डिस्ट्रिक्ट्स सूखे की मार में बैठे हैं, जिसे सरकार सूखा घोषित नहीं कर पायी। जो गिरदावरी का कार्य है, जो आधिकारियों का कार्य है, मैं अपील करूंगा ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : इसे हमने घोषित नहीं किया। जो चुनाव आधिसूचना जारी हुई, उसके दो दिन पहले हमारी सरकार थी, किसकी सरकार थी, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन उन्होंने सभी जिलों को सूखा घोषित किया है। वहां जो टीम गयी है, उसने सभी जिलों का सर्वे किया है। वह सभी जिलों की रिपोर्ट लेकर आयी है। आप अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए, मेरा यही सुझाव है। ...(व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : मंत्री जी, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि प्रदेश में आपकी सरकार है। आप उस सरकार से कहकर जल्द से जल्द उन 21 जिलों को सूखाग्रस्त जिला घोषित करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मंत्री आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकतर आपदाएं प्राकृतिक होती हैं और इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। विभिन्न कारक, यथा प्राकृतिक और मानव प्रेरित, प्रतिकूल भू-जलवायु परिस्थितियाँ, स्थलाकृतिक विशेषताएँ, पर्यावरणीय क्षरण आदि आपदाओं के कारण हैं। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि धरती माता, अपनी सतह और उप-सतह, वायुमंडल आदि पर सभी प्राकृतिक और मानव प्रेरित गतिविधियों को सहन करती है, लेकिन जब भी कोई आपदा आती है, तो एक असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनेक अवसरों पर, दुनिया भर में अकल्पनीय नकारात्मक प्रभावों वाली आपदाएँ घटित हुई हैं। तथापि आपदाओं की रोकथाम करने के लिए निरंतर मानवीय प्रयास किए जा रहे हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है।

भारतीय उपमहाद्वीप, जो भौगोलिक दृष्टि से हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में अवस्थित है और इसके दक्षिण के पठार को कवर करने वाला एक लंबा तटीय क्षेत्र है, वह प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्र है। हमने अपने पूरे इतिहास में कई आपदाओं का सामना किया है और आपदा स्थितियों से निपटने के लिए, वर्तमान समय में हमारे पास प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और राज्यों में इस प्राधिकरण के अध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो भारत में आपदा प्रबंधन का प्रबंधन समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से निष्पादित करने के लिए शीर्ष निकाय हैं। आपदाओं से निपटने की तैयारी में राज्य सरकारों की अधिकाधिक सक्रियता महत्वपूर्ण है। आपदा तैयारियों और आपदा प्रबंधन में स्कूली बच्चों को जागरूक करने की दिशा में परियोजनाएँ तैयार करना एक स्वागत योग्य कदम हैं।

उचित प्रबंधन और मार्गदर्शन के कारण, कई आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम स्तर तक सीमित कर दिया गया है, जैसे सुनामी के दौरान हुआ था। उस समय त्वरित और अथक प्रयास करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने और कार्य करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की वजह से होने

वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सका। विश्व बैंक ने क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत और जोखिमरोधी आवास उपलब्ध कराने, कृषि भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने, मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने आदि के लिए सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। लक्ष्य से अधिक लोगों का पुनर्वास किया गया था।

यह साबित हो चुका है कि आपदा का एक प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाओं के अलावा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है। इसलिए दुनिया भर में सतत आपदा प्रबंधन की अवधारण विकसित हुई है और यह वास्तव में आपदा तैयारियों और आपदा प्रबंधन में हमारी सहायक सिद्ध होगी।

विशेष रूप से तमिलनाडु, विशाल तटीय रेखा के साथ अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण चक्रवात प्रवण क्षेत्र हैं। मानसून की भारी तैयारियों के बावजूद तबाही अनुमान से कहीं अधिक हुई है। लेकिन तमिलनाडु के बहुत सारे सूखा प्रवण जिले अल्पवृष्टिसे प्रतिकूलत: प्रभावित हैं।

सूखा, बाढ़ और भूकंप जैसी स्थितियों की निरंतर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसके प्रतिकूल प्रभावों को सीमित किया जा सके। भारत सरकार को आपदा जैसी स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करने के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसलिए, हमें अपने लक्ष्यों को मिशन मोड पर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष: सभा कल, 5 दिसंबर, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2014 / 14अग्रहायण, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित